अठारहवां अंक–2013

नियोजन संदेश

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
शहरी विकास मंत्रालय

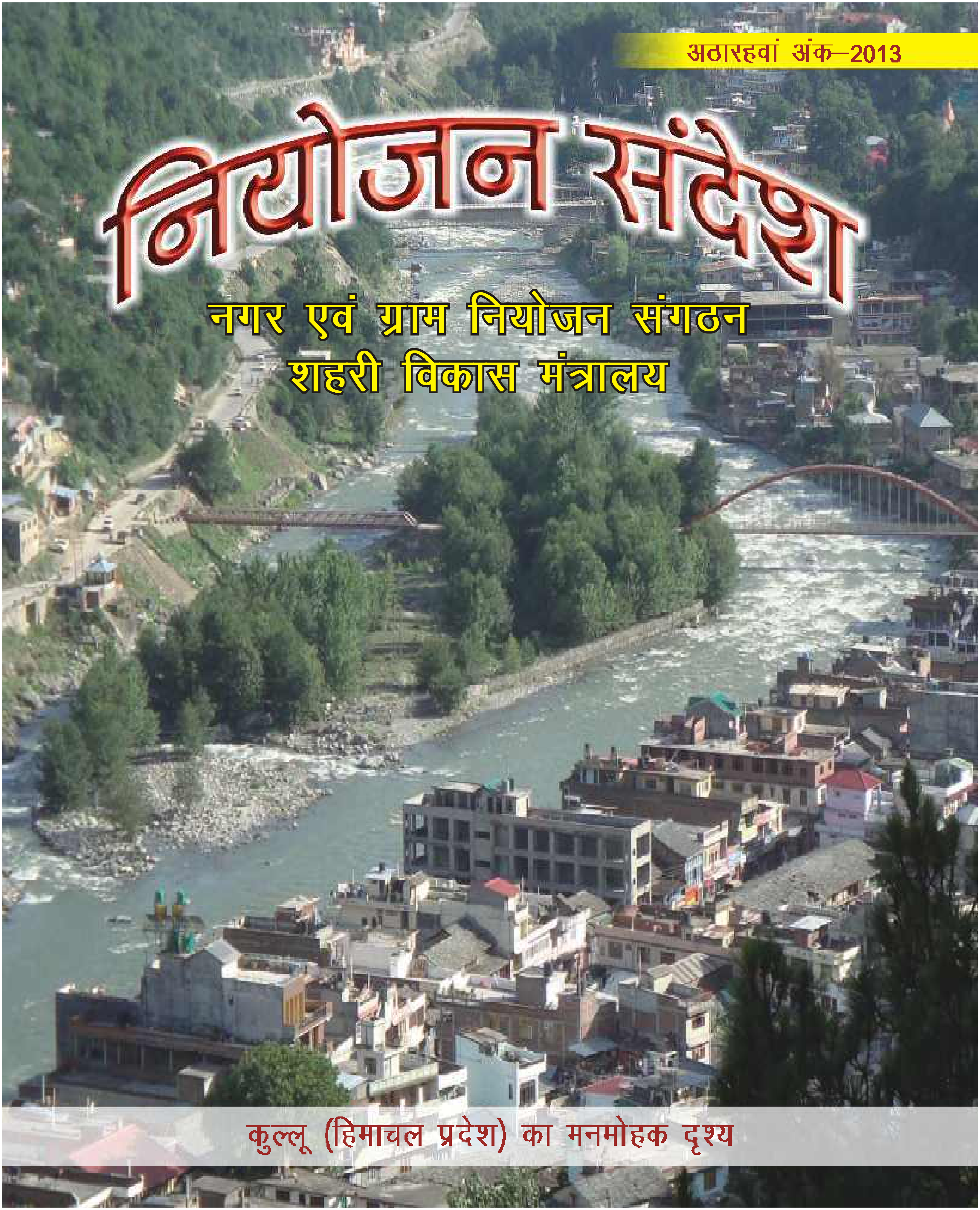

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) का मनमोहक दृश्य

संगठन की हिंदी गृह पत्रिका "नियोजन संदेश" के 17वें अंक का विमोचन करते हुए डॉ. अशोक सिंघवी, संयुक्त सचिव (श.वि.) एवं मुख्य नियोजक महोदय

डॉ. अशोक सिंघवी, संयुक्त सचिव (श.वि.) टीसीपीओ के दौरे के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए

संगठन में राजभाषा नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय राजभाषा विकास संस्थान से 'राजभाषा शिल्पी' सम्मान ग्रहण करते श्री धनसिंह वर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.)

राकामि द्वारा आयोजित हिंदी सम्मेलन एवं कार्यशाला में 'राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशासन की भूमिका' विषय पर व्याख्यान के लिए सम्मान स्वरूप शाल व शील्ड ग्रहण करते श्री जी.शंकर नारायणन, प्रशासनिक अधिकारी

अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान से 'विशेष राजभाषा विशिष्टता सम्मान' ग्रहण करते श्री ललित मेहता, हिंदी अनुवादक

सत्यमेव जयते

नियोजन संदेश

2013

अठारहवां अंक

प्रधान संरक्षक

जय बी. क्षीरसागर
मुख्य नियोजक

परामर्शदाता

के.के. जोद्दार
अपर मुख्य नियोजक

संपादक

धनसिंह वर्मा
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सहायक संपादक

ललित मेहता
हिन्दी अनुवादक

नेत्रपाल
आशुलिपिक–ग्रेड–II

संपादन सहयोग

त्रिभुवन
आशुलिपिक–ग्रेड–II

मोख्तार राय
बहुकार्य कर्मचारिवृंद (एमटीएस)

'नियोजन संदेश' पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के अपने विचार हैं। उनके लिए संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नियोजन संदेश के अगले अंक के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वरचित रचनाएं आमंत्रित हैं। रचना के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अवश्य भेजें। फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिखें।

सम्पर्क सूत्र :

राजभाषा अनुभाग
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
ई–ब्लॉक, विकास भवन,
इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
फोन : 011–23370898 ई–मेल: adoltcpo@gmail.com

मुद्रक

सब–अरबन प्रेस
244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली–110005
फोन : 011–23612594 ई–मेल: suburbenpress2011@gmail.com

डॉ. अशोक सिंघवी
संयुक्त सचिव (श.वि.)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

संदेश

भारत विविधताओं का देश है। विविध प्रकार का खान–पान, रहन–सहन व विभिन्न भाषाएं इसे विश्व में विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है अतः अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करना एवं हिंदी का प्रचार–प्रसार करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन एक तकनीकी कार्यालय है। इसके बावजूद इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी में अधिक से अधिक काम किया जाना उनके हिंदी प्रेम और राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है।

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन अपनी हिंदी गृह पत्रिका "नियोजन संदेश" का 18वां अंक प्रकाशित करने जा रहा है। इस पत्रिका के प्रकाशन ने संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुप्त लेखन प्रतिभा को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे पत्रिका हेतु लेख लिखने के लिए लालायित रहते हैं। यह इसके सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है कि इसमें हिंदी से संबंधित लेखों के अतिरिक्त संगठन से संबंधित तकनीकी लेखों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ''नियोजन संदेश'' का 18वां अंक पिछले अंकों की भांति रोचक और ज्ञानवर्धक होगा और सभी पाठकों को पसंद आएगा।

हार्दिक शुभकामनाएं,

(डॉ. अशोक सिंघवी)

जय बी. क्षीरसागर
मुख्य नियोजक

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
शहरी विकास मंत्रालय
ई ब्लॉक, विकास भवन,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

संदेश

भारत एक बहुभाषी देश है। ऐसी मान्यता है कि भारत में हर 10 मील पर दूसरी भाषा बोली जाती है। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग आसानी से समझते हैं।

मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि संगठन अपनी हिंदी गृह पत्रिका "नियोजन संदेश" का 18वां अंक प्रकाशित करने जा रहा है। इस पत्रिका ने जहां संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी लेखन क्षमता को निखारने का अवसर प्रदान किया हैं, वहीं उन्हें हिंदी में कार्य करने के संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए भी प्रेरित किया है। पत्रिका के 17वें अंक की काफी सराहना हुई है। 'नियोजन संदेश' के 17वें अंक के संबंध में कई विद्वतजनों से प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं, साथ ही दो हिंदी संस्थाओं द्वारा इसे 'प्रथम' व 'द्वितीय' सम्मान से पुरस्कृत किया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्रिका की छपाई व संपादन कार्य उत्कृष्ट कोटि का रहा है।

मैं पत्रिका में लेख भेजने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग के कारण ही संगठन की हिंदी गृह पत्रिका 'नियोजन संदेश' प्रसिद्धि के नए आयामों को छू रही है और इसमें दिनोंदिन निखार आता जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि नियोजन संदेश का यह अंक भी सभी को पसंद आएगा। नियोजन संदेश के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं।

(जय बी. क्षीरसागर)

संपादकीय

भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने सवा सौ साल पहले कहा था "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल" अर्थात अपनी भाषा की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति होगी, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी को उसका उचित स्थान न मिलना इस बात को इंगित करता है कि हमें राजभाषा हिंदी को उचित स्थान दिलाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित कदम उठाए जाएं तो हिंदी को उसका उचित स्थान मिल सकता हैः–

- देश के सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा राज्य की स्थानीय भाषा हो और अंग्रेजी को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। साथ ही, 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए।

- ऐसे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर उचित कार्रवाई की जाए जिनमें हिंदी बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- देश के कई हिस्सों में हिंदी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। सरकार में विभिन्न पदों पर भर्ती होने वाले उन अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज सौंपने से पहले हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिलाया जाए ताकि वे अपना सरकारी कामकाज हिंदी में कर सकें।

- देशवासियों की मानसिकता को बदलने के लिए एक जागरण अभियान चलाया जाए और उन्हें आजादी का सही अर्थ बताया जाए। जिस देश के लोगों को अपनी राजभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान पर गर्व नहीं होता वह देश पुनः गुलामी के पथ पर अग्रसर हो जाता है।

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन की स्थापना 51 वर्ष पूर्व 1962 में हुई थी। इसके 51 वर्षों का लेखा–जोखा करने पर हम पाते हैं कि तकनीकी कार्यालय होने के कारण अपनी शहरी एवं क्षेत्रीय योजनाओं और विकास की नीतियों तथा कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ संगठन में राजभाषा नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भी हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहे हैं। हम धारा 3(3)

के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी कर रहे हैं साथ ही विभागाध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जा रही हैं। 'क' व 'ख' क्षेत्रों के साथ हिंदी में ही पत्राचार करने तथा 'क' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में उत्तर देना हमारा प्रयास रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें व हिंदी कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। संगठन में हाल ही में तैनात सभी लिपिकों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिला दिया गया है तथा 02 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मध्य), नई दिल्ली द्वारा उसके अंतर्गत आने वाले लगभग 143 कार्यालयों में से संगठन को हिंदी में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2012–13 के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो इस बात का प्रतीक है कि संगठन में राजभाषा नीति को लागू करने के संवैधानिक दायित्व को हम बखूबी निभा रहे हैं।

हमारा प्रयास रहा है कि पत्रिका को बेहतर रूप दे सकें। पत्रिका के पिछले अंक के बारे में कुछ प्रबुद्ध पाठकों ने पत्रिका की दिल खोलकर प्रशंसा की है। हम सदैव इस प्रशंसा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

आशा है नियोजन संदेश का यह अंक सभी पाठकों को पसंद आएगा। पत्रिका के अगले अंक को इससे भी बेहतर बनाने के लिए आपके विचारों एवं सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।

(धनसिंह वर्मा)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
1.	सरस्वती वंदना		1
2.	टी.सी.पी.ओ. के शानदार 51 वर्ष		2–3
3.	भारत–डच समझौता ज्ञापन	जय. बी. क्षीरसागर	4–6
4.	वर्ष 2013–14 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य	राजभाषा प्रभाग	7
5.	राजभाषा नियम, 1976–प्रमुख नियम	राजभाषा प्रभाग	8
6.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन	राजभाषा प्रभाग	9
7.	राजभाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी	राजभाषा प्रभाग	10
8.	सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना	राजभाषा प्रभाग	11
9.	सभ्य मानव / सोच (कविता)	धनसिंह वर्मा	12
10.	पाश्चात्य जीवन शैली और बढ़ती बीमारियां	रानी वधवा	13–14
11.	सेवानिवृत्ति	डॉ. अशोक कुमार बंदूनी	15–17
12.	गृहस्थ जीवन, एक तपस्या	राम प्रकाश	18–19
13.	चिंता	विपिन कुमार	19
14.	शहरी विकास स्थायित्व	डॉ. अचला मेदिरत्ता	20–22
15.	हिंदी भाषा का लिंग विधान	प्रभाष कुमार	23–24
16.	छोटी–छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें	विमल कुमार	25–26
17.	कलियुग का भगवान (कविता)	रतन सिंह	26
18.	शिक्षा में अशिक्षा	उदयवीर सिंह प्रजापति	27–28
19.	लघु कथा	सुदेश वर्मा	28
20.	आम जनजीवन में अंग्रेजी की घुसपैठ	हेमेन्द्र सिंह	29
21.	मेरी माउंट आबू यात्रा	ललित मेहता	30–34
22.	धूम्रपान और शराब का स्वास्थ्य पर प्रभाव	आभा अग्रवाल	35–36
23.	प्रेस की भूमिका	सुबोध कुमार श्रीवास्तव	37–38
24.	नसीहत बाबुल की (कविता)	रणसिंह सैनी	39–40
25.	बहुमुखी क्षेत्रीय विकास योजना के अभाव में दम तोड़ते महानगर	उदित रत्न	41–45

26.	गुरू दक्षिणा	राम सिंह	46
27.	पवित्र नदियों में बढ़ता प्रदूषण	नेत्रपाल	47–49
28.	लुप्त होती गौरेया गायब होता गरीब	मोख्तार राय	49
29.	दहेज कानूनों पर एक नज़र	तनवीर अहमद खान	50–51
30.	लघु कथा	सुदेश वर्मा	51
31.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी प्रभावित पुनर्वास परियोजनाएं	डॉ. पवन कुमार, आर.एस.मीना एवं अनिल कांत मिश्रा	52–55
32.	हमें जी लेने दो (कविता)	अमरजीत कौर	56
33.	रीयल एस्टेट विधेयक	आर.पी. सिंह	57–60
34.	समय का मोल	अमीर सिंह	61–62
35.	वास्तुशास्त्र	रजनीश कुमार सक्सैना	63–65
36.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	आर.डी. मीना	66–69
37.	भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान	आशा चंद्रा	70–72
38.	वंदना	नीता अरोड़ा	73
39.	आत्मकथाः एक लड़की की (कविता)	पिंकी	74
40.	दिल्ली मेट्रो – हमारी मेट्रो	प्राण कुमार	75–76
41.	उम्र पचपन की, दिल बचपन का	एच.के. सेठी	77–78
42.	बीज का बड़प्पन	शशिकांता पुरी	79–80
43.	स्त्री का स्वरूप (कविता)	मु. मोनिस खान	80
44.	महिला सशक्तिकरण – कितनी हकीकत कितना फसाना	सीमा	81–82
45.	आपका पत्र मिला		83–84

सरस्वती वंदना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ ।
तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे
हर स्वर तेरा हर गीत तेरा
हम हैं अकेले हम हैं अधूरे
एक तू ही है पूर्ण, हे शारदे माँ ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ।

मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी
वेदों की भाषा वेदों की वाणी।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हमको अधिकार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ ।

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे
मिटा दे तू हमारे अंधकार, हे माँ
उजालों का हमको संसार दे माँ ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ ।

टी.सी.पी.ओ. के शानदार 51 वर्ष (1962–2013) – एक परिचय

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) की स्थापना 1962 में नगर नियोजन संगठन (टीपीओ) तथा केंद्रीय क्षेत्रीय और शहरी नियोजन संगठन (सीआरयूपीओ) को मिलाकर की गई थी। नगर नियोजन संगठन (टीपीओ) की स्थापना पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1955 में दिल्ली का प्रथम मास्टर प्लान तैयार करने के लिए की गई थी जबकि केंद्रीय क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन संगठन (सीआरयूपीओ) की स्थापना दिल्ली क्षेत्र की योजना तैयार करने और स्टील नगरों, नदी घाटी परियोजनाओं इत्यादि पर परामर्श देने के लिए की गई थी। टीसीपीओ 1962 से शहरी विकास मंत्रालय का एक तकनीकी अंग है जो शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन और विकास के क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी सलाहकार एवं परामर्शदात्री संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

टी.सी.पी.ओ. देश में शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन और विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में टी.सी.पी.ओ. द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों की स्थापना की गई है और राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार किए गए हैं। यह संगठन देश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर स्थानिक नियोजन और विकास से संबंधित केंद्रीय सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को पेश करने एवं बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में उभरा है। यह संगठन शहरी विकास, शहरी डिजाइन, स्थानिक नियोजन, पर्यटन विकास परियोजनाओं इत्यादि पर परामर्श देने का कार्य करता है और शहरी नियोजन, जी.आई.एस. प्रयोग इत्यादि के क्षेत्रों में सेवारत नियोजकों एवं शहरी प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन करने के अलावा शहरी विकास मंत्रालय की विशिष्ट योजना स्कीमों को भी मॉनीटर करता है।

वर्ष 2006 से श्री जय बी. क्षीरसागर संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। वर्तमान में डॉ. अशोक सिंघवी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (शहरी विकास) संगठन के पदेन अध्यक्ष हैं।

संगठन देश में उत्तरदायी शहरी और क्षेत्रीय योजना और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

देश में एकीकृत और स्थायी शहरी और क्षेत्रीय योजना बनाने तथा विकास को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन विचारों और रणनीतियों को सुविधाजनक बनाना और उपलब्ध कराना ही संगठन का मिशन है।

01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान इस संगठन में निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हुई:–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री नितिन कुमार आजाद	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	01.06.2012
2	श्री कमल सिंह	आशुलिपिक ग्रेड– ।।।	09.06.2012
3	श्री मनीष कुमार	अ.श्रे.लि.	12.07.2012

4	सुश्री डी. ब्लैसी	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	16.07.2012
5	श्री जसबीर सिंह	अ.श्रे.लि.	18.07.2012
6	श्रीमती जैस्मिन बिम्रा मल्लिक	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	20.07.2012
7	श्री नरेश कुमार बंसल	अ.श्रे.लि.	09.08.2012
8	श्री नवीन कुमार	आशुलिपिक ग्रेड– III	29.08.2012
9	श्री पीयूष कुमार सिंह	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	17.09.2012
10	श्रीमती अंजलि पंचोली	सह नगर एवं ग्राम नियोजक	18.09.2012
11	श्री सूरज कुमार सिन्हा	अ.श्रे.लि.	29.10.2012
12	श्री दिनेश सिंह चहल	योजना सहायक	14.12.2012

01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान इस संगठन के निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुएः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1	श्रीमती महेश बत्रा	सहायक	31.08.2012
2	श्रीमती दलजीत कौर	आशुलिपिक ग्रेड – I	31.10.2012
3	श्री सहंसर पाल सिंह	बहुकार्य कर्मचारिवृंद (एमटीएस)	31.10.2012
4	श्री महेश कुमार	बहुकार्य कर्मचारिवृंद (एमटीएस)	28.02.2013

दुःख का विषय है कि हमारे एक प्रिय साथी असामयिक ही हमें छोड़कर चले गएः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मृत्यु की तारीख
1	श्री राम बली महतो	स्टाफ कार चालक	09.06.2012

01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान इस संगठन के निम्नलिखित कर्मचारी ने अन्य कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार संभालने हेतु त्याग पत्र दिया :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	इस संगठन में सेवा की अंतिम तारीख
1	श्री सुमित कुमार	अ.श्रे.लि.	31.12.2012

भारत–डच समझौता ज्ञापन

जय. बी. क्षीरसागर

शहरी विकास स्थिरता के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ शहर ही स्वस्थ राष्ट्र के लिए योगदान देते हैं। स्वच्छ वातावरण और आर्थिक विकास एक–दूसरे के पूरक हैं और इसके फलस्वरूप जीवंत समाज बनता है जो दैनिक जीवन के सभी पहलूओं में स्वयं को "हितधारकों" के रूप में देखते हैं।

भारत में बड़े पैमाने पर शहरीकरण ने शहरी अवसंरचना पर गंभीर दबाव डाला है जिसमें जलापूर्ति, सड़कें एवं परिवहन, स्वच्छता, जलनिकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। यदि आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना है तो बड़े पैमाने पर हुए शहरीकरण के कारण सामने आई चुनौतियों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। शहरी समस्याओं की सीमा और मात्रा शहरी अवसंरचना पर हमेशा बढ़ रहे दबाव का सामना करने के लिए अनुकूल प्रयासों की मांग करती है। यह देखते हुए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित महत्व वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बनाए रखने और स्थिरता को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विकास सहित शहरी विकास और स्थायी योजना पर ध्यान दिया जाना है :–

क) उर्जा उपयोग और उत्सर्जन को इस स्तर तक कम करना जो वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक और वितरणीय मानदंड के अनुरूप हो।

ख) इष्टतम खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और भू–संसाधनों के रूपांतरण और अतिक्रमण को कम से कम करना और नियंत्रित करना।

ग) पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक निर्माण सामग्री के प्रयोग को कम से कम करना।

घ) अपशिष्ट उत्पादन को कम से कम करना और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना।

च) शहर के निवासियों के लिए प्रदूषण और ध्वनिरहित तथा पर्याप्त हरे–भरे क्षेत्रों वाले स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहन देना ताकि व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ सकें।

भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार के बीच हाल ही में हस्ताक्षारित समझौता ज्ञापन स्थानिक योजना, जल प्रबंधन और आवागमन के साधनों के प्रबंधन के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के आस–पास केन्द्रित है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य हैः–

क) स्थानिक नियोजन, शहरी और क्षेत्रीय नियोजन और विकास एवं वास्तुकला।

ख) जलापूर्ति और सफाई के मामले में जल प्रबंधन तथा शासन संरचना।

ग) परिवहन प्रबंधन और परिवहन प्रणालियां एवं अवसंरचना।

घ) ऊर्जा–कुशल, समावेशी और स्थाई निर्मित रूप।

भारत–डच समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में निम्नलिखित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई हैः–

क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास

शहरी नवीकरण, विकास संरक्षण और स्थानीय क्षेत्र योजना प्रणाली के माध्यम से समावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी नियोजन

सहयोग के क्षेत्र

– स्थानिक नियोजन, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास और वास्तुकलाः

- एकीकृत परिदृश्य–निर्माण और दीर्घावधि विज़न
- धरोहर संरक्षण को स्थानिक योजना के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता देना।
- शहरी नवीकरण
- शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी विकास।

– परिवहन प्रबंधन और परिवहन प्रणालियां एवं अवसरंचनाः

- भू–उपयोग परिवहन एकीकरण को हासिल करने के लिए बस्तियों की स्थानिक संरचना।
- पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परिवहन विकल्प/अवसंरचना
- इलेक्ट्रोनिक सड़क मूल्य–निर्धारण (ईआरपी)/इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों (आईटीएस) जैसी नवोन्नत प्रणालियां

– जलापूर्ति और सफाई के मामले में जल प्रबंधन तथा शासन संरचनाएंः

- पीने योग्य पानी की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन,
- परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों की हानि और वसूली, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली इत्यादि में कमी लाने के लिए शासन संरचना,
- विभिन्न पैमानों पर सफाई
- सिविल इंजीनियरिंग सहित जल प्रणालियों का डिजाइन और परिचालन शासन।

– ऊर्जा–कुशल और स्थायी निर्मित रूपः

- ऊर्जा – तटस्थ शहर
- गर्म द्वीपीय प्रभावों को कम करना
- वायु, जल तथा भूमि में उत्सर्जन में कमी लाना
- प्राकृतिक जोखिम के खतरों को कम करना

शहरों के लिए दीर्घावधि विज़न योजना तैयार करने के दिशा–निर्देश उपयुक्त हैं और इनमें तीन आधारशिलाओं अर्थात अनुसंधान, डिजाइन और गठबंधन पर ध्यान दिया जाता है और सतत बातचीत रूपी आम धागे के माध्यम से एक के बाद दूसरा काम किया जाता है। ऐसी योजनाओं के निर्माण को सरल बनाने के लिए पूर्व–अपेक्षित वस्तुओं में शहरी सार्वजनिक मंच की स्थापना, अनुसंधान, मानचित्रण, एकीकृत विज़न में सम्मिलित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की मॉडलिंग और शेयरिंग शामिल हैं।

इस उद्देश्य के लिए सामूहिक कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हो सकते हैं:

– संगत परियोजनाओं और कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी को बढ़ावा देना;

– शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों/प्रशिक्षण के आदान–प्रदान, प्रशिक्षण समूहों और अन्य क्रियाकलापों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहन देना;

– बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम व्यावहारिक क्रियाकलापों को साझा करना;

– शैक्षिक यात्राओं और विशेषज्ञों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना;

– सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

जिस बात की आवश्यकता है वह है कुशल और न्यायसंगत दृष्टिकोण। अतः स्थायी आवास के लिए मौजूदा संसाधनों का कुशल उपयोग और आबंटन करना होगा जो शहरों की आर्थिक व्यवहार्यता और समान वितरण (संसाधनों तक पहुंच और उनकी उपलब्धता) को सुनिश्चित करना है।

अतः कार्य योजना इस प्रकार हैः–

क) ज्ञान नेटवर्क को बढ़ावा देना और प्रमुख रणनीतिक सहभागियों के बीच सर्वोत्तम व्यावहारिक क्रियाकलापों को साझा करना।

ख) नगर नियोजकों, शहरी स्थानीय निकायों और राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों और निजी काम करने वालों सहित अन्य कार्यक्षेत्र विभागों का सुग्राहीकरण (सेंसीटाइजेशन)।

ग) कार्यान्वयन शुरू करने के लिए व्यवहार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2013–2014 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फैक्स, ई–मेल आदि सहित	1. 'क' क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) से 'क' क्षेत्र को 100 प्रतिशत 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 100 प्रतिशत 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 65 प्रतिशत 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 'क' से 'क' 100 प्रतिशत एवं 'क' से 'ख' 100 प्रतिशत	1. 'ख' क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़) से 'क' क्षेत्र को 90 प्रतिशत 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 90 प्रतिशत 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 'ख' से 'क' 100 प्रतिशत एवं ' ख' से 'ख' 100 प्रतिशत	1. 'ग' क्षेत्र ('क' एवं 'ख' में आने वाले राज्यों एवं द्वीप समूह को छोड़कर अन्य सभी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश) से 'क' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 55 प्रतिशत 4. 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 85 प्रतिशत
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
3.	हिंदी में टिप्पण	75 प्रतिशत	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत
4	हिंदी में डिक्टेशन	65 प्रतिशत	55 प्रतिशत	30 प्रतिशत
5.	हिंदी में प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
हिंदी कार्यशाला/राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें				
6.	(क) हिंदी कार्यशाला	वर्ष में 4 कार्यशाला (प्रति तिमाही एक कार्यशाला)		
	(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		

राजभाषा नियम, 1976 – प्रमुख नियम

नियम संख्या	नियम
5	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
6	धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार और जारी किए जाएं।
7	हिंदी में हस्ताक्षरित या हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाए।
8(4)	अधिसूचित कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने संबंधी आदेश जारी करना।
9	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त।
10(1)	हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त।
10(4)	जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।
11	सभी मैनुअल व अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए जाएंगे। सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष आदि हिंदी और अंग्रेजी में लिखें /प्रदर्शित होंगे।
12	केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वहः राजभाषा अधिनियम और नियमों तथा इनके तहत जारी आदेशों तथा निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तथा प्रभावकारी जाँच बिंदु बनाए।

हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है – राजा राममोहन राय

हिंदी ही एक भाषा है जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है –डॉ. ग्रियर्सन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजात

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार भारत के सभी मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप यानी हिंदी और अंग्रेजी में साथ–साथ जारी करें। नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित कागजात आते हैं:–

1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	नियम	Rule
4.	अधिसूचनाएं	Notifications
5.	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	Administrative and other Reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियां	Licences
10.	अनुज्ञा पत्र	Permits
11.	सूचना	Information
12.	निविदा प्रपत्र	Tender Form
13.	निविदा सूचना	Tender Notice
14.	संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात	Papers to be placed before both the Houses of Parliament

सामान्य आदेश की परिभाषा

स्थायी किस्म के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश, परिपत्र आदि जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, सूचनाएँ, परिपत्र आदि, जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में या उनके लिए हों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन 'सामान्य आदेश' कहलाते हैं।

राजभाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

राजभाषा क्षेत्र

क क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

ख क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़

ग क्षेत्र : उपर्युक्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश

हिंदी में प्रवीणता

यदि केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी ने –

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे ऊँची कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

(3) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

(राजभाषा नियम,1976 का नियम–9)

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान

यदि किसी कर्मचारी ने –

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊँची परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(4) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

(राजभाषा नियम, 1976 का नियम–10)

प्रांतीय ईर्ष्या–द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं – सुभाष चंद्र बोस

हिंदी का श्रृंगार राष्ट्र के सभी भागों ने किया है, वह हमारी राष्ट्रभाषा है–राजगोपालाचारी

सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है जो अपने सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण का कार्य करते हैं। इस संगठन में दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान सरकारी कामकाज (टिप्पण / प्रारूपण) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई गई। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची नीचे दी गई है:—

क्रम सख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्थान	पुरस्कार राशि (रूपये में)
1.	श्रीमती सीमा, प्र.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार	1600
2.	श्री रणसिंह सैनी, प्र.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार	1600
3.	श्री प्राण कुमार, अ.श्रे.लि.	द्वितीय पुरस्कार	800
4.	श्री अनिल कुमार वर्मा, एमटीएस	द्वितीय पुरस्कार	800
5.	श्रीमती आशा चन्द्रा, सहायक	द्वितीय पुरस्कार	800
6.	श्री राम प्रवेश मिश्रा, अ.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार	600
7.	श्री विमल कुमार, प्र.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार	600
8.	श्री सुबोध कुमार, अ.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार	600
9.	श्रीमती एच.के. सेठी, सहायक	तृतीय पुरस्कार	600
10.	श्री नरेश कुमार बंसल, अ.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार	600
	(आठ हजार छः सौ रुपये मात्र)	**कुल राशि**	**8,600**

सभ्य मानव

धनसिंह वर्मा

पाषाण युग का मानव,
मांस ही था जिसका आहार,
पत्थरों के हथियारों से
करता था पशुओं का शिकार,
इसलिए असभ्य
कहा जाता है।

आधुनिक मानव
पाषाण निर्मित मकानों में रहते हुए
पत्थर दिल हो गया है।
इसलिए तो भ्रूण के रूप में ही
कन्या की हत्या जैसा पाप करता है
फिर भी
सभ्य कहा जाता है।

सोच

एक धनी बाला,
कम से कम वस्त्र पहन
दिखाती है जब
ज्यादा से ज्यादा तन,
तो लोग कहते हैं
यही तो है आधुनिक फैशन।

एक निर्धन बाला को
लोग कहते हैं बेशर्म,
जब वस्त्र न होने के कारण
वह ठीक से ढॉप
नहीं पाती अपना तन।

पाश्चात्य जीवन शैली और बढ़ती बीमारियां

रानी वधवा

आजकल हमारे देश में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हार्टअटैक, दमा, टी.बी., कैंसर एवं एड्स जैसे विभिन्न रोगों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसके लिए नित्य नये–नये कारणों तथा इलाज की खोज हो रही है किन्तु रोगों का फैलाव रूकने की अपेक्षा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम सभी रोगों के मूल में नजर डालें तो सिर्फ एक ही मुख्य कारण नजर आता है, वह है अपनी पुरानी जीवन–शैली की उपेक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण।

सर्वप्रथम अगर हम भारतीय रहन–सहन एवं खान–पान की तुलना पाश्चात्य जीवन–शैली से करते हुए इन बीमारियों के कारणों को समझें तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह आज के पिज्जा, बर्गर जैसे अधिक कैलोरी तथा चर्बी वाले पाश्चात्य जंक–फूड एवं मांसाहार मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हार्टअटैक सहित करीब 108 बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। प्राचीनकाल में हर भारतीय चावल, दाल, गेहूं, चना, हरी सब्जियां, फल, दूध, देशी घी एवं सरसों के तेल से निर्मित शाकाहारी भोजन लेता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं मिनरल के आधार पर एक संतुलित भोजन था, जिससे न तो मोटापा बढ़ता था और न ही हायपरकोलेस्ट्रोलिमिया, न ही रक्त में अधिक कोलेस्ट्रोल होता था। आज रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक मानकर हम लोगों ने इसे छोड़ दिया तथा पश्चिमी चालों में आकर पिज्जा, बर्गर, रिफाइण्ड तेल तथा मांसाहार को अपना लिया जो महंगे तो हैं ही, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि 100 ग्राम मांसाहार से जहां 114 कैलोरी एवं 7.20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 100 ग्राम आटे से 300–400 कैलोरी, 100 ग्राम दाल से 24 ग्राम प्रोटीन एवं सोयाबीन से 44 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानि मांसाहार से पांच गुना ज्यादा प्रोटीन एवं वह भी सस्ती। जहां एक ग्राम शाकाहारी प्रोटीन पर 2–4 पैसे का खर्च आता है वहीं एक ग्राम मांसाहार पर सात गुना खर्च आता है। इस प्रकार मांसाहार अपेक्षाकृत कम पौष्टिक और महंगा भोजन तो है ही, साथ ही ह्रदयरोग सहित 107 बीमारियों जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, गुर्दे की बीमारियां, कब्ज, गठिया, माइग्रेन, लकवा, दौरे, स्कर्वी, जिगर रोग, एनीमिया, पित्ताशय की पथरी, रतौंधी एवं विभिन्न कैंसर रोगों के लिए भी जिम्मेदार है।

अमेरिका में आजकल बिना मीट वाले भोजन का चलन जोरों पर है तथा करीब 45 प्रतिशत डाक्टर और जनता मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन चुके हैं। पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड के विरोध में भी आजकल अमेरिका में विरोध शुरू हो चुका है क्योंकि आंकड़ों के अनुसार करीब तीन लाख अमरीकी हर वर्ष मोटापे से उपजी बीमारियों से मर रहे हैं तथा एक अमरिकी नगरिक ने तो पिज्जा, बर्गर खिलाने वाले रेस्तराओं के ऊपर करोड़ों रुपये का दावा भी कर दिया है कि ऐसे भोजन से उसका वजन 130 कि.ग्रा. हो गया है तथा वह डायबिटीज, हाई ब्लडप्रेशर एवं हाई कोलेस्ट्रोल से पीड़ित होकर दो बार हार्ट अटैक का शिकार भी हो चुका है, जबकि उसके परिवार में आनुवांशिक रूप से इस तरह की कोई बीमारी नहीं रही है। भारत में भी इस तरह के भोजन से मोटापे के कारण इन रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। अतः हमें अभी से जागरूक होकर ऐसे भोजन का त्याग कर देना ही उचित है।

इसी तरह पश्चिम के गलत प्रभाव से प्रभावित होकर हमने देशी घी छोड़कर रिफाइण्ड तेल को आत्मसात कर लिया है। अब अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि यह तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि यह धमनियों में कोलेस्ट्रोल जमने, हार्ट–अटैक एवं लकवे के लिए जिम्मेदार है, ऐसा रिफाइण्ड तेल खाने वालों में अधिक होता है। देशी घी एसिड का अनुपात ठीक रखने में सहायक होता है एवं हृदय के विभिन्न रोगों से बचाव करता है जबकि पश्चिमी देशों ने अपना रिफाइण्ड तेल बेचने के लिए हम भारतीयों के मन में देशी घी के बारे में भ्रम तथा भय उत्पन्न कर दिया है ।

इसी तरह आज हमने शिकंजी, लस्सी एवं ठण्डाई जैसे भारतीय पेय पदार्थों को छोड़कर मिनरल वाटर, पेप्सी एवं कोक जैसे पाश्चात्य शीतल पेयजलों को पीना आरंभ कर दिया है जो एक तरफ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो घटाते ही हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट, मस्तिष्क तथा हड्डियों के विभिन्न रोगों को बढ़ाते हैं। अमरीका की पत्रिका ''दि अर्थ आईलैण्ड'' जनरल द्वारा किए गए शोध एवं उससे निकले निष्कर्ष इस तथ्य को साबित कर चुके हैं कि कोक की एक बोतल में 40.92 मि.ग्रा. तक नशीले तत्व, ग्लिसरीन एवं साइट्रिक एसिड है जो हमारी आंतों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही हमारी हड्डियों को भी कमजोर कर रहे हैं जिसके कारण वे जल्दी टूटती एवं देर से जुड़ती हैं। इसके अलावा इन पेयजलों में कितना अधिक एसिड होता है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जो हड्डियां वर्षों तक जमीन में नहीं गल पाती, वे इन पेयजलों में 10 दिन तक रखने से ही गल जाती हैं या फिर इन पेयजलों को शौचालयों में एक घण्टे के लिए छोड़ दिया जाए तो वहां का फर्श एकदम चमक जाता है। पेप्सी में भीगे हुए कपड़ों पर लगी ग्रीस एवं बर्तनों की जंग तक हट जाती है। यानि पेप्सी एवं कोक से उत्पन्न पेट और हड्डियों की बीमारियों को दूर करने के लिए दवाईयों पर धन खर्च कर रहें हैं जबकि मूल कारण वही है।

यह अजीब विडम्बना है कि विभिन्न अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित इन कारणों को जानने के बावजूद हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तथा फैशन एवं आधुनिकता के नाम पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। फिर इन्हीं रोगों के बचाव तथा इलाज में भी पश्चिम की महंगी दवाओं पर धन का अपव्यय करके गरीबी और इन दवाओं से बढ़ने वाले अन्य रोगों को निमन्त्रण दे रहे हैं। यह चक्र लगातार चलता ही जा रहा है जिसमें फँसकर हम मूर्ख बनकर छले जा रहे हैं, चाहे वह मिनरल वाटर, रिफाइण्ड तेल, पिज्जा एवं बर्गर का मामला हो या हैपेटाईटिस, एड्स जैसी बीमारियों की दवाओं या वैक्सीन का।

अतः आज आध्यात्म का स्थान भौतिकता एवं भारतीयता का स्थान पाश्चात्य जीवन–शैली ने ले लिया है। हमने आधुनिकता के नाम पर पश्चिम का अंधानुकरण करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आमन्त्रित कर लिया है। हमारे देश के बुद्धिजीवियों, कर्णधारों एवं संचार–माध्यमों का यह परम कर्तव्य है कि वे पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित चालों को समझें तथा उनके दुष्प्रचार से होने वाले कुप्रभावों एवं दुष्परिणामों से जनता को जागृत करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा न दें तथा पूर्वजों के ज्ञान को कोरी कल्पना न मानकर उसे पूर्णतया वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत समझते हुए समाज में उचित स्थान दिलाएं ताकि भारतीय फिर से पूर्णतया स्वस्थ जीवन जी सकें।

सेवानिवृत्ति

डॉ0 अशोक कुमार बंदूनी

अनन्त काल से यह चलता आया है कि प्रकृति के नियमानुसार जो आया है, उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। आरंभ हुआ है तो अंत भी अवश्यंभावी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शैशव काल से वृद्धावस्था तक व्यक्ति विविध सोपानों से गुजरता हुआ विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ अपनी नियति की ओर अग्रसर होता है। शैशव काल में प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा और अन्ततः उच्च अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर वह जीविका उपार्जन के लिए व्यवसाय या सेवा को चुनता है। जीविका उपार्जन के इस अनुक्रम में वह सफलता/विफलता के खट्टे–मीठे अनुभवों को झेलते हुए एक ऐसे बिन्दु की ओर अग्रसर होता है जिसे विश्राम की अवस्था कह सकते हैं और विधान की परिधि में आंके तो उसे सेवानिवृत्ति कहा जाता है।

जैसे–जैसे कोई सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ता है तो मन भी अलग–अलग सुख–दुख की सिहरन से गुजरता है। सेवानिवृत्ति शब्द अपने आप में एक उदासी तथा एक भावनात्मक टूटन और बेबसी की ओर संकेत करता है। एक ओर लंबे वर्षों तक संस्था की सेवा करते हुए उस संस्था के साथ जुड़े होने का अहसास जहां मन में गौरव एवं आत्मविश्वास का संकेतक होता है, वहीं सेवानिवृत्ति के अवसर पर उस संस्था से अलग होते हुए अपने पुराने मित्रों से बिछुड़ते हुए और चिरपरिचित वातावरण से कट जाने की स्थिति अत्यंत दुखद सी लगती है। सेवानिवृत्ति उस समय और अधिक दुखदायी लगती है, जब व्यक्ति बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त हो रहा हो क्योंकि उसका सुविधाभोगी मन उन सुविधाओं को याद करके गमगीन हो जाता है जो उसे सेवाकाल के दौरान मिलती रही हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे उन सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

ऊपर वर्णित विचारों के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अपने आप में कई प्रकार की चुनौतियों से भरा होता है। फिर से नए जीवन की शुरूआत करनी पड़ती है जिससे जीवन कष्टों, परेशानियों और विवशताओं से भरा हुआ प्रतीत होता है। मेरे व्यक्तिगत विचार से मानव जीवन के दो मुख्य आयाम हैं– आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करते–करते थक कर चूर होकर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के उपरांत विश्राम की स्थिति में पहुंचता है तो वह नाम की भूख और अस्तित्व की तलाश में लग जाता है। उसके अंतर्मन की गहराइयों में यह लालसा दबे–छिपे रूप में विद्यमान रहती है कि अतीत में उसने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिन सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, उसके परिजन, उसके मित्र, उसके हितैषी उन्हें सराहें, उस पर चर्चा करें और उसे सम्यक सम्मान दें और उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की चेष्टा करें। इस लालसा की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई बार बालकपन की हद तक हठी और आत्मकेन्द्रित हो जाता है और इस प्रकार की लालसा के पूरा न हो पाने की स्थिति में अवसाद से भरकर वह चिड़चिड़ेपन का रूप अपना लेता है। इस बिंदु पर आकर व्यक्ति एक प्रकार की बेचारगी का शिकार हो जाता है और अपने आपसे बड़बड़ाते हुए यह प्रश्न पूछने लगता है कि क्या मैं बेकार हूँ और अगर हूँ तो मेरा वजूद क्या है? मेरी पहचान क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? यह स्थिति अत्यंत गहरे दुःख से जुड़ी हुई है। अक्सर देखने में आता है कि यदि परिवार में बेटा–बेटी, बहुओं और धर्मपत्नी की ओर से सकारात्मक व्यवहार न हो तो स्थिति और भी विषम हो जाती है। समाज के

अन्य लोग भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए सामने आते हैं।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यक्ति को जिन सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हैंः–

- आर्थिक सुरक्षा
- भावनात्मक सुरक्षा
- चिकित्सीय सुरक्षा

सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सेवाकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से उसकी रूप–रेखा तैयार करे। मोह–माया से ग्रस्त होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों के साथ व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था के विषय में भी सोचना चाहिए। पेंशन, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज और टैक्स बचाने संबंधी योजनाओं में धन का उपयुक्त प्रयोग कर स्वयं के लिए एक नियमित आय की प्राप्ति होना आवश्यक है ताकि व्यक्ति के परिजन उसे किसी भी प्रकार से बोझ न समझें और अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उसे किसी से कुछ मांगना न पड़े। यदि आप विवश होकर जीते जी उन्हें पैसा दे देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वे पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा और देखभाल करेंगे और यदि आप अपने जीते जी बच्चों को पैसा नहीं देते हैं वह ऊपर से भले ही झलकने न दें, परंतु मन ही मन वे आपसे खिन्न और नाराज हो जाएंगे। इसके लिए बीच के मार्ग को ही चुनना उचित होगा। आप एक निश्चित राशि अपने बच्चों में समान रूप से विभाजित कर अपने प्रथम नाम और बच्चे को दूसरे नाम के साथ रखकर बैंक सावधि (एफडीआर) जमा में लगा दें। इससे बच्चों को यह भरोसा हो जाएगा कि एक में दूसरा नाम तो उनका है ही। अपने बहू–बेटों को समय–समय पर कुछ न कुछ राशि देते रहें ताकि उनके मन में आपके प्रति लगाव बना रहे। बैंक बचत खाते में उपयुक्त रूप से नामांकन कर दें ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात् सरकारी पेचीदगियों में पैसा फंस न जाए।

मुख्य तौर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर समय रहते ध्यान देना चाहिएः–

- सेवा में रहते हुए सही समय पर अपने सेवानिवृत्त जीवन की भावी योजना बनाएं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें मूर्त रूप दें ताकि कोई परेशानी न हो।
- अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। सुबह से लेकर शाम तक अपने आपको व्यस्त रखने के लिए उचित साधनों/माध्यमों का चयन करें।
- अपने रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली खट्टी–मीठी घटनाओं को नजर अंदाज करके विशुद्ध रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने स्वाभाव एवं आयु से मेल खाते व्यक्तियों से मेल–जोल रखें और स्वस्थ मनोभावों से अपने समय को व्यतीत करने की चेष्टा करें।
- स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास बना रहे, इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अपनी आय के नियमित साधन बनाएं। आपात स्थिति में बैंक से पैसा निकल जाए, इसके लिए अपने बच्चों के साथ संयुक्त खाता खोलें।
- अपने बच्चों और उनके बच्चों को समय–समय पर उपहार या छोटी–मोटी राशि देते रहें। उनकी छोटी–मोटी उपलब्धियों और सफलताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें।

- समय रहते अपना वसीयतनामा तैयार करें तथा उसकी सूचना निकटतम संबंधियों को दें। यह प्रयास रहे कि जब तक आप जीवित हैं आपकी चल और अचल संपत्ति आपके नाम ही दर्ज रहे।
- सामाजिक उत्सवों, पारिवारिक समारोहों और मानवीय रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाले कार्यक्रमों में खुले रूप से हिस्सा लें। समन्वय एवं सौहार्द के साथ इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करके उमंग एवं प्रफुल्लता का अनुभव करें।

निम्नलिखित बातों की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित न करें:—

- क्षणिक क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अवसाद से ग्रस्त होकर अपने परिवार और बच्चों की कमजोरियों के मुद्दों पर समाज या रिश्तेदारों में चर्चा न करें।
- बदलते समय के साथ मानव के जीवन मूल्यों में तीव्र परिवर्तन आए हैं। अकसर जीवन मूल्यों में परिवर्तन मतभेद का कारण बनते हैं और यह मतभेद कई बार क्रोध एवं तनाव का कारण बनते हैं। पुराने जमाने में जो आदर्श स्थितियां विद्यमान थीं, आज विशुद्ध भौतिकवाद ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। इसलिए बीते हुए जमाने के उन आदर्शों, जीवन मूल्यों, परम्पराओं जिन पर चलकर सेवानिवृत्त व्यक्ति ने जीवन व्यतीत किया है, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी उन्हीं आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का अनुकरण करें। इसलिए आप उन पर ऐसी सलाह या परामर्श थोपने का प्रयास न करें जिन्हें आपके बच्चे सहर्ष स्वीकार न करें क्योंकि यदि वह आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपको बुरा लगेगा।
- अपने बैंक खातों और चल—अचल संपत्ति से संबंधित संवेदनशील तथ्यों की समाज में या मित्र मंडली में चर्चा न करें।
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के साथ—साथ बदलते हुए जीवन मूल्यों की बुराई करने वाले, ईर्ष्या—द्वेष से जनित व्यवहार करने वाले और पर—निंदा करने वाले व्यक्तियों की संगति से बचें।
- समाज के विवादास्पद मुद्दों पर किसी भी तरह से अपनी राय देने से बचें। कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज के दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। स्वयं को इन परिस्थितियों से अलग रखने का भरसक प्रयास करें।
- ऐसे क्रियाकलाप जहां समाज के विभिन्न पक्षों का लेन—देन समाहित है, उन क्रियाकलापों से अपने को दूर रखने का भरसक प्रयास करें।
- समाज के कुछ पात्र कुछ मुद्दों पर चर्चा करके आपको भावनात्मक उत्तेजना में धकेल सकते हैं और आपकी स्थिति हास्यास्पद हो सकती है। ऐसे क्षणों में विवेक का प्रयोग बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुखौटे लगे हुए होते हैं, उनका असली चेहरा पहचानने की कोशिश करें।

उपरोक्त सभी तथ्य संकेत मात्र हैं और पूर्णतः पूर्वाग्रह रहित हैं। वृद्धावस्था का प्रत्यक्ष सरोकार भावना से जुड़ा हुआ है। कई बार भावनात्मक अवसर आक्रामक रूप से हावी हो सकता है परन्तु सकारात्मक मनोवृत्ति इसे परिमार्जित करने में सहयोग देती है।

गृहस्थ जीवन, एक तपस्थली

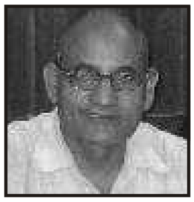

राम प्रकाश

वेदों में मानव जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया है। ये हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। इनमें गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार माना गया है।

भारतीय शास्त्रों में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के तप करने का परामर्श दिया गया है। इस प्रकार के तप से आत्मिक बल बढ़ता है। आत्मिक बल का शारीरिक बल से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत दुबला पतला हो सकता है लेकिन आत्मिक रूप से बहुत बलवान हो सकता है। महात्मा गांधी जी शारीरिक रूप से बहुत दुबले पतले थे लेकिन आत्मिक रूप से बहुत बलवान थे इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

कुछ लोग तपस्या करने के लिए महीनों तक एक टांग पर खड़े रहते हैं तो कुछ लोग अपने चारों ओर आग जलाकर उसके बीच बैठकर तप करते हैं। कुछ लोग तपस्या करने के लिए घर से भाग जाते हैं। लेकिन गृहस्थ इन्सान को तपस्या करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि गृहस्थी स्वयं एक तपस्थली है। गृहस्थी की गाड़ी में पति व पत्नी दो पहिएं की तरह होते हैं। इस गाड़ी को ठीक ढंग से चलाने के लिए दोनों पहियों का ठीक होना जरूरी है। गृहस्थी की गाड़ी कई बार ऊबड़–खाबड़ रास्तों से गुजरती है यदि पति–पत्नी की आपस में अच्छी समझ है तो वे ऊबड़–खाबड़ रास्तों से भी अपनी जीवन गाड़ी को ठीक से निकाल लेते हैं। जो पति–पत्नी इस दौरान संतुलन खो देते हैं वे जीवन में असफल हो जाते हैं।

गृहस्थ व्यक्ति को घर में अनायास ही कांटों की सेज मिलती है जो तपस्या से कम नहीं है। आज के इस युग में घर के सभी सदस्यों के साथ मेल बैठाकर चलना भी तपस्या से कम नहीं है। कई बार तो बेचारा पति, पत्नी और माता–पिता के बीच पिस जाता है। वहीं कई बार पत्नी भी इसी प्रकार के चक्करों में फस जाती है।

घर में महिला रात–दिन काम करती है। वह अपने खाने पीने व नींद का भी ध्यान नहीं रखती और परिवार के सदस्यों की सेवा में लगी रहती है। लेकिन कई बार अनजाने में थोड़ी सी भी गलती होने पर उसे काफी सुनना पड़ता है जो एक प्रकार का तप ही है। जब बच्चा बीमार होता है तो उससे अधिक दर्द माँ को होता है, यह भी एक तप ही है।

आज के इस भाग–दौड़ भरे युग में गृहस्थी की गाड़ी को खींचने में पुरूष को भी कम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। महंगाई के इस युग में गृहस्थी की गाड़ी को खींचना एक तपस्या ही है। कार्यालय में जहां उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता है वहीं अपने जूनियर स्टॉफ को भी खुश रखना पड़ता है। कई बार तो पुरूष अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और स्टॉफ के बीच इतना पिस जाता है

कि वह अपना संतुलन भी खो देता है। कार्यालय में कई लोग चापलूस किस्म के होते हैं जो अपनी मीठी–मीठी बातों से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इससे बचने हेतु अधिकारी को काफी संतुलन बनाना पड़ता है जो एक प्रकार का तप ही है। जैसे मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को शुगर से नुकसान का पता काफी देर से चलता है उसी प्रकार चापलूस व्यक्ति की मीठी–मीठी बातों का जहर भी अपना असर काफी बाद में दिखाता है। लोगों के बीच में मेल बैठाकर चलना भी एक तपस्या ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं गृहस्थ जीवन एक तपस्या ही है। अतः घर से न भागकर इसी तपस्थली में तप करना चाहिए।

चिंता

विपिन कुमार

आज के इस भागते युग में जहां सभी के कान मोबाईल पर, हाथ कंप्यूटर पर जकड़े हैं, हर कोई एक अजीब सी चिंता से ग्रसित नजर आता है। कोई अपने परिवार की, कोई अपनी नौकरी की, कोई दोस्तों की तो कोई दूसरों को अपने से आगे निकलते देख चिंता से ग्रसित है। अगर हम शुरू से सोचें तो लगता है कि हम बचपन से चिंता पालने की आदत पाल चुके हैं। किंतु यह चिंता हमें कहीं कोई लाभ नहीं पहुंचाती। हाँ, बीमारियां अवश्य दे देती है।

एक महिला का बेटा फौज में नौकरी पर बहाल हुआ। उसकी तैनाती सीमा पर हुई तो उसकी माँ बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि इस नौकरी ने जीना दूभर कर दिया, इसे छोड़ दो। पूछा तो कहने लगी कि नौकरी लगने की खुशी से ज्यादा बेटे के सीमा पर जाने का गम है। तो उस महिला से पता चला कि उसे हर बात की चिंता रहती है। उससे कहा कि नौकरी पहले देखें और खुश रहे न कि चिंतामग्न रहकर बेटे को कुंठाग्रस्त बनाए।

हमें असल में विश्वास ही नहीं होता कि हमारे बिना भी परिवार, बच्चे तथा दुनिया के कार्य सम्पूर्ण हो सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं। वहां जाकर भगवान से फरियाद करते हैं कि अब तुम्हीं को सब कुछ करना है, किंतु घर आने पर फिर वही चिंता, कि यह सब कैसे होगा? आदि। चिंता के कारण हम किसी भी समस्या का सही समाधान नहीं प्राप्त कर पाते और क्रोधित रहते हैं। यह क्रोध परिवार व बच्चों में भी फैलता है। इससे अच्छा यह होगा कि हम अपनी चिंताओं को उस मालिक को सौंप दें जिन्हें हम अपना पूज्य मानते हैं और उत्साहवर्धक होकर अपने कर्म में लग जाएं। हम देखेंगे कि कार्य अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। सिर्फ चाहिए भरोसा तथा विश्वास।

शहरी विकास स्थायित्व

डॉ0 अचला मेदिरत्ता

भारत में शहरीकरण तेजी से और बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगले 10 से 20 वर्षों में इसकी शहरी जनसंख्या वर्तमान 350 मिलियन से बढ़कर 600 मिलियन होने का अनुमान है।

यह बहुत सी चुनौतियां पेश करता है जिसका पैमाना और महत्त्व अप्रत्याशित है। यह देखते हुए कि मूल अवसंरचना के लिए सीमित पहुॅच उपयोग, विभिन्न आय समूहों के बीच वितरण में अपर्याप्तता और असमानता की समस्याएं और कुशल और प्रभावी प्रबंधन के अभाव में युग्मित (coupled) अवसंरचना आवश्यकताएं एवं असमान वितरण के फलस्वरूप अप्रभावी संपर्क और नुकसान हुआ है तथा शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की कमियों को निम्न आय वर्ग और जनसंख्या के गरीब वर्गों द्वारा अवशोषित किया जाता है। शहरों का अविनियमित और अव्यवस्थित विकास आगे चलकर शहर की बुनियादी सुविधाओं पर दवाब डालता है। शहरीकरण अति भीड़–भाड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अपर्याप्त सेवा व्यवस्था को प्रकट करता है जिसके फलस्वरूप पर्यावरण को क्षति पहुंचती है।

इस पर ध्यान देने के लिए पहले ही एक पुनर्विचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरू में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए आकलन किया गया है। यदि बुनियादी जनसुविधाएं उपलब्ध करानी हैं तो अगले दो दशकों में लगभग 50,00,000 करोड़ रूपये का अपेक्षित निवेश क्रम में होगा। अतः विजन स्थायी शहरों को सुनिश्चित करने और ध्यान देने पर ध्यान केन्द्रित करना है। शहरी क्षेत्र जीडीपी में लगभग 62 प्रतिशत से 63 प्रतिशत का योगदान देता है जिसके वर्ष 2021 में बढ़कर 75 प्रतिशत होने की संभावना है। भविष्य में 70 प्रतिशत से अधिक नए रोजगार मोटे तौर पर शहरों में सृजित होंगे। शहरों के आर्थिक निष्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंध बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। तथापि तेजी से बदलते इस विश्व में शहर तेजी से आपस में जुड़ रहे हैं और भविष्य में रोजगार सृजन और निवेश के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी और ग्रामीण विकास का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय विकास रणनीतियों का यूरोपीय देशों के समान पुनरूत्थान करना आवश्यक है जिसे आगामी वर्षों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के संपर्क में एक वैधानिक ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय नियोजन में वर्तमान शहरी वातावरण, शहरी प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जवाबदेही के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। क्षेत्रीय नियोजन की नीति रूपरेखा में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण जनता के जीवन को बेहतर बनाना और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले तरीकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज नीति निर्माता और रणनीति नियोजक स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों के बीच महत्वपूर्ण स्थानिक योजना इकाई के रूप में क्षेत्र को तलाश रहे हैं जो स्थानिक हितधारकों को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय–पार नीति और नेटवर्क के साथ जोड़ता है और संसाधनों को प्रभावी रूप से जुटाने के लिए सक्षम बनाता है, जहां विकेन्द्रीकरण या तो कमजोर है अथवा अभी किया जा रहा है।

स्थानीय विकास को प्रोत्साहन देने के प्रयासों में सूक्ष्म–क्षेत्रीय स्तर पर योजना बनाना प्रभावी साधन हो सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्थितियों को सुलझाने के लिए एकीकृत शहरी ग्रामीण विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कृषि–भूमि के गंभीर खंडीकरण सहित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सूक्ष्म–क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन किस प्रकार प्रभावी नियोजन पर आधारित है।

शहरी विकास पर ध्यान देने और इसे चैनेलाइज करने के लिए मास्टर प्लान निर्माण और कार्यान्वयन को शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रित बनाकर आक्रामक रूप से शुरू किया जाना है। सांविधिक योजनाओं और विकास के माध्यम से भूमि और संपत्ति विकास के विनियमन को शहरी नियोजन प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। भू–उपयोग और परिवहन के उपयुक्त एकीकरण का होशपूर्वक पालन किया जाए। परिवहन योजना आंतरिक रूप से भू–उपयोग योजना से जुड़ी है और पूरी जनता की सेवा करने के लिए दोनों को मूल रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है। हमारे शहरों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त होते शहरी स्थानीय निकायों को फंड, कार्यों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। शहरी प्रयास अब संस्थागत रूप में इस तरह से स्थित है जो उन्हें उत्तरदायी और सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से शहरी निवेश और आजीविका के अवसर सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय सरकार के स्तर पर कार्यान्वयन और लागू करने में विफलता के लिए उत्तरदायी मानकों के माध्यम से शहरी नियोजन विनियमों को लागू करने के महत्व के साथ मजबूत तंत्र के माध्यम से सख्ती से शुरू किया जाता है।

शहरी गरीबों को नियोजन प्रक्रिया में एकीकृत करना। आर्थिक अवसरों की तलाश में आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण नगरों और शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि अब स्लम पूरे शहरी आवास का 1/4 है। मुम्बई जैसे दस लाख से अधिक आबादी वाले अधिकांश शहरों में स्लम शहर के बीचों–बीच हैं और इनमें आधी से अधिक जनसंख्या रहती है। तेजी से बढ़ रही आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक रणनीति संबंधी नीतिगत मामला है और निरंतर रहेगा क्योंकि मलिन बस्तियों में रहने वाले कम से कम एक अरब लोगों को आवासीय एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी विकास को समग्र रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण की बुराइयां बनाम शहरी नियोजन में भू–उपयोग, सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और अधिक कुशल परिवहन जैसे आपस में जुड़े मामलों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहार्य सार्वजनिक परिवहन विकल्प सहित कार्य–केन्द्रों के निकट विशिष्ट पॉकेटों को चिन्हित करके घर से कार्यस्थल की यात्रा की अवधि और दूरी को कम करने की संवदेनशीलता और ऊर्जा लागत में बचत करने हेतु एकीकृत और समावेशी रूप से विचार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय आवास राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों से निपटने और स्थायी शहरीकरण सुनिश्चित करने में शहरी विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो भवनों में ऊर्जा–दक्षता, शहरी विकास, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और संरक्षण की ओर मॉडल बदलाव में सुधार के माध्यम से आवासों के स्थायित्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 2005 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, इसका लक्ष्य

शहरी अवसंरचना के एकीकृत विकास और आवास, जलापूर्ति, सफाई, स्लम में सुधार इत्यादि सहित शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं की व्यवस्था के साथ शहरी विकास और सेवाओं के एकीकृत विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करना है और शहरी क्षेत्र में सरकार का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य परिधीय शहरी क्षेत्रों, उनके बाहरी विकास, शहरी कोरिडोर, नागरिक सुविधाओं के वितरण को बढ़ावा देना और शहरी गरीबों तक बढ़ी पहुंच के साथ आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था, शहर के भीतरी क्षेत्रों का नवीकरण, सस्ती कीमतों पर पट्टे की सुरक्षा, उन्नत आवास और पर्यावरण संबंधी एवं सामाजिक सेवाओं का एकीकृत विकास करना है।

मिशन सुधार प्रेरित है अर्थात राज्यों और शहरों को परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त अनुदान पाने के लिए पूर्व–शर्त के रूप में सुधार करना अपेक्षित है। इन सुधारों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय हालत में सुधार लाना, सृजित संपत्ति की स्थिरता, उन्नत और उत्तरदायी शासन और वस्तुतः सेवा प्रदान करना है।

मंत्रालय का मिशन को जारी रखने का इरादा है जिसमें अधूरी कार्यसूची को कार्यान्वित करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कवरेज का विस्तार करने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधार अभियान भी प्रस्ताव में हैं। उसी प्रकार मौजूदा राज्य स्तरीय और शहरी स्थानीय निकाय स्तर के अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों को विस्तार देना होगा और संसाधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

शहरों को अनिवार्यतः बढ़े निवेश के संशोधन पर ध्यान देते हुए शासन एवं वित्त के ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए और स्पष्ट कार्यों के साथ स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और निवेश एवं सेवा पर निर्णय लेने की स्वायत्ता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के इंजन के रूप में कार्य करना होगा, साथ ही नागरिकों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा।

इस संदर्भ में शहरी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि अब शहरी विकास मंत्रालय की नीति घोषणाओं के केन्द्र में है। शहरों में आर्थिक और सामाजिक विकास, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से धन बनाने के इंजन के रूप में अपार संभावना है। देश के आर्थिक विकास के लिए उच्च शहरी उत्पादकता के माध्यम से उन्हें स्थाई बनाए रखने और बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के आर्थिक विकास और गरीबी कम करने के प्रयासों को तेजी से शहरों एवं नगरों की उत्पादकता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भारतीय शहरों के लिए विकासोन्मुख और उत्पादक होने हेतु एक प्रतियोगी शहरी प्रणाली को प्राप्त करना आवश्यक है। यह शहरी अवसंरचना के वितरण में दक्षता और इक्विटी तथा वित्तपोषण पर निर्भर करता है।

अब हम एक अभिन्न अंग के रूप में स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों को सजग शहरी योजना प्रोत्साहन के लिए साधनों के रूप में नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। किसी शहर को तब 'स्मार्ट' पारिभाषित किया जा सकता है जब मानव और सामाजिक पूंजी तथा पारंपरिक परिवहन और आधुनिक संचार आईसीटी अवसंरचना में निवेश स्थायी आर्थिक विकास और भागीदारी शासन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ जीवन की उच्च गुणवत्ता को बढ़ाता है।

यहां स्मार्ट शहर एक ऐसा शहर होगा जिसके समुदाय ने सीखना, मेल बैठाना और नवपरिवर्तन करना सीख लिया है। यहां स्थिरता को स्मार्ट शहरों के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है।

हिन्दी भाषा का लिंग विधान

प्रभाष कुमार

प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसके शब्दों की मौलिक विशेषताएं हुआ करती हैं जो उस भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाती है। हमारी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है ।

हां, हिन्दी भाषा में विरूद्ध तर्कों की कोई कमी भी नहीं है। उनमें से एक तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि हिन्दी भाषा का लिंग विधान बहुत अस्पष्ट है, अनियमित है अर्थात पूर्णतया उलझन पूर्ण है। इस तर्क को हम झूठा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है।

हिन्दी में लिंग निर्णय के मुख्य रूप से दो आधार माने गए हैं, जो इस प्रकार हैः–

(क) **शब्दों में अर्थानुसार** : शब्दों के अर्थानुसार पुल्लिंग मोटी, मजबूत, कठोर, भारी, दृढ़, उग्र, सहनशील तथा उत्कृष्ट वस्तुओं का परिचायक होता है।

(ख) **शब्दों के रूप के अनुसार** : इसके अनुसार स्त्रीलिंग बारीक, कमजोर, कोमल, हल्की, अस्थिर, मनोहर, सुकोमल, मधुर और निकृष्ट वस्तुओं का द्योतक समझा जाता है ।

दूसरे यानी शब्दों के रूप के अनुसार हिन्दी वर्णमाला के इकारान्त, ईकारान्त और ऋकारान्त शब्दों को छोड़कर प्रायः सभी शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं किन्तु इसके अपवाद भी खूब हैं ।

हम आम तौर पर यही जानते हैं कि हिन्दी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं (पुल्लिग और स्त्रीलिंग) लेकिन जब हम इनकी गहराई में उतरते हैं तो कुछ और तरह के तथ्य भी हमारे सामने प्रकट होते हैं जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिग हैं और उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, इसके नमूने आरक्षी, तैराक, वैज्ञानिक, चित्रकार, खिलाड़ी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजदूत, सांसद, और चालक आदि शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं तैराक, चित्रकार, खिलाड़ी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजदूत नहीं होती, होती हैं, और आगे भी होती रहेंगी और अपना दायित्व अच्छे से निभाती रहेंगी, परन्तु हिन्दी भाषा में इसके लिए अलग से स्त्रीलिंग शब्द नहीं हैं, हां जरूरत पड़ने पर इन शब्दों के पूर्व महिला शब्द जोड़कर इनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। हमारी सांसद, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे देश की खिलाड़ी आदि शब्दों के द्वारा इनके स्त्री रूप का परिचय दिया जाता है।

इसी तरह के कुछ शब्द हमारी हिन्दी भाषा में हैं जिनके सिर्फ स्त्रीलिंग रूप हैं, इनके पुल्लिग रूप होते ही नहीं। जैसे अप्सरा, सती, सौत, सुहागिन आदि में से कुछ के बारे में नीचे बताया गया हैः–

अप्सरा – इन्द्र की सभा में नृत्य करने वाली देवांगना या फिर परी को कहा जाता है जो प्रकृति से ही स्त्री जाति की होती है। अतएव इस शब्द के पुल्लिग रूप की सम्भावना नहीं होने से इसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। वैसे नृत्य करने वाले पुरूष को नर्तक तथा नारी के लिए नर्तकी शब्द की व्यवस्था है।

सती – ऐसी पतिव्रता स्त्री को कहा जाता है जो अपने पति के शव के साथ चिता में जल जाती थी। प्राचीन काल में सती प्रथा थी लेकिन आजकल ऐसी प्रथा अवैध है। सती शब्द के पुल्लिग रूप की कभी आवश्यकता ही नहीं रही अतः इस शब्द का कोई पुल्लिग रूप नहीं है। अगर पत्नी के शव के साथ पति के जलने की बात होती तो सती शब्द के पुल्लिग रूप की जरूरत महसूस की जाती।

सौत – किसी स्त्री के पति की दूसरी पत्नी को कहा जाता है लेकिन किसी पत्नी या प्रेमिका के दूसरे पुरूष या प्रेमी होने की सम्भावना तो है मगर हमारी हिन्दी भाषा में इसके लिए किसी दूसरे शब्द का विधान नहीं है इसी वजह से सौत शब्द का कोई पुल्लिग रूप नहीं है।

सुहागिन – उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित होता है, मगर जिस पुरूष की पत्नी जीवित होती है उसके लिए हिन्दी में किसी शब्द का विधान नहीं है। यहां सुहागिन शब्द के पुल्लिंग रूप की जरूरत ही महसूस नहीं की गई।

यहीं नहीं, हिन्दी भाषा में द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी शब्द भी हैं अर्थात एक ही शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। हार एक ऐसा शब्द है जो उभयलिंगी है। हार का अर्थ पराजय होने पर स्त्रीलिंग और माला के अर्थ में प्रयोग होने पर पुल्लिंग हो जाता है। जैसे (क) शतरंज के खेल में स्नेहिल की हार हो गई (ख) केशव ने नेता जी के गले मे फूलों का हार पहनाया। पहले वाक्य में हार स्त्रीलिंग तथा दूसरे वाक्य में हार पुल्लिंग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बेल, चांद, ताक, विधि और बाट आदि ऐसे ही द्विलिंगी शब्द हैं जिनमें से कुछ का उदाहरण नीचे दिया गया हैः–

बेल– श्रीफल जो कि एक प्रकार का फल है और इसके सेवन से कब्जियत दूर होती है (पुल्लिंग)

करेले की बेल नीम के पेड़ पर चढ़ी जा रही है (स्त्रीलिंग)

चांद – आकाश में पूर्णिमा का चांद बहुत अच्छा लग रहा है (पुल्लिंग)

चिंता की वजह से उसकी चांद के बाल ही उड़ गए है (स्त्रीलिंग)

विधि – कोई भले ही कितना अन्याय करे पर विधि (ब्रह्मा) का विधान जरूर न्याय करता है (पुल्लिंग)

तुम्हारे काम करने की जो विधि है वह लाजवाब है (स्त्रीलिंग)

हिन्दी भाषा के लिंगों के सम्बन्ध में जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि पुल्लिंग शब्द अधिकतर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं एकवचन के रूप में नहीं, जैसे कि होश, प्राण, आंसू आदि जिनमें से कुछ का उदाहरण नीचे दिया गया हैः–

होश – परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसके होश ही उड़ गए।

प्राण – झूठी खबर सुन कर मेरे तो प्राण ही निकल गए थे।

आंसू – वर्षो से खोए हुए अपने भाई को देख कर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े।

किसी भी भाषा में धीरे–धीरे परिवर्तन होता है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सहज व स्वाभाविक परिवर्तन भाषा को जीवंत बनाता है उसमें सरलता लाता है। भाषा का विकास भी इसी तरह होता है। हिन्दी भाषा भी अपना सहज और स्वाभाविक परिवर्तन करती हुई निरन्तर विकास की दिशा में अग्रसर हो रही है।

हिन्दी भाषा में लिंग निर्णय की सूक्ष्म जानकारी की दृष्टि से बहुवचन पुल्लिंग शब्दों का स्पष्ट ज्ञान होना अपने आप में निश्चित रूप से विशेष महत्व रखता है। इससे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मानसिक धरातल की भी पहचान होती है।

निस्संदेह हिन्दी भाषा का लिंग विधान अपने आप में अनूठा है।

छोटी–छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें

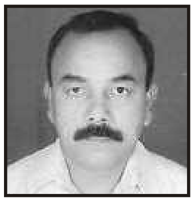

विमल कुमार

मानव जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में हमें कुछ बातें बहुत छोटी दिखायी देती हैं लेकिन यदि हम इन छोटी–छोटी बातों पर थोड़ा भी ध्यान दें तो इनसे मानव को बहुत लाभ पहुँचता है। मैं ऐसी ही कुछ छोटी–छोटी मगर बड़ी बातों को यहाँ बताने जा रहा हूँ।

आज के आधुनिक युग में बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के हर पग पर हमें बिजली का उपयोग करना पड़ता है। चाहे मेट्रो में आना–जाना हो, चाहे घर की किचन अथवा कार्यालय हो, बिजली के बिना इनमें काम करने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन दुःख का विषय यह है कि हम सब यह जानते हुए भी बिजली की बर्बादी को रोकने तथा बचाने की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उत्पादन से ज्यादा बिजली की खपत हो रही है। आज दो–चार घंटे बिजली नहीं आने से हम लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन बिजली को बचाने का हम जरा भी प्रयास नहीं करते। मुझे दुख होता है यह देखते हुए कि सरकारी कार्यलयों में बिजली की बर्बादी सबसे अधिक होती है। अतः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे कमरे में न हों तो कूलर, लाईट, पंखे आदि बंद कर दें। हमारे ऐसा करने से जो बिजली बचेगी, उसका उपयोग अन्य लोग कर सकेंगे।

सभी जीवों के लिए साँस लेना आवश्यक है, इसके लिए हवा में ऑक्सीजन की उचित मात्रा होनी आवश्यक है। तभी हमें लाभ होगा। यदि हवा में कार्बन–डाई–ऑक्साईड अधिक होगी तो लोगों को साँस में ऑक्सीजन की उचित मात्रा न मिलने से उनको कई बीमारियां हो जाएंगी। अभी हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा है कि हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से काफी लोग समय से पहले ही मौत के मुँह में चले जाते हैं। हमें अपने घरों के आस–पास अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। घरों के अंदर गमलों में छोटे–छोटे पौधे लगाएं ताकि हमें ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिल सके। साथ ही पेड़ों को अनावश्यक रूप से न काटें।

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने काम को ईमानदारी व लगन से पूरा करना व कार्यालय में अनुशासन का ध्यान रखना जरूरी है। सरकारी कार्यालयों में यह देखने में आता है कि कुछ अधिकारी व कर्मचारी अपने काम से जी चुराते हैं। वे अपना काम पूरी लगन से नहीं करते अपितु इसे बोझ समझते हैं। इससे देश को बहुत हानि होती है।

जल ही जीवन है, सभी लोगों को इसका पता है लेकिन जल बचाने का प्रयास फिर भी कोई नहीं करता। दिनोंदिन पानी की कमी होती जा रही है। पिछले साल तो कई स्थानों पर पानी के लिए लोगों में झगड़ा भी हुआ था। लेकिन कुछ लोग फिर भी पानी को बर्बाद करते रहते हैं। पानी की एक–एक बूँद कीमती है। हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह जल की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाए व वर्षा के जल को तालाबों आदि में इकट्ठा करने के उपाय करे ताकि भूमि का जल स्तर बढ़े।

ऐसी ही काफी छोटी–छोटी बाते हैं जिन पर हम ध्यान दें तो स्वयं, समाज व देश का भला कर सकते हैं। हमें इन छोटी–छोटी परन्तु महत्वपूर्ण बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।

समाज में एक विकृति बड़ी तेजी से फैलती जा रही हैं कि बेटे माता–पिता की सेवा न करके उन्हें वृद्धावस्था में छोड़ देते है और कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। वृद्धाश्रम में वे अपने माता–पिता के लिए अंशदान भी देते हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि माता–पिता प्यार के भूखे होते हैं और बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों की दो मीठी बातें ही बीमार के लिए दवाई जैसा लाभ पहुँचाती हैं।

अतः बच्चों को भारतीय परम्परा का पालन करते हुए अपने माता–पिता की सेवा करनी चाहिए। भारतीय परम्परा में माता–पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और माँ को स्वर्ग से भी महान माना गया है। अतः हमें अपनी भारतीय परम्परा को अपनाना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी–छोटी बातों पर अमल किया जाए तो ये छोटी–छोटी बातें ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

कलियुग का भगवान

रतन सिंह

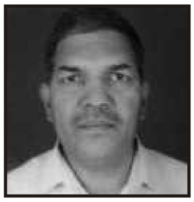

भौतिक सुखों के दौर में दौड़ा जा रहा है तू,
मेरे महत्व को भूला जा रहा है तू।

मैंने निस्वार्थ भाव से तुझसे प्रेम किया है,
फल, फूल और शुद्ध वातावरण तुझको दिया है।
मैंने सब कुछ अपना तुझे अर्पण किया है,
बदले में तूने मुझे क्या दिया है?

हे मानव अगर चाहता है जीवन में
सुख, समृद्धि और शुद्ध बयार,
तो करना होगा मुझको प्यार।

हे मानव! मैं पर्यावरण हूँ,
यह अपनी सोच बनाओ।
कहते गीता, बाइबिल और कुरान,
वृक्षारोपण कार्य है महान।
अब भी जाग जा तू इंसान,
कलियुग का मैं हूँ भगवान।

शिक्षा में अशिक्षा

उदयवीर सिंह प्रजापति

शिक्षा के क्षेत्र में आज विचार करने की अति आवश्यकता है। सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च करके जिन विद्यालयों का निर्माण किया, इन्हीं विद्यालयों से हमारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं विद्यालयों से हमने भी उचित शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी पाई है। उन्हीं विद्यालयों में पढ़कर डाक्टर, वकील, जज और ज्ञानी जैल सिंह जैसे महापुरूषों ने देश की सत्ता को संभाला। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों से हमें घृणा हो रही है क्योंकि सरकार ने इन विद्यालयों को नजर अंदाज कर दिया है, सरकार ने अगर अध्यापकों की उचित समय पर नियुक्ति की होती तो ये विद्यालय आज छात्रों से नदारद नहीं होते, फिलहाल जितने अध्यापक सेवा में हैं वो अनुशासन का पालन नहीं करते। अधिकतर देखा जाता है कि अध्यापक विद्यालयों में समय पर उपस्थित नहीं होते। जहां विद्यालय का समय सुबह 7 बजे से होता है वहीं अध्यापक 11 बजे स्कूल पहुंचते हैं और हाजिरी लगाकर 1–2 घंटे में वापिस चल देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर ही नहीं है।

अभिभावकों को मजबूरन अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराना पड़ता है। आज के युग में शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है। पिछले दो दशक से विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या में द्रुत गति से वृद्धि हुई है। शिक्षाविद् उसे मशरूमिंग (कुकुरमुत्ता वृद्धि) की संज्ञा देते हैं। प्रत्येक शहर और हर जनपद में ऐसे विद्यालय देखने को मिल जाएंगे जो बिना किसी शर्त के छात्रों को उत्तीर्ण होने की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जितना अधिक पैसा खर्च करोगे, उतने ही अधिक अंक आपको मिल जाएंगे। ऐसे विद्यालय शिक्षित व्यक्तियों की संख्या को नहीं बढ़ा रहे, अपितु उपाधिधारकों की लाइन व बेरोजगारों की भीड़ को अधिक लम्बा कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय खाली पड़े हैं इससे अधिक चिन्ता का विषय और क्या हो सकता है? जिन विद्यालयों में छात्रों को दोपहर का खाना मुफ्त दिया जाता है और शिक्षा शुल्क नाम मात्र लिया जाता है फिर भी अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश कराने में संकोच करते हैं। रात–दिन कठिन परिश्रम करने के पश्चात अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों में कराने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां पर इन निजी संस्थाओं (विद्यालयों) में शुल्क इतना अधिक लिया जाता है कि अभिभावक धन जुटाने के लिए परेशान रहते हैं। विद्यालय के नाम पर एक छोटा सा मकान बनाकर स्कूल की संज्ञा दे दी जाती है और बढ़ा–चढ़ाकर तारीफ की जाती है कि इनमें सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले वर्ष शिक्षा शुल्क कम लिया जाता है जिससे अभिभावक खुश होकर अपने बच्चों का प्रवेश करा देते हैं। दूसरे वर्ष उसी विद्यालय से एक सूची तैयार की जाती है। शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, वर्दी, किताब, कॉपी शुल्क यहां तक कि रबर, पैंसिल शुल्क और सबसे बड़ी बात बिल्डिंग शुल्क आदि–आदि शुल्क लगाकर अभिभावक को एक तरह से वित्तिय परेशानी में डाल देता है। कुछ विद्यालय ऐसे देखे गए हैं जहां पर सिर्फ परीक्षा काल में ही छात्रों की संख्या दिखाई देती है। धन अर्जित करने के लिए छात्रों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराया जाता है। लेकिन ऐसे विद्यालय इस देश को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को शिक्षा के नाम पर व्यवसायिक केन्द्र बना दिया गया है। सरकार को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों पर रोक लगाई जाए और जब तक अध्यापकों की नियुक्ति न हो तब तक बेरोजगार अध्यापकों की दैनिक भत्ते पर अस्थायी नियुक्ति करें

और सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाएं। गाँव, कस्बा, शहर, कॉलोनी में एक शिक्षा समिति का गठन किया जाए और समय–समय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका मुआयना करें ताकि विद्यालयों में अध्यापक और कर्मचारी अनुशासन में रहकर छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करें।

इसी के साथ सरकारी अथवा प्राइवेट विद्यालयों में निजी संस्करण की पुस्तकों की जगह सरकारी प्रकाशन, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कोर्स विद्यालयों में लगाए जाएं। इस तरह से सरकार को भी फायदा होगा और अभिभावकों/छात्रों को शिक्षा पर कम धन खर्च करके अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। अकसर देखा जा रहा है कि जहां निजी विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश मिलने के बाद निजी संस्थाएं अपने संस्करण का कोर्स लगाते हैं, जिससे निजी संस्थाओं को काफी मुनाफा होता है। जो कापी बाजार में दस रूपये की मिलती है, वही कापी इन विद्यालयों में 30 से 35 रूपये में छात्रों को दी जाती है। जो किताब 20 रूपये की बाजार में मिल सकती है, वही किताब निजी विद्यालय अपने विद्यालय का नाम छपवाकर छात्रों से 70–80 रूपये वसूलते हैं जोकि सरासर गलत है। इस तरह के विद्यालयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा उन सभी अभिभावकों व छात्र–छात्राओं से निवेदन है कि उपरोक्त कथन को मद्देनजर रखते हुए आगे आएं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं तथा सरकारी शिक्षा संस्थानों को प्राथमिकता दें।

◇◇

लघु कथा

संकलन : सुदेश वर्मा

एक साधु बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके जीवन का आखिरी क्षण आ पहुँचा। आखिरी क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया। जब सब उनके पास आ गए तब उन्होंने अपना पोपला मुँह पूरा खोल दिया और शिष्यों से बोले– 'देखो! मेरे मुँह में कितने दांत बच गए?' शिष्यों ने उनके मुँह की ओर देखा।

कुछ टटोलते हुए वे लगभग एक स्वर में बोल उठे– 'महाराज! आपको तो एक भी दांत नहीं है। साधु बोले देखो, 'मेरी जीभ अवश्य बची हुई है।' इस पर सबने कहा– 'पर यह हुआ कैसे? मेरे जन्म के समय जीभ थी और आज मैं यह चोला छोड़ रहा हूँ तो भी यह जीभ बची हुई है। ये दांत पीछे पैदा हुए, ये जीभ से पहले कैसे विदा हो गए? इसका क्या कारण है, कभी सोचा?'

शिष्यों ने उत्तर दिया– 'हमें मालूम नहीं। महाराज, आप ही बतलाइए।'

उस समय मृदु आवाज में संत ने समझाया– 'यही रहस्य बताने के लिए मैंने तुम सबको इस बेला में बुलाया है। इस जीभ में माधुर्य था, मृदुता थी और खुद भी कोमल थी। इसलिए ये आज भी मेरे पास है परन्तु मेरे दांतों में शुरू से ही कठोरता थी। इसलिए वे पीछे आकर भी पहले खत्म हो गए। अपनी कठोरता के कारण ही वे दीर्घजीवी नहीं हो सके। दीर्घजीवी होना चाहते हो तो कठोरता छोड़ो और विनम्रता सीखो।

आम जनजीवन में अंग्रेजी की घुसपैठ

हेमेन्द्र सिंह

आजकल अंग्रेजी बोलने का फैशन कुछ इस प्रकार चल गया है कि हम भारतीय अंग्रेजों से भी चार कदम आगे निकल चुके हैं। अब देखिए न, अंग्रेजी का सहारा लेकर लोग 'एक्सक्यूज मी' कहकर दूसरों को धकियाते हुए बस में चढ़ जाते हैं और हम जैसे हिन्दीप्रेमी लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। मैंने तो यहां तक महसूस किया है कि इस भाषा का एक छोटा–सा जुमला आपके सौ खून माफ कर सकता है। बस जरा नकली उदासी चेहरे पर लाइए और कह दीजिए 'सॉरी' फिर उसी ढ़र्रे पर वापस लौट आइए। यानि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी आए चोखा। आजकल सदा से राम–राम कहने वाले पंडित जी मिलने पर 'गुड मॉर्निंग' और 'गुड आफ्टरनून' कहने लगे हैं।

कल पड़ोस की श्रीमती जी मिलीं तो मैंने शिष्टाचारवश पूछा – कैसी हो चाची? उत्तर मिला 'आई एम फाइन'। फिर मैंने पूछा, 'चाची यह अंग्रेजी क्यों सीख ली? उत्तर मिला – 'हाई सोसायटी' के लोग 'टॉक लाईक दिस ओनली'। मैं सुनकर अवाक रह गया। यानि, यह एक नई भाषा को सीखने की चाहत नहीं, वरन् आधुनिकता ओढ़े हुए नकली मानसिकता है जो हमें अपनी पहचान खोने पर विवश कर रही है। हाई सोसायटी की लिस्ट में नाम लिखवाना है तो फिर अंग्रेजी तो बोलनी ही पड़ेगी, भले ही वह गलत क्यों न बोली जाए।

एक दिन बस में बैठे हुए दो किसानों का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ा। पहले ने कहा– गाँव में क्या हो रहा है? दूसरे ने तपाक से उत्तर देते हुए कहा– कुछ नहीं 'राइस' की कटाई का 'वर्क' हो रहा है। 'व्हेदर' का क्या भरोसा कब 'चेंज' हो जाए। इसलिए जल्दी काट रहा हूँ। कहीं 'क्रोप वेस्ट' न हो जाए।

पहले वाले किसान ने अजीब सा मुँह बनाते हुए पूछा– का हुआ बचुआ? का अपनी भाषा भुलाए गए हो। दूसरे ने कहा– ये दिल्ली है। हमारा गाँव नहीं, मत बोलिए, लोग देहाती समझेंगे।

मैं समझ गया गाँव की मीठी–मीठी बोली की मिठास पर भी अंग्रेजी ने डाका डाल दिया है। आज हम अपनी बोली, वेशभूषा, खानपान, संगीत, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ खोते जा रहे हैं।

दूसरी भाषाओं को सीखना और उसका आवश्यकतानुसार प्रयोग करना बुरा नहीं है, किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम आधुनिकता के मोह में पड़कर अपनी भाषा का तिरस्कार करते हैं। यहां तक कि हिन्दी फिल्मों एवं हिन्दी के प्रयोग द्वारा करोड़ों रूपए कमाने वाले फिल्म निर्देशक एवं अभिनेता–अभिनेत्रियां भी अपनी आधुनिकता दिखाने के चक्कर में इतराते हुए कहते हैं– आई डोन्ट नो हिन्दी।

अतः आवश्यकता है कि आज हम गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार करें तभी हम अपनी मानसिकता बदल सकेंगे एवं अपनी भाषा एवं संस्कृति को अपनाकर अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। यहां एक प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां उद्धृत करना सही होगाः–

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिए को शूल"

मेरी माउंट आबू यात्रा

ललित मेहता

शानदार राजस्थान के मरुस्थल एवं गर्म भूमि में स्थित माउंट आबू राज्य का एकमात्र छोटा सा पर्वतीय स्थल (हिल स्टेशन) है जिसे सूर्यास्त का शहर भी कहते हैं और यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह खुशनुमा पर्वतीय स्थल राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में जिला सिरोही में स्थित है तथा समुद्र तल से औसतन 1220 मीटर की ऊँचाई पर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। राजस्थान में गर्मियों के दौरान पर्यटकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जोकि रेगिस्तान क्षेत्र में स्वर्ग है। क्योंकि यह ऋषियों और मुनियों के लिए तपस्या का स्थल रहा है इसलिए प्रतिवर्ष देश के विभिन्न कोनों से तीर्थयात्री धार्मिक एवं पुण्य भूमि के मैदान, गगनचुम्बी पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, मनमोहक दृश्यों एवं अच्छी सेहत के लिए इसकी तरफ आकर्षित रहते हैं। यह छुट्टियां तथा हनीमून मनाने के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही यह एक धार्मिक स्थल भी है। यह मुख्य रूप से इसके विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, के लिए जाना जाता है। माउंट आबू में स्वास्थ्यप्रद वातावरण, आकर्षक दृश्यों और कला के खजाने होने के कारण यह राजस्थान की एतिहासिक भूमि पर एक रमणीय स्थल है।

यहां पहुंचने के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है जो उदयपुर में स्थित है और वहां से सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू लगभग 185 कि.मी. दूर है। इस एयरपोर्ट तक दिल्ली, मुम्बई, जयपुर एवं जोधपुर से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है। दूसरा निकटतम एयरपोर्ट अहमदाबाद है और वहां से सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू लगभग 221 कि.मी. दूर है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड है तथा सड़क मार्ग द्वारा भी आबू रोड तक देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचा जा सकता है। इस स्टेशन तक अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं अहमदाबाद से सीधी रेल सुविधा उपलब्ध है। यह दिल्ली और मुम्बई वाया अहमदाबाद की ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है। यहां से आप सड़क मार्ग द्वारा लगभग 29 कि.मी की दूरी तय करके एक घंटे में माउंट आबू की पहाड़ियों पर पहुंच सकते हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैण्ड है तथा यहां से माउंट आबू के लिए बसों की सेवाएं उपलब्ध हैं। आप टैक्सी द्वारा भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं। यहां सड़क मार्ग द्वारा भी अहमदाबाद, अजमेर, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, मुम्बई एवं उदयपुर से सीधे पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 एवं 15 समीपवर्ती राजमार्ग हैं जो आबू रोड से जुड़े हुए हैं। माउंट आबू में होटलों की भरमार है, आपको सस्ते होटल से लेकर महंगे होटल में कमरा आसानी से मिल सकता है। सप्ताहांत में कमरा मिलने में असुविधा होती है क्योंकि शनिवार एवं रविवार छुट्टी होने के कारण यहां पर निकटतम राज्यों से आने वाले पर्यटको की भीड़ अधिक होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस रात्रि 7.55 बजे चलती है और सुबह 6.01 बजे आबू रोड पहुंचा देती है तथा वापसी में प्रतिदिन रात्रि 8.50 बजे चलती है और सुबह 7.30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। यह 748 कि.मी. की दूरी लगभग 10 घंटे में तय करती है। आप दो दिन में पूरा माउंट आबू आराम से घूम सकते हैं।

यहां दिलवाड़ा जैन मंदिर के अतिरिक्त नक्खी लेक, टोड रॉक, सूर्यास्त दर्शन स्थल, हनीमून पाइंट, अधर देवी मंदिर, ज्ञान सरोवर, शंकरमठ, गौमुख, ब्रह्मकुमारी संग्रहालय, ऊँ शान्ति भवन, सन्त सरोवर, पीस उद्यान, अम्बा देवी मंदिर, गुरू शिखर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, जैन मंदिर अचलगढ़ आदि पर्यटन स्थल हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

सूर्यास्त दर्शन स्थलः– यह नक्खी झील के दक्षिण–पश्चिम में स्थित है जहां से सूर्य धीरे–धीरे दो पहाड़ियों के मध्य अस्त होते हुए चिरस्मरणीय दर्शन देता है। सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए शाम 5.15 बजे (दिसम्बर–जनवरी), शाम 6.15 बजे (फरवरी–मार्च एवं अक्तूबर–नवम्बर), शाम 6.45 बजे (अप्रैल–मार्च एवं अगस्त–सितम्बर) तथा शाम 7.15 बजे (जून–जुलाई) तक पहुंच जाना चाहिए।

नक्खी झीलः– चारों ओर हरे भरे वृक्षों की कतारों तथा ऊँची पर्वतमालाओं से घिरी यह झील बालम रसिया नामक एक सिद्ध पुरूष ने अपने हाथ के नाखूनों से खोद कर बनाई थी, इसलिए इसका नाम नक्खी झील पड़ा जो बाद में नक्की में परिवर्तित हो गया। संध्याकालीन गतिविधियों एवं नौका विहार के लिए यह प्रमुख है।

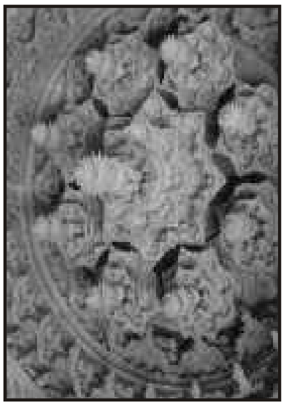

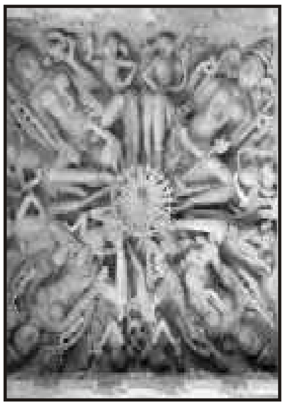

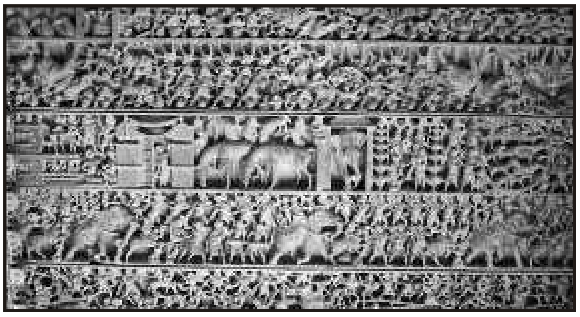

दिलवाड़ा जैन मंदिरः– आबू पर्वत पर डाकघर से उत्तर में 3 कि.मी. दिलवाड़ा गाँव में स्थित उज्जवल धवल संगमरमर से 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित यह अत्यंत प्राचीन काल से अपनी वास्तुकला, शिल्प कला, जैन सांस्कृतिक वैभव एवं कला आदि में अवर्णनीय स्थान रखता है एवं विश्व प्रसिद्ध है। बाहर से साधारण जान पड़ते इन मंदिरों के भीतरी भाग में कारीगरी के अद्भुत नमूने छिपे हुए हैं। नाना प्रकार के भावों, देवी देवता, नृत्य करती देवांगनाएं, पशु पक्षी, फूल पत्ती इत्यादि सभी ऐसे सजीव लगते हैं मानों इनमें बस प्राण डालने की देर हो। पत्थर की इतनी सूक्ष्म कारीगरी शायद ही कहीं और देखने को मिले। श्वेत संगमरमर से बने 1.विमल वसहि (श्री आदिनाथजी मंदिर), 2. लूण वसहि (श्री नेमिनाथजी मंदिर), 3. श्री ऋषभ देवजी, 4. श्री पार्श्वनाथजी, 5. श्री महावीर स्वामीजी इन पाँच मंदिरों की शोभा अवर्णनीय है जिनमें से पहले दो गहनों, सजावट एवं संगमरमर पर नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आम जनता के लिए इनमें दर्शन का समय दोपहर 12.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक है तथा सुबह व शाम का समय जैन तीर्थयात्रियों के लिए आरक्षित है।

ऊँ शान्ति भवनः– सन् 1983 में पाण्डव भवन के ठीक सामने स्थित यह भवन राजस्थान का प्रथम, भारत का तीसरा व एशिया का पाँचवा अद्वितीय स्तम्भ रहित हाल है तथा ब्रह्मकुमारी के विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का मुख्यालय है जिसमें 3 से 4 हजार व्यक्ति बैठकर अपनी–अपनी भाषा में यहां आयोजित कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालयः– आबू पर्वत पर ब्रह्मकुमारी संस्थान का मुख्यालय है। सन् 1937 में पांडव भवन में स्थापित इस विश्वविद्यालय की 50 देशों में लगभग 1500 शाखाएं हैं। अतः यहां उनके द्वारा अनेक निर्माण करवाए गये हैं। इनमें नक्की लेक के पास विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय, पांडव भवन, जहां प्रजापिता ब्रह्माजी की समाधि है, ज्ञानसरोवर आदि प्रमुख हैं।

ज्ञान सरोवरः– ब्रह्मकुमारी द्वारा 1996 में स्थापित ज्ञान सरोवर मानसरोवर की याद दिलाता है जो व्यक्ति को ज्ञान की गंगा में डुबाने में सक्षम है।

पीस पार्कः– गुरू शिखर–ओरिया मार्ग पर स्थित यह सुंदर पुष्पवाटिका ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा बनवाई गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष व फूल पौधों के साथ–साथ बच्चों के लिए झूले आदि भी हैं। यहां प्रर्दशनी के माध्यम से योग आदि का ज्ञान करवाया जाता है।

अधर देवी मंदिरः– आबू की मुख्य देवी आर्बूदा देवी ही अधर देवी हैं। इनका प्राचीन मंदिर आबू पर्वत के मुख्य बाजार के उत्तर में बस्ती से 2 कि.मी. दूर 4220 फीट ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। एक विशाल चट्टान के नीचे स्थित इस मंदिर में प्रवेश के लिए बैठकर जाना पड़ता है। व्यास मुनि ने स्कन्द पुराण में इसका वर्णन किया है। इस मंदिर तक 360 सीढ़ियों की सहायता से पहुंचा जा सकता है।

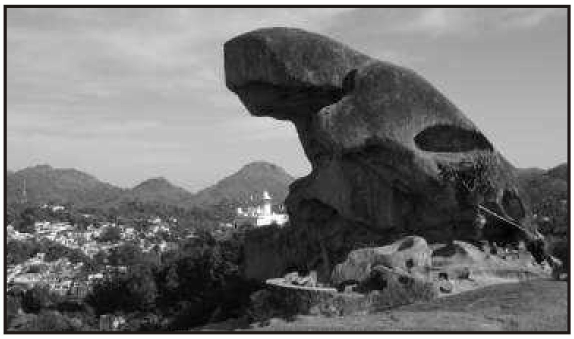

टोड रॉकः– माउंट आबू चारों ओर से बड़ी ही विलक्षण आकृतियों वाली चट्टानों से घिरा हुआ है। इन्हीं में एक है नक्खी झील के दक्षिण–पश्चिम में एक ऊँची पहाड़ी पर मेढ़क के आकार में झांकती यह विशाल शिला जो नक्खी झील में कूदने को तत्पर प्रतीत होती है। यहां से आबू शहर का बहुत ही आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। टोड रॉक के रास्ते में ही एक और अन्य दर्शनीय स्थल प्राचीन राजाओं का महल जयपुर हाउस भी देखा जा सकता है।

शंकर मठः— शहर के मध्य शिव लिंग आकार में निर्मित इस मंदिर की छत पर लाल पत्थर से बना 52 फीट ऊँचा व 35 टन वजन का एक विशाल शिवलिंग है।

अम्बा देवी शक्ति पीठः— बस स्टैण्ड से पहले पैट्रोल पम्प के पास स्थित यह एक शक्ति पीठ है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है।

तीन भैंसेंः— अचलेश्वर महादेव के निकट उत्तर में स्थित एक 900 फीट लम्बा व 240 फीट चौड़ा मंदाकिनी कुंड है जिसमें प्राचीन समय में मंदिर में पूजा अर्चना के लिए घी भरा रहता था जिसे तीन राक्षस भैंसों का रूप धारण कर पी जाया करते थे। इससे परेशान होकर ऋषियों की आज्ञा से आबू के राजा आदिपाल ने एक ही तीर से इन तीनों राक्षसों का वध कर दिया। ऋषियों ने अन्य राक्षसों को चेतावनी स्वरूप राजा आदिपाल व तीन भैंसों की मूर्तियां यहां स्थापित करवा दीं।

अचलेश्वर महादेव मंदिरः— 813 ई. में निर्मित यह मंदिर आबू का प्राचीनतम मंदिर है तथा अन्य शिव मंदिरों की भांति इसमें कोई शिवलिंग नहीं है। इसके स्थान पर एक गड्ढा है। ब्रह्म खड्ढा कहलाते इस गड्ढे के विषय में कहते हैं कि जब काशी विश्वनाथ ने पैर पसारा तो यह गड्ढा हो गया जो पाताल तक जाता है। मंदिर के सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की धातु निर्मित विशाल प्रतिमा है। इस पर अहमदाबाद के शासक मोहम्मद बेगड़ा के खजाने के लालच में किये गये प्रहारों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं।

जैन मंदिर अचलगढ़ः— अचलगढ़ एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहां अचलगढ़ किले से आगे और ऊपर जाने पर जैन मंदिरों का समूह दिखाई पड़ता है। यह आबू से 11 कि.मी पर स्थित है तथा 145 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंच सकते हैं। इसमें अनेक मंदिर हैं जिनमें अनेक जैन मूर्तियां हैं। इन मंदिरों में चौमुखा, आदिश्वर, कुंथुनाथ व शान्तिनाथ मंदिर प्रमुख हैं। यहां 1444 मन की पंचधातु की भव्य जैन प्रतिमा देखने योग्य है।

गुरू शिखरः— अरावली पर्वतमाला का यह सर्वोच्च शिखर समुद्रतल से 5653 फीट की ऊँचाई पर हिमालय व नीलगिरी के मध्य आबू से 15 कि.मी. दूर स्थित है। पार्किंग से 110 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दत्तात्रेय का मंदिर आता है। इससे आगे 185 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर शिखर पर एक मंदिर व एक विशाल घंटा देखा जा सकता है। इसकी गूंज दूर–दूर तक सुनाई देती है। आस–पास का दृश्य बड़ा विहंगम दिखाई पड़ता है।

हनीमून पाइंटः— नक्की लेक के उत्तर—पश्चिम में 4000 फीट की ऊँचाई पर स्थित आबू पर्वत का अंतिम छोर हनीमून पाइंट एकदम एकांत में होने के कारण नवविवाहितों के लिए प्रणयस्थली है और यहां प्राकृतिक रूप में आलिंगन करते स्त्री पुरूष के आकार में निर्मित शिला लवर्स रॉक कहलाते हैं। यहां से पगडण्डी द्वारा अनादरा गांव तक जाया जा सकता है। यहां एक गणेश मंदिर भी है जिससे इसे गणेश पाइंट भी कहते हैं।

अम्बा देवी मंदिरः— आबू पर्वत से 50 कि.मी. व आबू रोड रेलवे स्टेशन से 23 कि.मी. दूर स्थित है माँ अम्बा देवी का धाम अम्बाजी। संगमरमर से निर्मित इस विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसके निर्माण काल के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके स्तम्भों पर 7वीं शताब्दी के लेख मिलते हैं। नवरात्रों के अतिरिक्त प्रत्येक पूर्णिमा को यहां मेला लगता है। गुजरात की कुल देवी के इसी मंदिर में श्री कृष्ण के बाल उतारे गए थे। यहां उड़न खटोले (रोप वे) का आंनद भी लिया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भी आस—पास कई स्थान हैं जो देखने लायक हैं जैसे अचलगढ़ किला, वन्यजीव अभयारण्य आदि। स्थानीय घूमने के लिए आप टूरिस्ट बस की सेवाएं ले सकते हैं जिन्हें होटल वाले एक दिन पहले ही आरक्षित करवा देते हैं। आप स्थानीय टैक्सी को भी किराये पर ले सकते हैं तथा मोटर साईकिल भी प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं जिसमें ईधन का खर्चा आपको वहन करना होगा। यहां पर खरीदने के लिए कुछ विशेष नहीं है। परन्तु यहां पर आपको शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यहां की स्थानीय भाषा राजस्थानी, गुजराती एवं हिंदी है। जून में यहां तीन दिन का ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है और यहां महावीर जयंती बड़ी धूम—धाम से मनायी जाती है।

वैसे तो यहां पूरे वर्ष कभी भी घूमा जा सकता है परन्तु यहां घूमने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों (अक्तूबर—मार्च) का है जब यहां का पारा 7.6 डि.से. से 20.3 डि.से. के बीच रहता है। गर्मियों (अप्रैल—जून) में यहां पारा 23.3 डि.से. से 34.8 डि.से. के बीच रहता है। हालांकि मुझे यहां घूमने का मौका अगस्त यानि मानसून (जुलाई—सितम्बर) में मिला था और उस वक्त हल्की बरसात के साथ बादल जमीन को चूमते नजर आ रहे थे। ज्यों ही सूरज अपनी गर्मी को बिखेरने की कोशिश करता था त्यों ही वर्षा से भरे बादल उसकी गरमी को ठण्डा कर एक सुहावने और खुशनुमा मौसम का अहसास दिलाते थे। तो अब आप भी इंतजार मत कीजिए और जल्द ही इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को देखने की योजना बनाईए।

धूम्रपान और शराब का स्वास्थ्य पर प्रभाव

आभा अग्रवाल

जब से मानव जाति अस्तित्व में आई है तब से सिगरेट, तंबाकू, शराब, कोकिन और अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल उत्सव मनाने, धार्मिक समारोह मनाने, प्रतिष्ठा के लिए और संसार की समस्याओं से बचने के लिए किया जाता रहा है। भारत में सामाजिक अवसरों (शादी, सगाई) पर सिगरेट, बीड़ी और शराब के सेवन द्वारा मेहमानों को इज्जत देने का रिवाज़ बहुत समय से चला आ रहा है। बीड़ी और तंबाकू का सेवन ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में किया जाता है लेकिन अब यह सेवन शहरों में भी बढ़ता जा रहा है और लोगों की वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण शराब और नशीले पदार्थों (हिरोइन, कोकीन) का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है।

शराब व नशीले पदार्थों का सेवन गरीबी और तंगहाली के कारण ज्यादा होता है लेकिन वैश्विक आंकड़ें बताते हैं कि इनका संबंध सापेक्ष समृद्धि से भी है। वर्तमान में शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच परस्पर–संबंध है। आर्थिक विकास के साथ प्रति व्यस्क व्यक्ति के सेवन स्तर में वृद्धि हुई है। यह माना जाता है कि दिल की बीमारी तथा मोटेपन की बीमारी विकसित समाजों की बीमारियां हैं उसी तरह नशे की बीमारी की भी शुरूआत वहीं से हुई है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जिन देशों में आर्थिक विकास हो रहा है वहां पर यह देखा जाता है कि शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन और उनके कारण होने वाली बीमारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।

शराब और धूम्रपान लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं क्योंकि इनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये दोनों आदतें बहुत हानिकारक हैं और इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ ही परिवार और समाज में बहुत गलत परिणाम आते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के शरीर में कुछ दुष्परिणाम आते हैं। इसके कारण शारीरिक कमजोरी, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारी, मानसिक सुस्ती, रक्त चाप में बढ़ोत्तरी आदि बीमारियां व्यक्ति के शरीर में फैलती हैं। समाज में नशे के कारण हिंसा तथा सड़क दुर्घटना जैसी बुरी प्रवत्तियां भी बढ़ रही हैं।

शराब का सेवन शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। शराब का सेवन करने से जिगर तथा श्वास संबंधित बीमारी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, चिंता और बैचेनी, शारीरिक कमजोरी, दिल की धड़कन का तेजी से बढ़ना, वजन कम होना, थकान, हृदय को क्षति, दिमाग को क्षति, कमजोर याद्दाश्त आदि बीमारियां होती हैं। इस तरह शराब व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर और लाचार बनाती है।

नशीले पदार्थ मनुष्य के शरीर को खोखला बना देते हैं और इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। कोकिन, निकोटीन आदि शुरू में सिर्फ अनुभव और रचनात्मकता के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद इनकी लत पड़ जाती है और वह रक्त में घुल जाती है तथा दिमाग को प्रभावित करती है। इसका इस्तेमाल एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतः बदल देता है जिसके परिणामस्वरूप दिमाग का मंद रूप से कार्य करना, रक्तचाप का बढ़ना, सामान्य थकावट, भावुक उदासी, संभ्रांति, भ्रम, मतिभ्रम और आत्महत्या करने का विचार आता है। व्यक्तित्व का बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि कितने समय से वे इसका सेवन कर रहें हैं, कितनी मात्रा में उसका कश लिया है और कितनी गहराई से कश लिया है।

धूम्रपान करने से फेंफड़ों का कैंसर व अन्य श्वास संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक हृदयाघात होने का जोखिम होता है। अकेले अमेरिका में प्रतिवर्ष धूम्रपान से संबंधित बीमारियों के कारण 4 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तंबाकू और शराब के सेवन से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लत पड़ जाती है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तंबाकू से छुटकारा पाना कठिन है क्योंकि उसके निकोटिन में नशे की लत ज्यादा है जो सभी तंबाकू उत्पादों में मौजूद होता है। धूम्रपान की लत भी तंबाकू और शराब की तरह नुकसानदायक है। न सिर्फ पीने वाले बल्कि उसके आसपास वाले लोगों के स्वास्थ्य पर धुएं का बुरा असर पड़ता है। संसार के कई देशों में शराब और नशीले पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए लत छुड़ाने वाले केंद्र हैं जहां पर लोगों को उनकी लत से छुटकारा दिलाने के लिए मानसिक और भावात्मक सहयोग दिया जाता है। लेकिन सिगरेट से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसी कोई संस्थाएं नहीं हैं। लेकिन ऐसे स्थान बनाए गए हैं, जहां पर आप धूम्रपान करने वालों के साथ धूम्रपान कर सकते हैं जिससे बाहर का वातावरण दूषित न हो।

मादक पेय पदार्थ, नशीले पदार्थ आदि सरकार को अतिरिक्त राजस्व का लाभ देते हैं। सरकार को शराब की बिक्री से बहुत ज्यादा वैध राजस्व मिलता है और यह माना जाता है कि शराब के उद्योग से उतना पैसा मिलता है जो काले धन के बराबर होता है।

सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह सख्त नियम लागू करे ताकि इन सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जा सके। जो लोग इन चीजों के आदी होते हैं उनको मानसिक और शारीरिक विकृति हो जाती है जो सिर्फ परिवार पर ही बुरा असर नहीं डालती बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके सेवन से स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा और सभी लोग तनावग्रस्त, दुखी, असंतुष्ट और कमजोर रहेंगे। कहा भी गया है कि मानव का समय इस संसार में बहुत अमूल्य, कम और सीमित है जिसको हमें खुशी और अपनेपन से निभाने की कोशिश करनी चाहिए।

जीवन –सूत्र

जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता,
जब तक न पड़े हथोड़ों की चोट,
तब तक पत्थर भी ....
भगवान नहीं होता।

प्रेस की भूमिका

सुबोध कुमार श्रीवास्तव

प्रेस लोकतंत्र की शक्तिशाली संस्था है। लोकतांत्रिक देशों में जहां विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है उसका सुचारू रूप से पूरा प्रयोग प्रेस ही करती है। यह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में इतना प्रभाव रखती है कि इसको "चतुर्थ स्तम्भ" कहा गया है। भारत सरकार के तीन स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बाद चौथा स्थान 'प्रेस' का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) वाक–स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत इसे रखा गया है।

पहली भूमिका जो प्रेस, लोकतन्त्र में निभाती है वह यह है कि यह जनता की प्रवक्ता के रूप में कार्य करती है। लोग सरकार की कमियों के विषय में अपनी शिकायतों को प्रेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर सरकार को भी प्रेस के माध्यम से राष्ट्र की नब्ज मालूम करना आसान हो जाता है।

वर्तमान समय में जहां एक तरफ प्रेस हमें देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों की जानकारी देती है, वहीं विदेशों में घटित घटनाओं और बदलते सामाजिक मूल्यों से भी अवगत कराती है। यह देश एवं विश्व के लोगों के लिए राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा एवं वाद–विवाद में भाग लेना आसान बनाती है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण का बहुत सारा श्रेय विश्व की स्वतन्त्र प्रेस को जाता है। यह अभी भी "वसुधैव कुटुम्बकम" की धारणा को साकार करने में प्रयत्नशील है और काफी हद तक सफल भी है।

प्रेस लोकतन्त्र में जनमत निर्माण का कार्य भी करती है। सरकार जनता के बहुमत द्वारा व्यक्त विचारों के प्रकाश में अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने में सहज महसूस करती है। आज हमें यह जानकर अत्यन्त खुशी होती है कि हमारी जनता शिक्षित व जागरूक हो रही है जिसमें प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वतन्त्रता संग्राम के प्रारम्भिक दौर से ही देश की स्वतन्त्रता के प्रति जनमानस में क्रान्ति की चेतना जाग्रत करने का बीड़ा प्रेस ने ही उठाया है। यह लोकतन्त्र का एक सशक्त पहरेदार है जिसके माध्यम से लोग इच्छा, विरोध, समर्थन व आलोचना सब कुछ प्रकट करते हैं। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनेता भी प्रेस से भयभीत रहता है। स्टिंग आपरेशन, आपरेशन दुर्योधन तथा अन्य कई वीडियोक्लिप्स जैसे– नोट के बदले वोट, विधानसभा में पोर्न वीडियो देखना आदि के माध्यम से राजनेताओं की पोल खुली है तथा इनको जवाब देना पड़ा है।

प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि इसको अपने कार्यों, उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए। यदि सेंसरशिप लगाकर या सम्पादकों और समाचार पत्र मालिकों को डरा धमकाकर प्रेस की आजादी प्रतिबंधित की जाती है तो विचारों की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति एवं समाचारों का स्वतन्त्र प्रसारण सम्भव नहीं होगा। एक स्वतन्त्र प्रेस निश्चय ही स्वतन्त्रता की मशाल को जलाए रखती है और अधिनायकवाद की शक्तियों को नियन्त्रित रखती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्यों को उद्घाटित करके अन्याय सहने

वाले की सहायता करने और अत्याचारी को दण्डित कराने की शक्ति रखती है।

वैसे प्रेस में वर्तमान में एक कमी भी दृष्टिगोचर हो रही है। प्रेस अपनी राह से कुछ भटक सी गयी है। वर्तमान में प्रेस बुराईयों का अत्यधिक मिर्च–मसालेदार रूप में प्रचार करता है, विज्ञापनों से भरा रहने तथा अपने चैनलों को प्रसिद्ध बनाने हेतु अमर्यादित घटनाओं को भी अत्यधिक जोर–शोर से दिखाती है, ऐसे लेख छापती है जिससे देश में साम्प्रदायिक या जातीय उन्माद भड़के। यदि प्रेस चरित्र हनन या अवमानना आदि में संलग्न होती है तो प्रेस को दण्डित भी किया जाना चाहिए।

प्रेस को अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार का उपयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें छपे तथ्य ऐसे न हों जो देश की एकता, अखण्डता व शान्ति में बाधक हो। प्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बिना पक्षपात या पूर्वाग्रह के लोगों को सही स्थिति से अवगत कराए जिससे राष्ट्र व समाज का सही अर्थो में हित हो। प्रेस को चाहिए कि अच्छाईयों को अत्यधिक उजागर किया जाए। राष्ट्रहित की बात की जाए जिससे लोगों में अच्छा बनने की स्वतः जिज्ञासा पैदा हो। जनता आत्म–अनुशासन का पालन करे।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि प्रेस लोकतन्त्र व मानवाधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यह विश्वशान्ति और दुनिया के बीच मित्रता की शक्तियों को बढ़ावा दे। प्रेस को कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता व अखण्डता कायम करने में अद्वितीय भूमिका निभाते हुए राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए तभी यह अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभा पाएगी और वास्तविक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगी।

जीवन –सूत्र

सुदामा जी ने श्रीकृष्ण जी से पूछा कि–
दोस्ती का मतलब क्या होता है।
श्रीकृष्ण जी ने हॅसते हुए कहा कि–
जहॉ मतलब होता है,
वहॉ दोस्ती ही कहॉ होती है।

नसीहत बाबुल की

रणसिंह सैनी

पिया मिलन की लगन लगी है,
घर बाबुल का छोड़ चली।
नित नए फूल खिलें जीवन में,
मुरझाना ना मेरी कली।

तुझे मिली नहीं माँ की ममता,
प्यार पिता का पाया है।
बिन ममता के इस जीवन में,
सदा ही पतझड़ छाया है।
होनी हो कर रहे हमेशा,
टाले से नहीं कभी टली।
पिया मिलन की लगन लगी है,
घर बाबुल का छोड़ चली।
नित नए फूल खिलें जीवन में,
मुरझाना ना मेरी कली।

घर साजन के जाकर बेटी,
सबका मान बढ़ाना तू।
मन में ना हो गिले–शिकवे,
सबको गले लगाना तू।
इन गिले–शिकवों के कारण,
तेरी ना चढ़ जाए बलि।
पिया मिलन की लगन लगी है,
घर बाबुल का छोड़ चली।
नित नए फूल खिलें जीवन में,
मुरझाना ना मेरी कली।

ननद को बहन बनाना अपनी,
समझना तू देवर को भैया।
पिता रूप में ससुर मिलेंगे,
सास रूप में मिलेगी मैया।
संस्कार ही तेरे साथ रहेंगे,
जिनमें तू खेली और पली।
पिया मिलन की लगन लगी है,
घर बाबुल का छोड़ चली।
नित नए फूल खिलें जीवन में,
मुरझाना ना मेरी कली।

यहां कली थी इस आंगन की,
वहां पर खिलना बनकर फूल।
भंग कभी ना होए शान्ति,
बातें यहां की जाना भूल।
मुझे न मालूम इस जीवन में,
कब आई सुबह, कब शाम ढली ।
पिया मिलन की लगन लगी है,
घर बाबुल का छोड़ चली।
नित नए फूल खिलें जीवन में,
मुरझाना ना मेरी कली।

जीवन –सूत्र

हम लोग अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन बेहतर कल आने पर आने वाले कल की चिंता में जीवन के आनंद से वंचित रह जाते हैं।

हर समय शिकायत करने वाला व्यक्ति कांटों की उस टहनी की तरह है जो छूने पर पीड़ा देती है और धन्यवादी व्यक्ति फूलों से लदी उस डाली की तरह है जो बिना छुए भी अपने आस–पास आने वालों को खुशबू देती है।

बहुमुखी क्षेत्रीय विकास योजना के अभाव में दम तोड़ते महानगर

उदित रत्न

स्वत्रंता के बाद देश में कई क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय योजनाएं तैयार की गईं जिनमें दामोदर घाटी योजना, दक्षिण पूर्व संसाधन क्षेत्रीय योजना, दण्डकारण्य क्षेत्रीय योजना, दमन एवं दीव क्षेत्रीय योजना, अन्डमान–निकोबार द्वीप क्षेत्रीय योजना, सिंगरौली क्षेत्रीय योजना एवं कटक–भुवनेश्वर–पुरी क्षेत्रीय योजना, पश्चिमी घाट क्षेत्रीय योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना, गोवा क्षेत्रीय योजना, इत्यादि प्रमुख हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, राजस्थान एवं गोवा जैसे प्रांतों में क्षेत्रीय योजना तैयार करने हेतु काफी बल दिया गया। देश के अधिकतर राज्यों में इन योजनाओं की तैयारी एवं उनके कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हुआ। इस बीच शिक्षा, रोजगार एवं चिकित्सा की खोज में ग्रामीण आबादी शहरों की तरफ पलायन करती रही और आज स्थिति यह है कि भारत के महानगर आबादी के दबाव से बोझिल हो रहे हैं। इनकी अवसंरचनाएं चरमरा रही हैं, सुनियोजित विकास की कमी के चलते लोग खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। महानगरों के आस–पास अनियंत्रित विकास धीरे–धीरे उपनगर का रूप धारण कर लेता है एवं वहां रहने वाले लोगों को यह आशा हो जाती है कि महानगर की सीमा विस्तार के साथ ही उनकी कालोनी भी एक दिन विकसित हो जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में महानगरों की कुल संख्या 50 है जिसके वर्ष 2031 तक बढ़कर 87 होने की सम्भावना है। बढ़ती हुई आबादी हेतु वांछित जन–सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में अन्तर बढ़ा है। महानगरों की नगरीय सीमा में निरन्तर वृद्धि हुई है एवं सीमा से सटी कृषि भूमि, खुले मैदान, चारागाह एवं हरित क्षेत्र धीरे–धीरे आवासीय भवनों एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं जो कि एक चिन्ता का विषय है। इस चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु महानगरों का विनियमन एवं उनका सही दिशा में टिकाऊ विकास तथा उनमें उच्च स्तरीय शहरी सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है। बढ़ती आबादी के बोझ से जब महानगरों का दम घुटने लगा तो राहत के लिए देश में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कानून बनाया गया। राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन लागू किया गया एवं सैटलाइट टाउनशिप का फार्मूला अपनाया गया। नगर नियोजकों, नीति निर्धारकों, राजनितिज्ञों, पर्यावरणविदों एवं अर्थशास्त्रियों की चिताएं बढ़ गई कि अपने शहर को स्वस्थ्य कैसे रखा जाए, अच्छी परिवहन प्रणाली का विकास किस तरह किया जाए, शहरों को प्रदूषण मुक्त कैसे बनाया जाए, शहरों में आजीविका के साधन कैसे जुटाएं जाएं, गन्दी बस्ती में रहने वाले लोगों की जीवन (रोटी,कपड़ा और मकान) प्रणाली के साथ–साथ उनके जीवन स्तर को समरूपता कैसे प्रदान की जाए।

आज जहां राष्ट्र में क्षेत्रीय विकास योजना की तरफ कम ध्यान दिया जाने लगा है, वहीं शहरी विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जाने लगी है। नगर एवं ग्राम विकास योजना से जुड़े संगठनों के संगठनात्मक ढांचे को देखा जाए तो पाया जाएगा कि 90 प्रतिशत से अधिक विशेषज्ञ नगर नियोजक शहरी विकास क्षेत्र (महानगर एवं संघ, यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी, आई.डी.एस.एम.टी, विशेष परियोजना, यूरिस, पर्यावरण, इनफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़े कार्यो में लगे हैं। क्षेत्रीय योजना को समेकित विकास की धारा से अलग देखा जाता रहा है। केन्द्रीय दल द्वारा विकास योजनाओं के मोनिटरिंग करने के सिलसिले में उनके भ्रमण के दौरान ऐसा पाया गया है कि अधिकतर केन्द्रीय दल महानगरों तक ही सीमित रहते हैं बजाए इसके कि वे लघु एवं मध्यम आकार के शहरों में भ्रमण कर उन नगरों में चालू योजनाओं की मोनिटरिंग करें। ग्राम विकास, पंचायत या छोटे–छोटे कस्बों में कार्यान्वित योजनाओं की

मोनिटरिंग तो बहुत दूर की बात है। राष्ट्र के विभिन्न प्राधिकरणों एवं नगरपालिकाओं की अपनी अलग विवशता है कि उनके संगठनात्मक ढांचे में क्षेत्रीय योजना को समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। योजना से जुड़े विद्यालयों/संस्थानों में भी क्षेत्रीय योजना के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जहां एक तरफ क्षेत्रीय योजना से जुडे शिक्षार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं पाठ्यक्रम समापन के बाद उन्हें क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने तो स्नातकोत्तर स्तर पर क्षेत्रीय योजना में प्रवेश ही बन्द कर दिया है ।

कभी यह पूछा जाता था कि देश का सबसे सुनियोजित शहर कौन सा है? लोगों की जुबां पर एक ही नाम आता था– चंडीगढ़। आज अगर यह पूछा जाए किः–

- देश का वह कौन सा महानगर/नगर है, जो पूरी तरह नियोजित है एवं उसका विकास संतुलित है?
- वह कौन सा नगर है जो अपराध मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ है?
- मलिन बस्ती मुक्त शहर कौन सा है?

शायद इसका उत्तर किसी भी नगर नियोजक को देना मुश्किल होगा। आम जनता का भी कुछ इसी तरह का मिश्रित जवाब होगा। इसी प्रकार जब यह पूछा जाता है कि देश में सबसे आदर्श जिला योजना किस जिले की है तो कोल्लम जिला (केरल)का नाम उभरकर आता है। प्रश्न यह है कि अब तक देश में कोल्लम के पैटर्न पर दूसरे जिलों में जिला योजना तैयार क्यों नहीं की गई एवं सुनियोजित तथा स्वस्थ शहर का निर्माण क्यों नहीं किया गया? शहरी क्षेत्र में उपलब्ध महायोजनाओं की समीक्षा करें तो ज्ञात होता है कि अब तक देश में लगभग 1500 महायोजनाएं तैयार की गईं जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरों की संख्या 7935 है। महायोजना तैयार करने वाली मशीनरी एवं नगर नियोजकों की संख्या देश में कुल नगरों की संख्या की लगभग आधी है इस तरह महानगरों की योजना की आवश्यकता एवं उन्हें तैयार करने वाली मशीनरी की आपूर्ति में बहुत बड़ा अन्तर है। शहर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें शहरी योजना पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हो पाती है उनमें से एक मुद्दा शहरी गरीबी एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण से जुड़ा हुआ है। शहर में कूड़ा बीनने वाले लाखों लोग कूड़े से अपनी आजीविका कमाते हैं। कई अनियमित क्षेत्र कूड़ा एकत्र करने, उसे अलग करने, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग और रिसाइक्लिंग रिकवरी से संबद्ध हैं। कूड़ा उठाने वालों के लिए शहरी योजना दस्तावेजों में बदतर सुरक्षा प्रावधान चिंताजनक है। क्षेत्रीय योजना में भी इस मुद्दे का हल नहीं निकाला गया है।

देश की प्रगति का आंकलन वहां के शहरों के विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। भारत सरकार ने संगठित तरीके से ग्रामीण एवं शहरी शासन की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में एक निर्णायक पहल की। इस संशोधन के उपरान्त शहरों के साथ–साथ गाँवों/पंचायतों/निकायों के लिए स्थानीय विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। इन दोनों अधिनियमों के अस्तित्व में आने से विकास परियोजनाएं निम्न स्तर पर शुरू की जा सकेंगी। उदारीकरण के दौर में गाँवों का विकास भी नितान्त आवश्यक है। जहाँ पर 73वें संविधान के तहत ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। वहीं पर 74वें संविधान संशोधन के तहत वार्ड स्तर, जिला

समिति स्तर एवं महानगर स्तर पर कार्य योजना तैयार करने की बात सम्मिलित है। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायत समितियों एवं नगर पालिकाओं के प्रभाव को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और बढ़ावा देना एवं जनता की भागीदारी जुटाना था ताकि राष्ट्र का संतुलित विकास हो। इस अधिनियम के जरिए सरकार की यही मंशा थी कि राष्ट्र का विकास ग्रामीण एवं शहरी पहलुओं को जोड़कर हो सकता है न कि इन दोनों को एक दूसरे से पक्षपात पूर्ण रवैये से अलग कर। जमीनी स्तर पर जब तक ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के साथ मिलाकर उनका विकास नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। दो दशक से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में महानगर योजना समिति एवं जिला योजना समिति का गठन सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हो पाया है। कई राज्य सरकारों का रवैया स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के प्रति नकारात्मक है। शहर में अनधिकृत भवन निर्माण, वाहनों की बढ़ती संख्या, पार्किंग समस्या, प्रदूषण, अनौपचारिक प्रक्षेत्र में बढ़ोत्तरी, बेरोजगारी, अपराध, कुशासन इत्यादि पर कोई नियंत्रण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के दोहन में तेजी हुई है, कृषि योग्य भूमि को आवासीय एवं अन्य उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन बढ़ा है एवं पंचायत समितियों एवं स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने वाली शक्तियों के बारे में उदासीनता दिखाई गई है। ऐसे में राष्ट्र के समेकित विकास पर प्रश्न चिन्ह लगना उचित ही है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिएः–

- संविधान के अधिनियम के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में (पंचायत समिति, इंटरमीडिएट पंचायत तथा जिला पंचायत) तथा शहरी क्षेत्र में (वार्ड समिति, जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति) का गठन सभी राज्यों में करना चाहिए ।
- निचले स्तर पर निर्मित स्थानीय निकाय/पंचायत समितियों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि योजनाओं के चयन एवं इनके कार्यान्वन में वे स्वछन्द रहें ।
- योजना तैयार करते समय मौजूदा संसाधनों का आकलन कर परिवहन और भूमि उपयोग में तालमेल बैठाना चाहिए ।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के जरिये देश के कुल 65 नगरों का चयन कर उनमें सुधार एवं सुनियोजित फास्ट ट्रैक विकास लागू करना था। जिसकी समय सीमा 2005 से लेकर 2012 तक रखी गई। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर मार्च, 2014 कर दिया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि योजनाओं की उचित निगरानी (मॉनीटरिंग) के अभाव में अधिकतर योजनाएं लम्बित रहीं, कुछ योजनाओं को स्वीकृति के बावजूद भी शुरू नहीं किया गया। कुछ योजनाएं जमीन विवाद एवं कानूनी विवाद के चलते अधूरी रहीं। अन्तोत्गत्वा इन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच सका। इस योजना के विकास के लिए निम्न कदम उठाने चाहिएः–

- संविधान के अधिनियम के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में (पंचायत समिति, इंटरमीडिएट पंचायत तथा जिला पंचायत) तथा शहरी क्षेत्र में (वार्ड समिति, जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति) का गठन सभी राज्यों में करना चाहिए।

- एक समिति बनाकर चालू योजनाओं की समय–समय पर प्रत्यक्ष निगरानी (मॉनीटरिंग) की जाए। समिति में कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी न हों।
- लम्बित योजनाओं को पूरा किया जाए।
- जो योजनाएं शुरू नहीं हुई हैं, उन्हें शुरू किया जाए।
- विवादों से घिरी योजनाओं को जन भागीदारी द्वारा सुलझाया जाए।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लायी जाए एवं डाटा बेस तैयार किए जाएं।

महानगरों के इर्द–गिर्द तीव्र विकास को देखते हुए महानगरों की भीड़–भाड़ को कम करने का प्रयास किया जाए एवं राहत के तौर पर सैटेलाइट संकल्पना को अमल में लाया जाए। आबादी के दबाव से मुम्बई जैसे महानगर का शहरी ढांचा चरमराने लगा तो 1972 में नवी मुम्बई के विकास का काम प्रारम्भ किया गया एवं मुम्बई की भीड़ को नवी मुम्बई, कल्याण, मीरा भयन्दर, थाणे इत्यादि छोटे–छोटे उपनगरों में बांट दिया गया। इसी तरह दिल्ली महानगर की भीड़ को घटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया जिसमें गुडगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद नगरों को सम्मिलित किया गया। गुडगांव काफी हद तक विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है एवं उसे विशेष आर्थिक जोन में भी सम्मिलित किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर एवं मुम्बई–दिल्ली आद्यौगिक कोरीडोर उभर कर सामने आये हैं। निवेशक इसके प्रति जागरूक हैं जहां शहर का एक अलग रूप देखा जा सकता है। इस तरह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश के एक ग्रोथ इंजन का काम कर सकेगा। इसी तरह अन्य महानगरों के इर्द–गिर्द छोटे–छोटे कस्बों का विकास किया जाए ताकि उन शहरों की अवसंरचना पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। इन महानगरों के विकास के लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिएः–

- व्यापक परिवहन योजना का निर्माण ।
- परिवहन एवं भूप्रयोग में समन्वय ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना–2021 राजधानी क्षेत्र में अवस्थित महानगरों की विकास योजना जैसे दिल्ली महायोजना–2021, ग्रेटर नोएडा महायोजना, नोएडा महायोजना, गुडगांव महायोजना, फरीदाबाद एवं गाजियाबाद महायोजना का तालमेल।
- राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों में विभिन्न टैरिफ रेट, जमीन निबंधन, वाणिज्य कर इत्यादि विसंगतियों को दूर करना ।
- आवागमन की सुविधा हेतु तीव्र रेल ट्रांजिट/मैट्रो रेल एवं बीआरटी बसों के रूट निर्धारित किए जाएं एवं उनके किराए में कॉमन टिकटिंग हो ।

मुम्बई, कोलकता, दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू और अहमदाबाद जैसे महानगरों में आर्थिक क्रियाकलापों तथा जनसंख्या के दबाव के चलते वहाँ की अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, मलव्ययन, ड्रेनेज एवं कूड़ा–कचरा निपटान ने शहर की डिलीवरी सेवा को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुम्बई और कोलकता जैसे बड़े शहरों में 70–80 लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। जनसंख्या एवं गन्दी बस्तियों की इस बढ़ोत्तरी से शहरों के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है एवं लोगों के रहन–सहन के स्तर में काफी गिरावट आई है। अवसंरचना, सुविधाओं और जनसुविधाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण शहरों का प्रबंधन बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके फलस्वरूप भूमि की कमी, आवास की कमी, अपर्याप्त परिवहन इत्यादि की समस्याएं पैदा हुई हैं। इन शहरों पर बोझ कम किया जा सके, इसके लिए क्रियाकलापों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता के एहसास में वृद्धि होती जा रही है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुल 65 भारतीय शहरों में चालू जेएनएनयूआरएम कार्यान्वयन के अलावा शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मेगा शहरों के आस–पास प्रमुख सेटेलाइट शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 8 शहरों को चयनित किया गया है जिनमें पिलखुआ, सोनीपत (दिल्ली के पास), सनन्द (अहमदाबाद के पास), वसई–विहार (मुम्बई के पास), विकराबाद (हैदराबाद के पास), श्रीपेरूम्बुदूर (चैन्ई के पास), ज्योति बसु नगर (कोलकता के पास) और कनकपुर (बैंगलुरू) सम्मिलित हैं। शहरों के संतुलित विकास में इस योजना का क्या योगदान होगा, इसका परिणाम आना बाकी है।

इशर जज अहलूवालिया की रिपोर्ट (मार्च, 2011) के अनुसार वर्ष 2031 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना से 15वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य देश के शहरी अवसंरचना विकास हेतु कुल 39.20 लाख करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि समावेशन और आर्थिक वृद्धि दोनों को ही प्राप्त करना हो तो हमें भौतिक संरचना सृजन की नीति से दृष्टि हटाकर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान देना होगा। सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु हमें शासन सुधार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिना शासन सुधार के शहरी अवसंरचनाओं पर अतिरिक्त पूंजी निवेश के बाद भी सुविधा मुहैया कराने के स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। अतएव राष्ट्र के समुचित विकास हेतु क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

शहरी विकास तभी सम्भव होगा, जब इसे क्षेत्रीय योजना से जोड़कर देखा जाए। किसी भी शहर की महायोजना बनाते समय यह श्रेयस्कर होगा कि उस शहर के साथ–साथ सम्बंधित जिले की मजबूती, कमजोरियां, अवसर एवं आशंकाओं का क्षेत्र विश्लेषण कर प्रबल क्षमता क्षेत्रों और घटकों का पता लगाया जाए तथा शहरी विकास योजना एवं क्षेत्रीय योजना में सामंजस्य स्थापित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ग्राम/पंचायत/जिला स्तर पर कार्य करने में दृष्टिकोण एवं सोच में बदलाव है। टिकाऊ और जनोपयोगी शहरी विकास योजना की संकल्पना तभी की जा सकती है जब शहरों को लाभ पहुचाने वाली क्षेत्रीय अवसंरचना एवं क्षेत्रीय स्तर पर विद्यमान संसाधनों से समुचित तरीके से इसका सामंजस्य स्थापित (dovetail) हो जाए।

गुरू दक्षिणा

संकलनः राम सिंह

प्राचीन काल का एक वर्णन है कि एक शिष्य ने जब अपने सद्‌गुरू की कृपा से दक्षता प्राप्त की तब उसने अपने गुरूवर से प्रार्थना करते हुए कहा– हे गुरूवर ! आपकी दया से मुझे विद्या मिली है, मैंने स्वयं की खोज की है, शान्ति प्राप्त की है, आनन्द की झलक भी मुझे महसूस होने लगी है, आज मेरा मन कहता है कि मैं आपके चरणों में कुछ भेंट करूं, अब आप ही आज्ञा करें कि मैं आपको गुरू दक्षिणा में क्या अर्पण करूं?

शिष्य के प्रेमपूर्ण आग्रह को देखते हुए सद्‌गुरू ने आदेश दिया कि अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो कोई ऐसी वस्तु लेकर आओ जो संसार में सबसे ज्यादा निरर्थक हो, जो किसी भी स्थिति में उपयोगी न हो, सब लोग उसे बुरा मानते हों, ऐसी वस्तु खोजकर लाओ।

शिष्य ने खोज प्रारंभ की, कौन सी वस्तु सबसे बेकार है, निरर्थक है। उसने कंकर–पत्थरों को देखा और सोचा कि ये निरर्थक हैं। जैसे ही वह उन्हें उठाने लगा तो आवाज आई कि तुम जिन्हें बेकार समझने की भूल कर रहे हो, वे तो बहुत कीमती हैं। कंकर–पत्थरों से ही इमारत की नींव बनती है, किसी आलीशान भवन की नींव कंकर–पत्थरों पर ही टिकी होती है, मन्दिरों में जो देव मूर्तियां विद्यमान हैं, वे भी कंकर–पत्थरों का ही सुन्दर रूप है। शिष्य की समझ में आ गया कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण हैं।

शिष्य आगे बढ़ा, आगे उसने देखा कि जो लकड़ी सूखी है, गली हुई है, जिनका कोई मालिक नहीं है, ये व्यर्थ में पड़ी हुई लगती है, इन्हें साथ लेकर चलता हूँ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया आवाज आई कि तुम हमें बेकार की वस्तु समझते हो, जन्म से लेकर मरण तक हम इंसान के काम आते हैं। लकड़ी ने अपनी उपयोगिता बतानी शुरू की तो शिष्य के पैरों से जमीन खिसकने लगी। लकड़ी ने कहा कि तू नादान है, तेरे पालन–पोषण से लेकर, यज्ञ–अनुष्ठान और चिता में जलाने तक हमारा ही प्रयोग होता है।

शिष्य की आंख खुल गई और उसे होश आया कि संसार में परमात्मा ने जो बनाया है, वह सब उपयोगी है, एक तिनका भी निरर्थक नहीं बनाया, फिर क्या अर्पण करूं ? कूड़ा–करकट उठाने की इसने कोशिश की तो आवाज आई कि तू हमें बेकार मानता है, हम वह अनमोल वस्तु हैं, जिससे उर्वरा बनती है, अन्न उगता है, तेरा पेट भरता है, अगर हम खाद का रूप धारण न करें तो जमीन बंजर हो जाएगी। जैसे किसी मनुष्य के शरीर को पौष्टिक पदार्थ दूध, दही, घी, मक्खन आदि की जरूरत होती है, वैसे ही जमीन को हमारी खाद चाहिए।

अब शिष्य का दिमाग हिल गया और वह सदगुरू की शरण में नतमस्तक होकर कहने लगा हे गुरूदेव, दुनिया में निरर्थक तो कुछ भी नहीं है, यहां हर चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसे मुंह में हर दांत की अपनी कीमत होती है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अपने–अपने स्थान पर मूल्यवान है। मृत शरीर भी निरर्थक नहीं होता उसके भी प्रयोग होते हैं। मेरी समझ में तो इतना ही आया है कि अगर दुनिया में कुछ निरर्थक है तो वह है मेरा अहंकार, यह किसी काम का नहीं है।

सदगुरू मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे अन्दर ज्ञान का बीज रोपने में सफल हुआ हूँ। यह अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही संसार में सबसे निरर्थक चीज है। यह अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता और जब तक इंसान झुकता नहीं, तब तक वह ऊंचा नहीं उठ पाता।

सद्‌गुरू ने अपने प्यारे शिष्य से कहा कि मेरे प्रिय शिष्य! यह गुरू दक्षिणा तो मात्र बहाना था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था कि तुम कहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी आगे की यात्रा कैसी रहेगी, तुम्हारी विचारशक्ति किस स्तर पर पहुंची है। सद्‌गुरू ने कहा – अगर इंसान अपने अहंकार को हरा दे तो वह दुनिया को जीत सकता है।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2012 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर महावीर जी, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण योजना विभाग, एसपीए का स्वागत करते मुख्य नियोजक महोदय एवं दीप प्रज्जवलन तथा संगठन में राजभाषा नीति को सुचारू रूप से लागू करने पर राजभाषा संस्थान द्वारा प्रदत्त शील्ड ग्रहण करते मुख्य नियोजक महोदय एवं पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2012 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर महावीर जी, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण योजना विभाग, एसपीए से पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2012 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर महावीर जी, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण योजना विभाग, एसपीए से पुरस्कार ग्रहण करते हिंदी प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगी।

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास–2012 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्रीमती सावित्री यादव, उपनिदेशक (राजभाषा), शहरी विकास मंत्रालय एवं कवियों का स्वागत करते अधिकारीगण तथा कवितापाठ करते कविगण एवं कविताओं का आनंद लेते अधिकारी एवं कर्मचारी।

पवित्र नदियों में बढ़ता प्रदूषण

नेत्रपाल

भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि भारत की प्रमुख नदियां हैं। नदियों की प्रकृति है उनका लगातार प्रवाह में बने रहना। निरंतर बहते रहना ही नदी में जीवन का संचार करता है। नदियों का अस्तित्व इस प्रवाह से ही है। नदियों के साथ मनुष्य का गहरा सम्बन्ध है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती है, अपितु वे सभ्यता को भी जन्म देती हैं। इसलिए नदियों की उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। नदियां संस्कृति की सहायक, दीर्घकालीन परम्परा की प्रेरक और धार्मिक भावना का प्रमुख आधार रही हैं। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में गंगा एवं यमुना की गणना की जाती है। क्या इन नदियों में प्रदूषण फैलाकर आज हम इस सतत प्रवाह को रोकने में सहायक तो नहीं बन रहे हैं! यह एक यक्ष प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना है।

आज भारत की पवित्र नदियों का अस्तित्व खतरे में है। युगों–युगों से पवित्र नदियों ने हमें जीवन प्रदान किया है, अब हमारे कारण ही उनका खुद का जीवन ही खतरे में है। हमारी सोच दिनोंदिन सिकुड़ती जाना इसका सबसे बड़ा कारण है। आज का मानव अब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, उसे अपना भला चाहिए, भले ही इसमें तमाम अन्य लोगों की हानि हो। हम विचार करके देखें कि ऐसा पहले होता था क्या? पहले लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे एक–दूसरे की मदद को सदैव तत्पर रहते थे। आज की आधुनिकता की आंधी में मानव मूल्य तार–तार होकर रह गए हैं। केवल कहने भर को हम आधुनिक और विकासवादी हो गए हैं, लेकिन असर इसके ठीक विपरीत हो रहा है। हम सिर्फ भौतिकवादी तथा अर्थवादी होकर रह गए हैं। आज हमने मानवता की सारी परिभाषाओं को भुला दिया है।

पवित्र नदियां देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन–जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी होती हैं। ये सहायक नदियों के साथ मिलकर लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदानों की रचना करती हैं। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा व यमुना का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इनके सौंदर्य और महत्व के कारण ही भारतीय पुराण और साहित्य में आदर के साथ इनकी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किया गया है।

एक समय था जब हम भारत की पवित्र नदियों में डुबकी लगाते थे, उनके जल का आचमन करके अपने आपको धन्य मानते थे। आज स्थिति एकदम विपरीत हो गई है। अधिकतर नदियों में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। आज गंगा की अपेक्षा यमुना की स्थिति ज्यादा चिन्ताजनक है। कानपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, वाराणसी में इस नदी के जल की स्थिति काफी गम्भीर पाई गई। गंगा, यमुना सहित अन्य बहुत सी नदियों का पवित्र जल अनेक घातक बीमारियों का वाहक बन गया है। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का अशोधित जल–मल सीधे यमुना में डाल दिया जाता है। इसलिए यमुना नदी की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती है। गंगा किनारे स्थित शहरों में भी बगैर शोधन के नालों के पानी को इसमें डाला जाता है। यही स्थिति कमोबेश सारे देश की नदियों की है। प्रमुख पर्यावरणविदों ने अपनी जांचों में पाया कि गंगा के प्रदूषित जल के कारण नदी के किनारे पैदा की जाने वाली

सब्जियां व अनाज भी खाने योग्य नहीं हैं। हमको यह सोचना होगा कि हमने गंगा और यमुना को किस कदर जहरीला बना दिया है।

नदियों के जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुये प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल–धाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक हमारी दोनों पवित्र नदियां – गंगा और यमुना, कराह रही हैं। हजारों करोड़ रूपये इन नदियों की सफाई के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गंगा और यमुना पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई हैं। इसका कारण यही है कि सफाई कागजों में हो गई है किन्तु धरातल पर काम न के बराबर हुआ है। यमुना रक्षक दल के नेतृत्व में यमुना को गंदगी से बचाने के लिए गत 01 मार्च, 2013 को वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा की गई जिसमें हजारों की संख्या में कुछ पार्टियों के नेताओं सहित बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं ने इसमें भाग लिया। पदयात्रा यमुना के साथ–साथ नाले के निर्माण की मांग का सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने पर समाप्त हुई जिससे यमुना में मिलने वाले नालों का गंदा पानी इस नाले में डाला जाएगा।

बात सिर्फ गंगा और यमुना तक ही सीमित नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में जितनी भी नदियां बह रहीं हैं, उन सबका अस्तित्व मिटने के कगार पर है। यहां हम सिर्फ गंगा और यमुना की ही बात करेंगे। इन नदियों की रक्षा के लिए सभी को नए सिरे से प्रयास किए जाने की जरूरत है। गंगा और यमुना की सहायक नदियों की रक्षा की विस्तृत योजना बनाये बिना काम चलने वाला नहीं है। इसमें सरकार और गैर–सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के सहयोग से लगातार निगरानी रखने का कार्य करना होगा। हमें नदियों के उद्गम स्थल हिमालय से ही योजना बनानी होगी। इसकी परिधि में आने वाले प्राकृतिक वनों, वृक्षों, चरागाहों की हरियाली बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हरियाली नहीं बढ़ेगी नदियों का अस्तित्व खतरे में ही रहेगा। हरियाली बढ़ने से वर्षा अधिक होगी और वर्षाजल इन नदियों को सूखने से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी जिसकी आज बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। भूमि व जल संरक्षण के कार्य युद्धस्तर पर करने होंगे। इससे भू–स्खलन की समस्या में कमी आएगी।

पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जब गंगा–यमुना का पानी विभिन्न नहरों में छोड़ा जाता है उस समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को छेड़े बगैर नहरों में पानी छोड़ा जाए। अभी हो यह रहा है कि नहरों में अंधाधुंध तरीके से पानी छोड़ा जाता है, इस बात की चिन्ता किए बगैर कि नदी का अस्तित्व बचा रहेगा या नहीं। नदियों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि गंगा यमुना के तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को पूरी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए कि वे नदी के पानी का उपयोग किस प्रकार करें ताकि पानी भी काम में आ जाए और नदियों का जीवन भी खतरे में न पड़े। नदियों को कूड़ा–कचरा, दूषित जल, मल, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक कचरे से बचाने के लिए समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रति भी लोगों को सचेत किया जाना चाहिए।

नदियों के प्रदूषण को रोकना दूसरी सबसे गंभीर समस्या है। इन नदियों में जो भी प्रदूषित जल–मल बगैर शोधन के डाला जाता है उसे हर हाल में रोकना होगा। सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, कारखानों में जल–शोधन यंत्र लगाने के लिए मुहिम चलानी होगी। ऐसा न करने वाले उद्योग–धन्धों पर

भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करना होगा। पूजा से संबंधित बची हुई सामग्री जैसे फूल—मालाओं, धार्मिक कैलेण्डर, मूर्ति विसर्जन, धूप—अगरबत्ती के डिब्बे, हवन की राख इत्यादि को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। ऐसे अवशेषों को विशेष तकनीक से रि—साईकिल किया जाए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न होने पाएं। इस प्रकार की सामग्री को डालने हेतु ग्रामों, शहरों और कस्बों में विशेष स्थानों को चिन्हित करना होगा क्योंकि लोग ऐसे अवशेषों को नदियों में डालते हैं। नदियों की सुरक्षा तभी हो पायेगी जब हम देश के सभी नागरिकों एवं बच्चों को शुरू से ही नदियों के महत्त्व तथा प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में शिक्षित व जागरूक करेंगे।

◇◇

लुप्त होती गौरेया, गायब होता गरीब

मोख्तार राय

'ग' वर्णमाला का मामूली अक्षर है। मामूली इसलिए कि इससे शुरू होने वाले गधे, गौरैया व गरीब तीनों शहरी समाज से गायब होने को हैं। महानगर में नदी हैं, धोबी घाट भी हैं, बस गधे नहीं हैं। घाट का धोबी हमें ज्ञान देता है, 'गधे पर लादी लादकर जग—हंसाई कौन करवाए' महंगाई इतनी है कि खुद खाएं कि उसे खिलाएं। कपड़ें अब हम साइकिल पर लाते और ले जाते हैं। न कोई अब हम पर हंसता हैं, न साइकिल के पीछे रखी गठरी पर। उन्हें क्या पता कि इसमें क्या है?

गौरेया पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशक केमिकल व बहुमंजिली इमारतों के बीच कब तक बचती? घरों में न आंगन हैं, न आले और न रोशनदान। पीने को न शुद्ध पानी है, न गेहूँ का दाना। आदमी बोतलबंद पानी से गुजारा करता है या आटे की थैली पर। गौरैया इस ईंट—पत्थर की नगरी में घोंसला बनाए तो बनाए कहां और खाए तो खाए क्या? ऐसे भी गौरैया घरेलू पंछी है। घरों में अपने भी आज अजनबी हैं। उनके बीच रहे, तो कैसे रहे गौरैया। सरकार को इंसानों में रईस और जानवरों में शेरों की चिंता है। कहने को आम आदमी हर दल का चहेता है। वह सत्ता झटकने का अनिवार्य संसाधन जो है। वोट के बाद नेताओं के लिए उसकी हैसियत आधुनिक समाज में हम दो, हमारे दो के परिवार के उस बुजुर्ग की है, जो परंपरा द्वारा लादा गया व्यर्थ का भार है। आम आदमी भी आबादी बढ़ाने वाला एक फिजूल व अनुत्पादक प्राणी है। इसे ऊपर उठाने के लिए सरकारों ने क्या—क्या नहीं किया है। कागजी योजनाएं चलाई हैं, विकेंद्रीकरण के नाम पर चुनावी भ्रष्टाचार गांव—गांव तक पहुंचाया है। एक ओर गरीबी हटाने के आकर्षक आंकड़े पेश किए गए हैं, वहीं असलियत में महंगाई के जरिए मुंह का कौर छीना गया है। आम आदमी आधा पेट खाता है। बीमार रहता है। न उसके पास डॉक्टर की सुविधा है, न दवा की। कोई देखे तो हैरत करे, फिर भी वह जिंदा है। गजब की जिजीविषा है उसकी। विकास की गंगा की स्थाई गंदगी है वह। गरीबी तो कब की हट जाती, अगर कमबख्त गरीब अंगद के पांव—सा न टिका रहता। यों थोड़ी उम्मीद है। विकास की बस्ती में गौरैया अब गुम होने को है, समृद्धि के दौर में गरीब कब तक बचेगा।

दहेज कानूनों पर एक नजर

तनवीर अहमद खान

सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बनी धारा 498ए की फिर से जाँच पड़ताल करने की बात कहकर एक नई बहस को जन्म दिया है। यह धारा बढ़ती दहेज प्रताड़ना व अन्य घरेलू अत्याचारों से महिलाओं को राहत देने व प्रताड़ित करने वालों को कठोर सजा देने के लिये 1983 में भारतीय दंड़ संहिता में जोडी गई थी। कोर्ट का कहना था कि बड़ी संख्या में झूठे मामले कोर्ट में आ रहे हैं। इस तरह के वैवाहिक मामलों का कोर्ट में अंबार लग रहा है।

जस्टिस दलवीर भंडारी व जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा है कि घरेलू हिंसा व दहेज संबंधित मामलों में बढ़ा–चढ़ाकर शिकायतें की जा रही हैं।

आपराधिक प्रक्रिया के कारण संबंधित व्यक्तियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। अंत में चाहे सजा न हो फिर भी बहुत खरोचें जीवन के साथ चिपक जाती हैं। इससे कोर्ट में मामलों का अंबार ही नहीं लगा है बल्कि परिवार की शांति भी भंग हो गई है। समाज में मधुरता, शांति व खुशहाली को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अदालत ने कहा है कि यह अब जरूरी हो गया है कि व्यवस्थापिका इस कानून में उचित बदलाव करे।

वकीलों को सावधान करते हुऐ बेंच ने कहा है कि वे समाज के ताने–बाने को न बिगड़ने दें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पारिवारिक जिन्दगी समाप्त न हो जाए। शिकायतों में छोटी–छोटी घटनाओं का उल्लेख न करें, ज्यादातर शिकायतें वकीलों की सलाह पर दायर की जाती हैं। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि एक शिकायत के बाद, एक के बाद एक विभिन्न तरह की शिकायतें दर्ज न हों। इस फैसले के बाद तो जैसे सबको मौका मिल गया कि औरतों को झूठा बताया जाए और साथ में इस तरह लिखना शुरु हो गया है कि हिंसा तो छोटी–मोटी बात लगने लगी हो। इस कारण महिला पति व उसके पूरे परिवार को थाने में घसीट लेती है। असल में कोई भी कानून जब एक पक्ष की मदद करता है और उसकी मार दूसरे पक्ष, वह भी पति व उसके परिवार पर पड़ती है, तो पूरी पितृसत्ता हिलती है इस कारण बड़ी आसानी से औरत को झूठा कहकर यह धारणा बना दी जाती है कि मामला तो ज्यादा बड़ा नहीं था और सबको हथकड़ी लगवा दी। यह सारी बातें रिश्तेदारों में फैल जाती हैं। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि सच्चाई का पता लगाए, इसके बजाए पुलिस महिला पर चारों तरफ से दबाव डालती है और उसे यह लिखना पड़ता है कि केस गलतफहमी में दायर कर दिया था। उसका जीवन ठीक–ठाक है यह धारा समझौते की नहीं है इस कारण पुलिस एफ. आई. आर. पेश कर देती है, केस चलता रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 498ए सिर्फ दहेज विरोधी कानून ही नहीं है। यह क्रूरता के खिलाफ हथियार भी है। परन्तु जब महिला क्रूरता की शिकायत दर्ज करने थाने आती है या वकील के पास जाती है तो उसे यह सलाह दी जाती है कि इसमें दहेज की मांग वाला मुद्दा डालो, नहीं तो केस कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अन्य क्रूरता तो पृष्ठभूमि में चली जाती है और दहेज प्रमुख हो जाता है। जिसे सिद्ध करना मुश्किल होता है। इस प्रकार वह झूठी बना दी जाती है। घर में होने वाली क्रूरता इतनी ज्यादा है कि उसको शायद पुलिस या कोई अन्य समझ भी नहीं सकते।

सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले में जस्टिस आर. एम. लोढ़ा और ए. के. पटनायक ने कहा है कि पर्याप्त दहेज न लाने के लिए महिला को ताना मारना धारा 498ए और 304बी के तहत अपराध है। हर लड़की शादी के बाद सुखी जीवन जीना चाहती है। लेकिन शादी के बाद हर रोज उसे दहेज या अन्य बात को लेकर ताने कसे जाएं तो वह

क्रूरता व उत्पीड़न है। यानी दहेज के लिए महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार अपराध है। यह फैसला संतोष के मामले में दिया गया है। 1992 में शादी के एक साल बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका पति उसे कम दहेज लाने के लिये रोजाना मारता–पीटता था। कार और हजारों रुपये लाने के लिये उसे मजबूर करता था। सच तो यह है कि धारा 498ए की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई हो तो औरत मरेगी नहीं।

◇◇

लघु कथा

संकलनः सुदेश वर्मा

एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए।

एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा– देखिए प्रभु! आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती–बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना, मैं कैसे अन्न के भण्डार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कराए और कहा– ठीक है। जैसा तुम कहोगे, वैसा ही मौसम दूँगा। मैं दखल नहीं करूंगा।

किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाही, तब धूप मिली। जब पानी चाहा, तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा– अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूँ की एक भी बाली के अन्दर गेहूँ नहीं था। सारी बालियां अन्दर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ?

तब परमात्मा बोले – यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा–सा मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी–ओलों से जूझने दिया। कहने का मतलब उनको किसी प्रकार की चुनौती का अहसास जरा भी नहीं होने दिया इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वह ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है।

इसी तरह जिन्दगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाए और उसके अन्दर कोई गुण नहीं आ पाता।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सुनामी प्रभावित पुनर्वास परियोजनाएं

डॉ.पवन कुमार, आर.एस.मीना एवं अनिल कान्त मिश्रा

भारत के लिए 26 दिसम्बर, 2004 का दिन आपदा के इतिहास में काला दिन था। सुनामी का उद्‌गम बिन्दु बंदा–एचेक इंडोनेशिया के नजदीक केन्द्रित था जहां पर भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 थी। सुनामी की लहरें 2.5 घण्टे तक चलती हुई अंततः श्रीलंका और भारत के समुद्री तट पर पहुंची जिसने अत्यन्त तबाही मचाई। अंडमान व निकोबार के 38 द्वीपों पर लगभग 50,000 लोग प्रभावित हुए, 14,000 आवास ढह गए जिसमें जानमाल का बहुत नुकसान हुआ। कार–निकोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

45,000 सुनामी प्रभावित लोगों के लिए 9565 अस्थायी आश्रयों का निर्माण चार माह के अन्दर कराया गया ताकि उन लोगों को मानसून आने से पहले सिर छिपाने के लिए जगह मिल सके। आवासों के निर्माण के लिए 15,000 मीट्रिक टन सामग्री गंभीर बाधाओं के बावजूद विभिन्न द्वीपों को भेजी गई। अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा परम्परागत घर तथा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कराई गई।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्तमान नगर नियोजन मानकों के अनुरूप स्थायी बस्तियों के लिए ले–आउट प्लान की। "मॉडल टाउनशिप" के आधार पर आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कूल, दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, खुले स्थान, सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान आदि के लिए पहल करने में दिलचस्पी दिखाई। स्थाई बस्तियों के लिए नियोजन में वहां की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक खूबियां एवं वन संसाधन आदि की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया।

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विभिन्न द्वीपों के 72 स्थानों के ले–आउट प्लान बनाने का कार्य सौंपा गया। स्थाई बस्तियों के लिए नए स्थलों की पहचान, नियोजन के मानक व मानदंड के आधार, समुद्र तल से ऊंचाई, वास्तविक बस्ती से दूरी, भूमि–स्वरूप, संपर्क उपलब्धता, पानी इत्यादि को ध्यान में रखकर की गई। स्थानों के अन्तिम चयन से पहले वहां के स्थानीय प्रशासन/ ग्राम मुखिया व प्रधान के साथ व्यापक बातचीत की गई।

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ने पहचान किए गये स्थानों पर प्रत्येक स्थाई बस्ती के लिए ले–आउट प्लान तैयार किया। स्कूल, दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, खुले स्थान, सामुदायिक केन्द्रों जैसी आधारभूत सुविधाओं का उचित समावेश ले–आउट प्लान में किया गया। नियोजन में वर्षा के जल का संचयन, कचरा निपटान, शवदाह/कब्रिस्तान आदि के प्रावधानों को शामिल किया गया। छोटे अंडमान, वृहत निकोबार तथा दूसरे दक्षिण द्वीपों में नई बस्तियों के साथ–साथ, नारियल के पेड़ों का 500 मीटर से 1000 मीटर की चौड़ी पट्टी में पुनर्रोपण किया गया, खासकर जहां सुनामी के कारण क्षति हुई थी।

कई गैर सरकारी संगठनों जैसे केयर इंडिया, कासा इत्यादि ने अंडमान व निकोबार समूह में सुनामी प्रभावित लोगों के बचाव राहत में सामान बांटने व अस्थाई आश्रयों के निर्माण में अपना सहयोग दिया। विभिन्न गैर

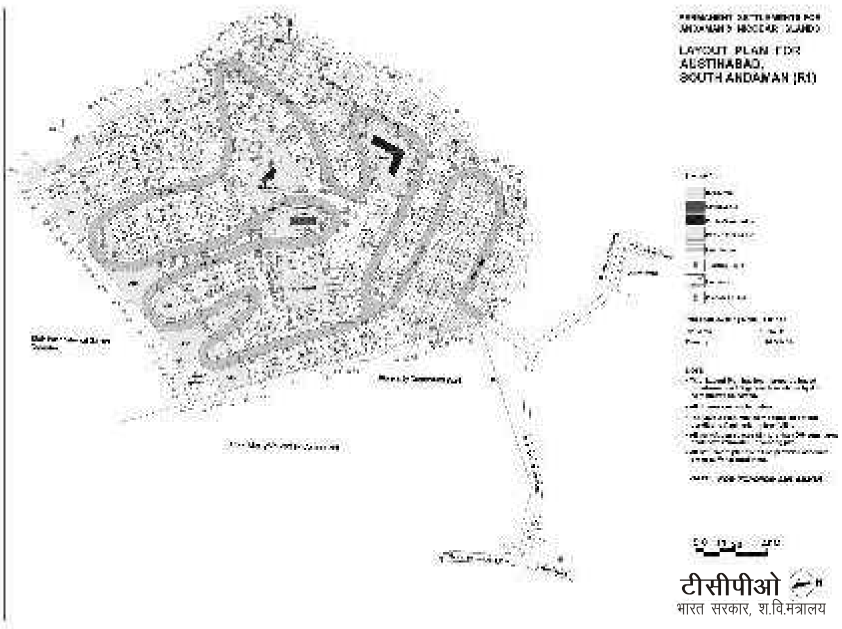

चित्र संख्याः–01 ओस्टिनाबाद, दक्षिण अण्डमान का ले–आउट प्लान

सरकारी संगठनों ने भी स्थायी घरों के निर्माण में हिस्सा लिया।

सारणी संख्याः–01 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप में स्थाई शेल्टरों का विवरण

क्रम संख्या	द्वीप	निर्माण किये गए स्थाई शेल्टरों की संख्या			कुल
		सी.पी.डब्ल्यू.डी.	ऐ.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.जी.ओ.	
i.	दक्षिण अण्डमान	-	214	609	823
ii.	छोटा अण्डमान	965	908	100	1973
iii.	कार अण्डमान	3941	-	-	3941
iv.	टेरेसा	506	-	-	506
v.	कचाल	315	-	-	315
vi.	कर्मोटा	518	-	-	518
vii.	ननकावरी	269	-	-	269
viii.	चौरा	346	-	-	346
ix.	छोटा निकोबार	111	-	-	111
x.	बड़ा निकोबार	995	-	-	995
	कुल	**7966**	**1122**	**709**	**9797**

स्रोतः– अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर

आवासीय खण्ड 20 मीटर x 12 मीटर (चित्र संख्या 2 एवं 3 देखें) उपलब्ध कराए हैं जिनमें आगे पीछे जगह छोड़ी गई ताकि प्रकाश व हवा आ सके तथा भविष्य में विस्तार किया जा सके। 3 मीटर तथा 6 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया। अंततः 9797 स्थायी घरों का निर्माण किया गया।

चित्र संख्या : 02 दक्षिण अंडमान में स्थायी शेल्टर

चित्र संख्या : 03 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों में नान स्टिल्ट किस्म की आवासीय ईकाई

इन द्वीपों के निवासी प्राथमिक रूप से मछली पालन पर निर्भर नहीं थे। वे समुद्र के किनारे पर सुनामी जैसी आपदा महसूस किए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां पर रह रहे थे। अतः नियोजन के बिन्दु से इन बस्तियों का स्थान–असुरक्षा और स्थानिक वितरण के अनुसार आकलन करना आवश्यक था। इन बस्तियों के स्थान, समुद्र की दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्च ज्वर लाइन की ऊंचाई, सुनामी की अधिकतम दौड़ से प्रभावित क्षेत्र, सुनामी की अनुमानित गहराई व लहरों की शांति के विश्लेषण के माध्यम से सुनिश्चित किया गया।

शहरी स्थानीय निकाय को मौजूद भवनों और महत्वपूर्ण ढांचे की असुरक्षा के अनुसार निर्धारण करना

चाहिए। भविष्य में यह आवश्यक है कि मौजूद ढांचों, आधारभूत सुविधाओं, भवनों की मरम्मत की सुरक्षा के लिए ढांचागत व गैर ढांचागत तत्वों के निर्धारण, पर्याप्त तकनीक जैसे मरम्मत, रेटोफिटिंग मजबूती, प्रतिस्थापित इत्यादि का उचित निर्धारण हो।

एक उचित सुनामी चेतावनी प्रणाली निकासी के लिए पर्याप्त समय देती है और इसलिए निवासियों को निकासी मार्गों और क्षेत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मुख्य भूमि से 1200 कि.मी. दूरी एवं द्वीपों का फैलाव 550 कि.मी. से अधिक होने के कारण निर्माण व कार्यों की निगरानी करने के दृष्टिकोण से यह कार्य चुनौती भरा था। बहुत से द्वीपों पर कार्गोशिप के लिए बन्दरगाह का निर्माण किया गया। तत्पश्चात् सामग्री पहुंचाई गई।

स्थायी बस्ती आश्रयों के निर्माण के समय वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार होना जरूरी है। कंकरीट, लोहा इत्यादि का उपयोग केवल पारिस्थितिक को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि प्राकृतिक वातावरण को भी नष्ट करता है। हालांकि इस द्वीप के लोगों की पसन्द में बदलाव आया और अब शहरी सुविधाओं और सेवाओं के साथ द्वीपों के भीतर बेहतर शहरी वातावरण बन गया है।

चोवरा, टेरेसा, कट्चल एवं नोनकॉबरी द्वीपों में कार्गोशिप के लिए बन्दरगाहों की अनुपलब्धता होने पर निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु मुख्य–मुख्य निर्माण कराए गये।

कई द्वीपों पर बन्दरगाह पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। अतः निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए उनका निर्माण जरुरी था। आपदा प्रबंधन, जोकि महायोजना/क्षेत्रीय महायोजना दस्तावेज का घटक है, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण में भूमिका निभाता है। अतः आपदा उपशमन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा समाज में सुरक्षित वातावरण को तैयार करने में स्थानीय निकायों का मजबूत होना आवश्यक है।

जीवन –सूत्र

नदी जब किनारा छोड़ देती है,
राह में आई चट्टान तक को तोड़ देती है।
बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में,
जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है।

हमें जी लेने दो

अमरजीत कौर

कल्पनाओं में ही सही, हमें जी लेने दो,
उन्मुक्त होकर खुले आकाश को छू लेने दो।

क्यूँ रहूँ मैं यहां, जहां सिर्फ हाहाकार है,
हर तरफ, चारों ओर, फैला भ्रष्टाचार–व्यभिचार है।
आओ चलो मेरे संग वहां, जहां न कोई अत्याचार है,
चारों और फैला जहां, सुगंधित प्यार अपरम्पार है।
कल्पनाओं में ही सही, हमें जी लेने दो,
उन्मुक्त होकर खुले आकाश को छू लेने दो।

निकलती है जब बेटियां यहां, माँ–बाप को लगता है डर,
कहीं कोई शैतान डाल न बैठे, उन पर अपनी बुरी नज़र।
आओ मेरी कल्पनाओं के देश में, वहां स्त्रियां स्वछंद हैं, आज़ाद हैं,
बेखौफ हमेशा घूमती, पूरी करती अपनी हर मुराद हैं।
कल्पनाओं में ही सही हमें जी लेने दो,
उन्मुक्त होकर खुले आकाश को छू लेने दो।

आओ मैं तुम्हें अपने सपनों का भारत दिखाती हूँ,
वहाँ हर व्यक्ति में शायराना मस्ती है।
हर पुरुष वहां अपने आप में एक हस्ती है,
वहां की प्रजा हमेशा मुसकराती है।
बहुत मीठे सुरों में बालाएं, वहां गीत गाती हैं।
बेहद खूबसूरत है मेरे स्वप्निल भारत का हर गुलशन।
कल्पनाओं में ही सही हमें जी लेने दो,
उन्मुक्त होकर खुले आकाश को छू लेने दो।

आज बहन बेटी जब निकलती हैं, मन में होती है उलझन,
प्रश्न उठता है, क्या सुरक्षित लौट पाएंगे ये बदन?
आओ मेरी कल्पना के भारत में, वहां सुरक्षित संसार है,
जहां छू भी न पाएगा कोई डर, व्यवस्था शानदार है।
कल्पनाओं में ही सही हमें जी लेने दो,
उन्मुक्त होकर हमें, खुले आकाश को छू लेने दो।

रीयल एस्टेट विधेयक

आर.पी. सिंह

रीयल एस्टेट (नियामक और विकास) विधेयक का विचार लगभग 4–5 वर्ष पहले चर्चा में आया। इस अवधि में इस विषय पर कई बार विचार–विमर्श हुआ, रीयल एस्टेट के सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की बैठकें हुई और राजनैतिक दलों ने चर्चा की। अंत में 6 जून 2013 को कैबिनेट ने इस विधेयक का मसौदा पारित कर दिया।

इस विधेयक को लाने के प्रमुख कारण

रीयल एस्टेट उद्योग, कारोबार से जुड़े उद्योगपतियों व भू–विकासकों की मनमानी समाप्त करना, ग्राहकों, उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों और बिल्डरों व भूमि विकासकों द्वारा उनके साथ की जाने वाली धोखा–धड़ी को रोकना, इस कारोबार में काले धन के उपयोग पर रोक लगाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना हैं। इसके लिए बिल्डरों व भू–विकासकों को एक नियामक प्राधिकरण के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि भूमि व भवन निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सके।

रीयल एस्टेट विधेयक के अधिनियम बनने के बाद सम्भवतः यह उन सभी भू–विकासकों की छंटाई कर देगा जो इस कारोबार में गंभीर नहीं हैं। इस कारोबार से जुड़े अधिकतर लोग अपने को बहुत बड़ा भू–विकासक और इस कार्य में निपुण समझते हैं। इस विधेयक के जरिए भ्रामक विज्ञापनों के जरिए धोखा–धड़ी कर आसानी से पैसा कमाने पर रोक लग जाएगी।

विधेयक के मुख्य बिंदु

- समय पर मिलेगा मकान, देरी हुई तो मिलेगा मुआवजा
- ब्याज सहित मूल राशि वापस मांगने का अधिकार
- रीयल एस्टेट परियोजना में हर मकान का रखना होगा रिकॉर्ड
- रीयल एस्टेट परियोजना में काला धन निवेश करना होगा मुश्किल
- बिल्डरों के विज्ञापनों की भी होगी निगरानी, झूठे वादे पर लगेगी रोक
- सभी तरह की मंजूरियों के बाद ही लांच हो सकेंगी परियोजनाएं
- हर तरह की मंजूरी के बारे में वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी
- फ्लैट का कारपेट एरिया बताना होगा, सुपर एरिया के नाम पर धोखा नहीं
- एक परियोजना के लिए ग्राहकों से ली गई रकम दूसरी परियोजना में नहीं लगा सकेंगे
- कोई बिल्डर बार–बार गड़बड़ी करेगा तो तीन साल तक की सजा हो सकती है
- रीयल एस्टेट एजेंटों को अथॉरिटी के पास पहले पंजीकरण करवाना होगा
- अपार्टमेंट की परिभाषा में कार गैराज को भी शामिल करना जरूरी, पार्किंग के लिए अलग से चार्ज नहीं

- पूरे देश में एक जैसा ही 'बिल्डर बॉयर एग्रीमेंट' बनाने की कोशिश
- हर तीन माह में परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाइट पर देना जरूरी
- हर परियोजना के लिए जुटाए गए पैसे का 70 फीसदी अलग खाते में जमा करना होगा
- नियमों की अनदेखी पर हो सकता है परियोजना कीमत का 3 से 10 फीसदी जुर्माना।
- संपत्ति बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) लेना होगा।

रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी

सभी राज्यों को रीयल एस्टेट रेग्युलेटर गठित करना होगा। यह बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें सुनकर कार्रवाई करेगा। इसे बिल्डरों पर पेनल्टी लगाने का भी अधिकार होगा। दिल्ली में डीडीए को रेगुलेटर बनाया जा सकता है।

रीयल एस्टेट रेगुलेटर को प्रोजेक्ट के पंजीकरण और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी प्रोजेक्ट को रद्द करने का अधिकार प्रस्तावित किया गया है। यह ग्राहकों की सुरक्षा के साथ–साथ विवाद की स्थिति में निवारण की व्यवस्था करेगा। यह खास तरह की कार्रवाई का निर्देश जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रोजेक्ट में किए गए वादे के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है तो वह डेवेलपर को उचित बदलाव का निर्देश जारी कर सकेगा।

आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री अजय माकन ने बताया कि विधेयक के जो नियम निजी बिल्डरों पर लागू होंगे, वही नियम मकान बनाकर बेचने वाली सरकारी एजेंसियों पर भी लागू होंगे। विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकारी एजेंसियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा, इससे रीयल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी।

काले धन पर रोक

इस विधेयक में राजस्व विभाग की सिफारिश के बाद यह व्यवस्था की गई है कि रीयल एस्टेट एजेंट्स को न सिर्फ रेगुलेटर के पास स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा बल्कि रेगुलेटर जो प्राफॉर्मा तैयार करेगा, उसी के आधार पर उसे खरीद–फरोख्त और लेन–देन का ब्यौरा भी रखना होगा। साथ में अगर कोई कंपनी फ्लैट आदि ग्राहक को बेचती है तो उसका 70 फीसदी हिस्सा एक अलग बैंक खाते में जमा कराना होगा। इसका प्रयोग वे सिर्फ संबंधित रीयल एस्टेट परियोजना में ही कर सकेंगी। साफ है कि बिल्डर एक परियोजना का पैसा दूसरी परियोजना में नहीं लगा सकेंगे। इससे परियोजना समय पर पूरी होंगी और ब्लैक मनी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी क्योंकि रीयल एस्टेट एजेंट को इस बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

राज्य सरकारों के अधिकार

इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनमें राज्य सरकारें अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकेंगी। मसलन, बिल में यह व्यवस्था है कि एक हजार वर्ग मीटर की जमीन पर या फिर 12 फ्लैट या इससे ज्यादा बनाने वाले बिल्डर और डेवेलपर्स बिल के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर किसी राज्य को लगता है कि इस सीमा को और कम करके पांच सौ वर्ग मीटर या फिर छह फ्लैट की सीमा तय की जाए तो वह ऐसा कर सकता है। उस स्थिति में उस राज्य के नियम के मुताबिक ही बिल्डर विधेयक के दायरे में आएंगे। इस विधेयक से

न सिर्फ रीयल एस्टेट सेक्टर रेगुलेट होगा बल्कि घर के खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी कम होंगी।

रीयल एस्टेट विधेयक में दिल्ली के हाथ खाली

रीयल एस्टेट विधेयक को मंजूरी मिलने के बावजूद दिल्ली में बिल्डरों पर लगाम लगाने में दिल्ली सरकार के हाथ खाली ही रहेंगे। हालांकि इस बिल में सभी राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने–अपने राज्य में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं और रेगुलेटर नियुक्त करें। लेकिन दिल्ली में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने व रेगुलेटर की नियुक्ति का अधिकार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली में लैंड (भूमि) का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है जो शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है, इस नाते इस मामले में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रीयल एस्टेट बिल में इस प्रावधान ने दिल्ली में दिल्ली सरकार को बिल्डरों पर नकेल कसने से वंचित कर दिया। इससे दिल्ली में बिल्डरों को भारी राहत मिली है।

प्रमुख रीयल एस्टेट संगठनों की प्रतिक्रिया

प्रस्तावित रीयल एस्टेट नियामक के गठन के प्रस्ताव का रीयल एस्टेट उद्योग ने स्वागत किया है। साथ ही उद्योग ने इस पर निराशा जताई है कि उनके प्रस्तावों को शीघ्रता से मंजूरी दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। रीयल एस्टेट कंपनियों के सबसे बड़े संगठन "क्रेडाइ" के चेयरमैन ललित कुमार जैन ने कहा है कि सरकार को डेवलपरों और ग्राहकों के हितों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अनुसार इस विधेयक की दिशा सही है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट कीमत का 70 प्रतिशत खाते में रख पाना व्यवहारिक नहीं है।

सीआईआई – उद्योग चेंबर सीआईआई की रीयल एस्टेट समिति के अध्यक्ष फिरदौस वंड्रेवाला का कहना है कि ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाले पहले से ही काफी नियम–कानून हैं। ऐसा न हो कि यह भी उन्हीं कानूनों में से एक बन कर रह जाए। उन्होंने ग्राहकों से ली गई राशि का एक बड़ा हिस्सा बैंक खाते में जमा कराने के प्रावधान का विरोध किया है। वंड्रेवाला के मुताबिक रीयल एस्टेट कंपनियां जमीन खरीदने के बाद ही परियोजना लांच करती हैं। जमीन पर काफी ज्यादा राशि खर्च की जाती है। ऐसे में सरकार को ग्राहकों से ली गई राशि का थोड़ा कम हिस्सा ही बैंक खाते में सुरक्षित रखने का प्रावधान करना चाहिए था। यह प्रावधान रीयल एस्टेट डेवलपरों के लिए फंड की समस्या पैदा कर सकता है।

सीबीआरई – रीयल एस्टेट क्षेत्र में ग्लोबल सलाहकार फर्म सीबीआरई की दक्षिण भारतीय यूनिट के अध्यक्ष अंशुमान मैगजीन ने कहा है कि कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी सुधार के लिए इस बिल में प्रावधान होने चाहिएं। तभी रीयल एस्टेट उद्योग पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सकेगा।

नारडेको – रीयल एस्टेट कंपनियों के अन्य संगठन नारडेको के अध्यक्ष नवीन राहेजा का कहना है कि यह विधेयक गलत नीयत से इस उद्योग में आने वाली कंपनियों को रोकेगा। इससे रीयल एस्टेट उद्योग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

के. वर्ल्ड ग्रुप – इसके निदेशक पंकज कुमार जैन कहते हैं, सरकार की मंशा आम लोगों का हित है, इसलिए हम इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। साथ ही यह उम्मीद करते हैं कि कानून बनाने से पहले दोनों पक्षों का

जरूर ध्यान रखेगी।

फायर कैपिटल – इसके फाउंडर और सीईओ ओम चौधरी का कहना है कि इस विधेयक से अधिक पारदर्शिता आएगी। साथ ही इससे विदेशी निवेशक भी आकर्षित होंगे।

विधेयक से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर

बिल द्वारा गठित रेगुलेटर के पास प्रॉपर्टी की कीमतों के नियमन की कोई शक्तियां नहीं हैं। इसलिए, प्रॉपर्टी की कीमतें, मांग और पूर्ति, रॉ मेटीरीयल की कीमत और दूसरे कारकों पर निर्भर करेगी। क्रेडाइ के चेयरमैन ललित कुमार जैन के अनुसार परियोजना में कीमत औसतन 100 से 500 रुपये प्रति वर्ग फीट बढ़ जाएगी। बड़े रीयल एस्टेट डेवलपर और जानी–मानी रीयल एस्टेट रिसर्च कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो नियमन के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होना तय है। इसका कारण यह है कि अभी तक डेवलपर बिना आवश्यक मंजूरी मिले ही सॉफ्ट लांच और प्री–लांच के जरिये पैसे जुटाते थे। नियमन के बाद कोई भी डेवलपर विभिन्न प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी मिले बिना नई परियोजना शुरू नहीं कर सकते। इसके अलावा रकम का 70 प्रतिशत एक अलग बैंक खाते में रखना होगा जो उस परियोजना के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा।

विवाद की स्थिति में विकल्प

किसी भी विवाद अथवा परेशानी की स्थिति में ग्राहकों के पास शिकायत निवारण के लिए तीन चरण हैं। सबसे पहले संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के पास शिकायत की जा सकेगी। अगर इस स्तर पर परेशानी का हल नहीं निकलता तो उसके बाद रेगुलेटर के पास जाने का रास्ता खुला है। रेगुलेटर तय वक्त के भीतर ग्राहक की परेशानी का हल देगा। यदि ग्राहक रेगुलेटर के निर्णय से सहमत नहीं है तो अपीलीय ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ–साथ ग्राहकों के पास उपभोक्ता फोरम में जाने का रास्ता भी खुला है। इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराध शाखा में भी शिकायत की जा सकती है। इस तरह अगर ग्राहक को अपना पैसा बिल्डर से वापस चाहिए तो रेगुलेटर के पास जाना होगा, उपभोक्ता फोरम का दरवाजा भी ग्राहक के लिए खुला है।

रीयल एस्टेट (नियामक और विकास) विधेयक के अधिनियम बनने के बाद सम्भवतः यह उन सभी भू–विकासकों की छंटाई कर देगा जो इस करोबार में गंभीर नहीं हैं। इस कारोबार से जुड़े अधिकतर लोग अपने को बहुत बड़ा भू–विकासक और इस कार्य में निपुण बताने, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए धोखा–धड़ी कर आसानी से पैसा कमाने में लगे हैं। इस विधेयक से उन पर रोक लग जाएगी। अधिकांश भवन निर्माण एवं भूमि विकास परियोजनाएं सरकारी पर्यवेक्षक/ रेगुलेटर की निगरानी में आएगी और संभव है कुछ परियोजनाएं बंद या रुक जाएंगी जिससे हजारों लोग प्रभावित होंगे।

इस विधेयक से यह सुनिश्चित करने में सफलता मिलेगी कि भूमि विकास की सभी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार के नियत्रंक प्राधिकरण के पास पंजीकृत की गई हैं और सभी नियमों व विनिर्देशों का पालन किया जा रहा है। ग्राहकों/उपभोक्ताओं के साथ धोखा–धड़ी की स्थिति में भूमि विकासकों/बिल्डरों के लिए सजा का भी प्रावधान है। उन्हें परियोजना से संबंधित वित्तीय जानकारी भी देनी होगी। इससे इस कारोबार में काले–धन के उपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

समय का मोल

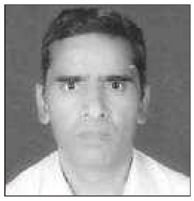

अमीर सिंह

क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा–सा आराम आपको नई ऊर्जा से भर सकता है? क्या इच्छा नहीं होती कि इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सुकून के दो पल जी सकें? यह तभी संभव है जब आप समय का कुशल प्रबंधन कर सकें। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट 'क्या कर रहे हैं' और 'क्या करना चाहते हैं' के बीच प्रभावी संतुलन है।

जब सड़क पर यातायात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए इंच–इंच दूरी पर संघर्ष करना पड़ता है, तब कहा जाता है कि ट्रैफिक जाम हो गया है। जीवन में भी कभी–कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब हमें 24 घंटों में से समय चुराना मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर लोग रोज सुबह हड़बड़ी में बिस्तर छोड़कर, फटाफट ब्रुश करके, नहा–धोकर, भागते–दौड़ते चाय या दूध पीकर स्कूल–कॉलेज या काम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कभी–कभी लगता है कि जिन्दगी किसी तेज पहिये में उलझी हुई, भागती जा रही है।

काम को जल्दी–जल्दी खत्म करने वाला तरीका हमेशा सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता। जरा सोचिए, तेज रोशनी पाने के लिये अगर आप मोमबती के दोनों सिरों को जला दें तो वह सामान्य गति से जलने के बजाय दोगुनी गति से खत्म हो जाएगी। जीवन ऊर्जा के विषय में भी यही बात है। इसलिए अच्छा होगा कि अपने जीवन की गति को पुनः निर्धारित किया जाए।

समय प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है, अपने काम की प्राथमिकताओं को तय किया जाए यानी क्या करना है और क्या नहीं के बीच सही चुनने की क्षमता। इसके लिए यह तय कर लेना जरूरी है कि पहले क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण है और किस का परिणाम दूसरे कामों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। यदि आप सोचेंगे तो पाएंगे कि कुछ काम आपको बाकी कामों की तुलना में ज्यादा प्रभावी परिणाम देने वाले हैं। हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं उनमें से मुश्किल से 20 प्रतिशत ही वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं और यही 20 प्रतिशत आपके 80 प्रतिशत परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कामों की प्राथमिकता पर ध्यान देना होगा। समय प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास पर आयोजित एक कार्यशाला में मनोवैज्ञानिकों का कहना था 'समय प्रबंधन को चुनौती की तरह लीजिये। सोचिये कि क्या आप अपने काम की सूची को आधा कर सकते हैं? कुछ दिन बाद इनमें से कुछ और कम कर लीजिये। अपने कामों की सूची कम करना एक बड़ी कला है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारा समय कहां और कैसे बर्बाद हो रहा है?'

समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि हम इसकी उपयोगिता के प्रति जागरूक नहीं हैं और हमारी समय दिनचर्या अव्यवस्थित है। किसी भी काम का समय निर्धारित नहीं है। ज्यादातर विद्यार्थी, अध्ययनशील या लिखाई–पढ़ाई करने वाले ऐसा करते हैं।

कुछ लोग हमेशा समय की कमी का रोना रोते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। हर कोई 24 घंटों का इस्तेमाल अलग–अलग ढंग से करता है। हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास हमेशा कुछ न कुछ

करने को होता है और वे अपनी उपलब्धियों के नाम पर बहुत कुछ गिना सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा समय की कमी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर समय बर्बाद करते हुए पाते हैं और उपलब्धियों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ व्यस्त रहने से ही समय का सही सदुपयोग नहीं होता। बेहतर समय प्रबंधन के कुछ खास गुण इस प्रकार हैंः–

- अपना दिन इस संकल्प के साथ शुरू करें कि आप समय का पूरा उपयोग करेंगे। इस दिशा में सबसे पहला कदम होगा प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- दिनभर में अपने किये जाने वाले कामों की सूची सुबह होते ही बना लें। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि क्या–क्या काम करना है और कोई काम छूटेगा भी नहीं। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कामों की समीक्षा करें कि आप जितना करना चाहते थे, वह कर पाए या नहीं ?
- एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6–7 घंटे की नींद काफी होती है। यदि आप इससे ज्यादा सोते हैं तो रोज आधा घंटा देर से सोयें और आधा घंटा सुबह जल्दी उठें। इससे हमारे पास रोज एक घंटे का समय अतिरिक्त होगा यानी कि साल भर में 365 घंटे।
- काम की गति बढ़ाकर भी अतिरिक्त समय निकाला जा सकता है।
- टेलीविजन पर सिर्फ अपनी रूचि के उपयोगी कार्यक्रम ही देखें। यह नहीं कि उस पर जो कुछ भी आ रहा है, वह देखना ही है।
- फिजूल की बातों और गपशप में समय बर्बाद न करें।

इस तरह अगर आप सही समय प्रबंधन करेंगे तो आपके पास अपने सभी कामों के लिए वक्त होगा। तमाम सफल व्यक्तियों के उदाहरण देखें जिन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की लेकिन वे समय की कमी का रोना नहीं रोते और अपनी रूचियों के लिये भी समय निकाल लेते हैं। वैसे तो चोरी करना पाप है, बुरी बात है लेकिन 24 घंटों में से समय चुराना अच्छी, बहुत अच्छी आदत है। तो चुराके पल–पल, कहीं दूर निकल चल।

जीवन –सूत्र

**तूफान में ताश का घर नहीं बनता,
रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता,
दुनिया को जीतने का हौसला रखो,
एक हार से कोई फकीर
और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता।**

वास्तुशास्त्र

रजनीश कुमार सक्सैना

मनुष्य प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति में होने वाले सभी परिवर्तनों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। सूर्य, चन्द्रमा एवं अन्य ग्रहों का विकिरण मानव जीवन की जैविक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। मानव शरीर प्रकृति के पाँच आधारभूत तत्वों जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बना होता है। इन पाँचों तत्वों का उचित समावेश ही मनुष्य को स्वस्थ रखता है। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो मनुष्य अस्वस्थ महसूस करता है। इसी प्रकार मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताओं – रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान भी इन्हीं पाँच तत्वों से बना माना जाता है। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र भी इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर भवन निर्माण से संबंधित शास्त्र है। यदि भवन–निर्माण के समय वास्तु के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है तो भवन में इन पाँचों तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है।

उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में वास्तु का प्रचलन अधिक है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के निवासी उत्तर भारत के निवासियों की अपेक्षा अधिक शिष्ट, शान्त, सम्पन्न एवं अनुशासित हैं। वास्तुशास्त्र के अनमोल सिद्धांत सूर्य की स्थिति और ब्रह्माण्ड पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उसका ताप महत्वपूर्ण है। भूमि का प्रकार व वायु की दिशा का भी वास्तु सिद्धांतों में विशेष महत्त्व है।

प्राकृतिक गुफा–कन्दराओं से बाहर निकलकर मनुष्य ने जब पहली बार अपने लिए घास–फूस, लकड़ी–मिट्टी या पत्थर का इस्तेमाल करके घर बनाना शुरू किया तभी वास्तुशास्त्र या भवन–निर्माण विज्ञान की नींव पड़ गई थी। सहस्त्राब्दियों के अनुभव के बाद मनुष्य ने इन भवनों के बारे में नियम और सिद्धांत बनाएं और बाद में भवन–निर्माण का एक विधिवत् शास्त्र बना जिसे वास्तुशास्त्र कहा गया। वास्तु शब्द "वस्तु" से बना है। कोई भी योजना एवं निर्मित वस्तु, वास्तु के अंतर्गत आती है।

पृथ्वी जिस प्रकार घूमती है, ठीक उसी प्रकार ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षण, आभामंडल, चुम्बकीय शक्ति तथा विद्युत चुम्बकीय शक्तियों का प्रभाव ही वास्तुशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। वास्तुशास्त्र में रंगों का विशेष महत्व है इसीलिए रंगों का चयन करते समय विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र में गहरा लाल रंग प्यार एवं मिलन, गहरा नारंगी महत्वाकांक्षा, मध्यम पीला अच्छाई, हल्का पीला बुद्धिमत्ता, गहरा पीला स्फूर्ति, तीव्र हल्का सुनहरा मोहकता, मध्यम सुनहरा सम्पन्नता, गहरा सुनहरा वैभव एवं हल्का नीला शान्तिप्रियता का प्रतीक होता है।

इसी प्रकार जीव जानवरों के चित्रों व नक्काशी में हाथी बुद्धिमत्ता व शान्ति, हिरण सम्पन्नता, चिड़िया सुख–समृद्धि, मछली सफलता, शेर सफलता, सुख–समृद्धि व शक्ति के प्रतीक हैं। वास्तुशास्त्र के जनकों में विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार (आर्कीटेक्ट) जबकि मय को असुरों का वास्तुकार माना गया है। ऋग्वेद में भवन–निर्माण के अत्यंत उन्नत आदर्शों का वर्णन है। ईसा पूर्व 1500 के लगभग हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के नगरों

की खोज से जो अवशेष मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि नगर, भवन सभी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप बनाए जाते थे।

दिशा एवं ज्ञान का महत्व

वास्तुशास्त्र में चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण और उनके बीच के कोणों अर्थात विदिशाओं – ईशान (उत्तर–पूर्व), अग्नि (दक्षिण–पूर्व), नैऋृत्य (दक्षिण–पश्चिम) व वायव्य (उत्तर–पश्चिम) का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि–मुनियों ने आधुनिक विकास के पूर्व ही सूर्य की किरणों में स्थित जीवनदायक तत्वों का पता लगाकर आवास को पूर्वमुखी होने का विधान बनाया और साथ ही अन्य दिशाओं व विदिशाओं के देवताओं के अनुरूप गृह–निर्माण की योजना बनाई ताकि वे मनुष्य को सदैव सुख–समृद्धि प्रदान करने व आरोग्य वृद्धि में सहायक रहें।

पूर्व दिशाः यह पैतृक स्थान है व इसका स्वामी इन्द्र है, जो समग्र ऐश्वर्य व उन्नति दिलाते हैं। यही सूर्य का निवास स्थान है। स्नानघर, भोजनालय व अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में बनवाने चाहिएं।

पश्चिम दिशा : इस दिशा के स्वामी वरूण है, जो जल एवं वर्षा के देवता हैं। यह सुख–समृद्धि व शान्तिदायक हैं। पश्चिम दिशा शयनकक्ष, अध्ययन कक्ष व भोजन कक्ष आदि बनवाने के लिए उपयुक्त है।

उत्तर दिशा : इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं, जो धन–सम्पत्ति व समृद्धि के देवता हैं। बच्चों का कक्ष, शयनकक्ष, पूजा कक्ष, कोषागार, नगद व बहुमूल्य वस्तुओं को रखने का कक्ष उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए। भवन की उत्तर दिशा की चारदीवारी भवन–निर्माण के उपरान्त ही बनवानी चाहिए, अन्यथा धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण दिशा : इस दिशा के देवता यम हैं, जो मृत्यु के देवता भी हैं। यह मुक्तिकारक दिशा भी है। यह दिशा सुख–समृद्धि व शान्तिदायक है, शयन कक्ष व स्वागत कक्ष के लिए यह उपयुक्त दिशा है। शयन कक्ष में अगर तिजोरी रखी हो तो उसे दक्षिणी या पश्चिमी दीवार के सहारे इस प्रकार रखें कि यह उत्तर या पूर्व की ओर खुलें।

ईशान (उत्तर–पूर्व) दिशा : इस दिशा के स्वामी शिव हैं, जो धर्म, अराधना व मोक्ष के देवता हैं। यह देवत्व स्थान है। इस दिशा में अराधना कक्ष, अध्ययन कक्ष बनाना उपयुक्त है। भवन में कुआं, ट्यूबवैल व हैन्डपम्प इसी दिशा में बनवाने चाहिएं।

आग्नेय (दक्षिण–पूर्व) दिशा : इस दिशा के देवता अग्नि देव हैं, जो तेज के देवता भी हैं। यह मानव जीवन में स्वास्थ्य दाता हैं। रसोईघर आग्नेय कोण में बनवाना चाहिए। चूल्हा रसोईघर के अग्नि कोण में ही रखना चाहिए। भोजन पकाते समय गृहणी का मुँह पूर्व या आग्नेय दिशा की ओर रहे तो बहुत ही शुभ होता है।

नैऋृत्य (दक्षिण–पश्चिम) दिशा : इस दिशा के स्वामी नेरूत हैं, जो शुद्धता एवं स्वच्छता के देवता हैं। यह दिशा स्नानघर, शौच घर व कबाड़ आदि को रखने के लिए उपयुक्त है।

वायव्य (उत्तर–पश्चिम) दिशा : इस दिशा के स्वामी वायु देवता हैं जो स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। यह वायु लोगों के लिए जीवनाधार है। भवन के पश्चिम और उत्तर दिशाओं में वायु सेवन का स्थान रखना चाहिए। इस दिशा में वायु के सभी साधनों यथा दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदान, कूलर, एसी, रूम कूलर, बरामदा व बालकनी आदि रखने चाहिएं।

ब्रह्म स्थान : घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के जनक व आध्यात्म ज्ञान के दाता हैं। यह स्थान जहां तक संभव हो सके खुला रखना चाहिए अथवा यहां घर की लॉबी या संयुक्त कक्ष स्थित हो। यह स्थान घर के मध्य में, शरीर में स्थित प्राणवायु के समान होता है।

भूखण्डों का आकार–प्रकार एवं फल

वर्गाकार भूमि : इस भूमि पर निवास करने से धनलाभ होता है।

आयताकार भूमि : इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से सिद्धिदायक योग होता है।

वृत्ताकार भूमि : इस प्रकार की भूमि पर निवास करने से धनलाभ व ज्ञानलाभ होता है।

त्रिकोणाकार भूमि : ऐसी भूमि पर निवास करने से राजभय होता है।

विषमबाहु भूमि : इस प्रकार की भूमि पर बने आवास पर रहने से अशान्ति, दुःख व आर्थिक हानि होती है।

सिंहमुखाकार भूमि : ऐसी भूमि जो सामने की ओर से अधिक, परन्तु सामने की तुलना में पीछे से कम हो, सिंहमुखाकार भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि निवास हेतु अशुभ परंतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए शुभ होती है।

गोमुखाकार भूमि : जो भूमि सामने की ओर कम, परन्तु सामने की तुलना में पीछे की ओर अधिक होती है, गोमुखाकार भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि निवास हेतु शुभ परन्तु व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अशुभ मानी जाती है।

इस प्रकार यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण कराया जाए, तो व्यक्ति जीवनभर संपन्न, समृद्ध एवं प्रसन्न रहता है।

हिंदी की प्रगति से ही देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी – डॉ. जाकिर हुसैन

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं – जवाहर लाल नेहरू

विशेष आर्थिक क्षेत्र

आर. डी. मीना

वर्ष 1965 में कांडला में एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के साथ ही भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईजेड) मॉडल की प्रभावशीलता की पहचान की। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति नियंत्रण और मंजूरी की बहुलता, विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं, अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था के कारण अनुभव की गईं कमियों को दूर करने और भारत में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल, 2000 में घोषित की गई।

इस नीति में न्यूनतम संभव विनियमों के साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित एवं एक आकर्षक राजकोषीय पैकेज द्वारा पूरित आर्थिक विकास के लिए एसईजेड को एक इंजन बनाने का इरादा है। भारत में एसईजेड ने विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत 01.11.2000 से 09.02.2006 तक कार्य किया तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों को प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के माध्यम से प्रभावी बनाया।

निवेशकों में विश्वास पैदा करने और एक स्थिर एसईजेड नीति व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देने तथा एसईजेड व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से, जिससे इसकी स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजन होगा, एक व्यापक मसौदा एसईजेड विधेयक हितधारकों.के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। इस उद्देश्य के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों दोनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में कई बैठकें आयोजित की गईं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया तथा 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। मसौदा एसईजेड नियमों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर सुझाव/टिप्पणी देने के लिए डाल दिया गया। मसौदा नियमों पर लगभग 800 सुझाव प्राप्त हुए थे।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद एसईजेड नियमों द्वारा समर्थित एसईजेड अधिनियम, 2005 10 फरवरी, 2006 को प्रभाव में आया जिसमें प्रक्रियाओं का प्रबल सरलीकरण तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की समाशोधन (सिंगल विंडो क्लियरेंस) का विधान है। एसईजेड अधिनियम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:–

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना।
- माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसरों को सृजन करना।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

एसईजेड के नियम :–

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण तथा इकाईयां स्थापित करने के लिए और कारोबार के संचालन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।
- एसईजेड स्थापित करने के लिए एकल खिड़की समाशोधन।

- एसईजेड में इकाई स्थापित करने के लिए एकल खिड़की समाशोधन।
- केंद्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों में एकल खिड़की समाशोधन।
- सरलीकृत अनुपालन प्रक्रिया तथा आत्म प्रमाणीकरण पर जोर के साथ प्रलेखीकरण।

एसईजेड का अनुमोदन तंत्र

विकासकर्ता संबंधित राज्य सरकार को एसईजेड (सेज) की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार को प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करना होता है। आवेदक के पास अनुमोदन बोर्ड को सीधे प्रस्ताव भेजने का विकल्प भी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन बोर्ड का गठन किया गया है। अनुमोदन बोर्ड में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अनुमोदन बोर्ड में 19 सदस्य हैं। इसका गठन निम्न प्रकार हैः–

- सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष
- सदस्य, सीबीईसी – सदस्य
- सदस्य, आईटी, सीबीडीटी – सदस्य
- संयुक्त सचिव (बैंकिग प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव (एसईजेड), वाणिज्य विभाग – सदस्य
- संयुक्त सचिव, डीआईपीपी – सदस्य
- संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग – सदस्य
- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय – सदस्य
- संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय – सदस्य
- संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति – सदस्य
- विदेशी व्यापार महानिदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति – सदस्य
- संबंधित विकास आयुक्त – सदस्य
- भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का एक प्रोफेसर – सदस्य
- निदेशक या उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय – सदस्य

क्रम संख्या 14 पर शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (श.वि.) इसके सदस्य हैं जिन्होंने मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन को इस बोर्ड का सदस्य नामित किया है। मुख्य नियोजक महोदय ने नगर एवं ग्राम नियोजक, औद्योगिक एवं आर्थिक नियोजन प्रभाग के अधीन, अनुसंधान अधिकारी एवं अनुसंधान सहायक को एसईजेड बोर्ड मीटिंग में भाग लेने तथा उसमें होने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों से नगर एवं ग्राम नियोजक, औद्योगिक एवं

आर्थिक नियोजन प्रभाग एवं मुख्य नियोजक महोदय को अवगत कराने के लिए अधिकृत किया है। अब तक एसईजेड पर बोर्ड की 57 बैठकें हो चुकी हैं जिनमें कई एसईजेड को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रशासनिक सेट अप

एसईजेड का कामकाज तीन स्तरीय प्रशासनिक सेटअप द्वारा नियंत्रित होता है। अनुमोदन बोर्ड शीर्ष निकाय है जिसकी अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग करते हैं। जोन स्तर पर अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाईयों के अनुमोदन तथा अन्य संबंधित मुद्दों को देखती है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक जोन है जो अनुमोदन समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।

एक बार एसईजेड को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा एसईजेड को अधिसूचित किए जाने पर एसईजेड में इकाईयों को स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाती है। एसईजेड में इकाइयों की स्थापना के लिए सभी प्रस्तावों को विकास आयुक्त, सीमा शुल्क अधिकारियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके गठित अनुमोदन समिति द्वारा जोन स्तर पर अनुमति दी जाती है। आयातक–निर्यातक कोड नंबर प्रदान करना, कंपनी के नाम में परिवर्तन या कार्यान्वयन एजेंसी, ब्रॉड बैंडिंग विविधीकरण, आदि सहित सभी अनुमोदनोत्तर मंजूरी विकास आयुक्त द्वारा जोन स्तर पर दी जाती हैं। एसईजेड इकाईयों के प्रदर्शन पर अनुमोदन समिति द्वारा समय–समय निगरानी की जाती है और अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन के मामले में इकाईयां विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होती हैं।

एक तालिका द्वारा अब तक एसईजेड में हुई प्रगति की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र पर तथ्य पत्र

<table>
<tr><td>औपचारिक अनुमोदनों की संख्या</td><td colspan="2">589</td></tr>
<tr><td>अधिसूचित एसईजेड की संख्या (05.07.2012 तक)</td><td colspan="2">389 (589 में से) + (7 केन्द्र सरकार + 12 राज्य / निजी एसईजेड)</td></tr>
<tr><td>वैध सैद्धांतिक रूप से अनुमोदनों की संख्या</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td>कार्य कर रहे एसईजेड (31 मार्च, 2012 तक)</td><td colspan="2">153 (ब्योराः 17 बहु–उत्पाद एसईजेड हैं, शेष आईटी / आईटीईएस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक , हार्डवेयर , वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण और अन्य सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं)</td></tr>
<tr><td>एसईजेड में अनुमोदित इकाईयां (31 मार्च, 2012 तक)</td><td colspan="2">3400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">एसईजेड के लिए भूमि</td><td>अधिसूचित एसईजेड</td><td>अधिसूचित एसईजेड को शामिल करके औपचारिक रुप से अनुमोदित</td></tr>
<tr><td>47190 हैक्टेयर</td><td>71502 हैक्टेयर</td></tr>
<tr><td colspan="2">भूमि राज्य का विषय है। एसईजेड के लिए भूमि को संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार लिया जाता है।</td></tr>
</table>

निवेश (31 मार्च, 2012 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	1,82,750.74 करोड़ रुपये	1,82,750.74 करोड़ रुपये
वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी एसईजेड	5,881.30 करोड़ रुपये	7,637.61 करोड़ रुपये
केन्द्र सरकार एसईजेड	9,207.21 करोड़ रुपये	11,486.41 करोड़ रुपये
योग	**1,97,839.25 करोड रुपये**	**2,01,874.76 करोड़ रुपये**
रोजगार (31 मार्च, 2012 तक)	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल रोजगार**
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	5,52,048 व्यक्ति	5,52,048 व्यक्ति
वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी एसईजेड	66, 547 व्यक्ति	79,015 व्यक्ति
केन्द्र सरकार एसईजेड	91,617 व्यक्ति	2,13,853 व्यक्ति
योग	**7,10,212 व्यक्ति**	**8,44,916 व्यक्ति**
वर्ष 2009–10 में निर्यात	2,20,711.39 करोड़ रुपये (वर्ष 2008–09 की तुलना में 121.40 प्रतिशत की वृद्धि)	
डीटीए बिक्री (घनात्मक एनएफई में गिनती)	13,937.04 करोड़ रुपये (कुल उत्पादन का 6.32 प्रतिशत)	
डीटीए बिक्री (घनात्मक एनएफई में गिनती नहीं)	19,201.78 करोड़ (कुल उत्पादन का 8.70 प्रतिशत)	
वर्ष 2010–11 में निर्यात	3,15,867.85 करोड़ (वर्ष 2009–10 की तुलना में 43.11 प्रतिशत की वृद्धि)	

(स्रोत: www.sezindia.nic.in)

एसईजेड की वजह से व्यापार क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है तथा इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रगाति देखने में भी आई है। जब से ध्रुवीकरण का विश्व में चलन हुआ है तब से भारत एक तीसरी शक्ति के रुप में उभर कर सामने आया है। इससे हमारे देश में रोजगार काफी बढ़ा है। एसईजेड का सबसे ज्यादा फायदा औद्योगिक घरानों को ही हो रहा है।

उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि निवेश भी बहुत हुआ है जिससे स्वभाविक रुप से उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। यदि भारत इसी रफ्तार से चलता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब यह तीसरी महाशक्ति बनकर विश्व में उभरेगा।

जीवन –सूत्र

जिन्होंने घास की रोटियां खाकर भी वीरता को जिंदा रखा, जिन्होंने फांसी के फंदे को हँसते–हँसते अपने गले का हार बना लिया, जिन्होंने जन्म देने वाली माँ से बढ़कर अपनी भारत माँ को प्रेम किया, भारत माता की गुलामी के बंधनों को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन देशभक्तों को शत–शत नमन।

भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान

आशा चंद्रा

भारत में महिलाएँ

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकाल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्षा, नेता प्रतिपक्ष आदि पद पर रही हैं ।

इतिहास

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था, हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत है। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेदिक ऋचाएं यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्री के नाम उल्लेखनीय हैं ।

मध्ययुगीन काल

समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और गिरावट आई जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने भारतीय समाज में पर्दा प्रथा को ला दिया, राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी, भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियों या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था, बहुविवाह प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं, गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया, एक महिला संत–कवियित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थी। इस अवधि की कुछ अन्य संत–कवियित्रियों में अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देद शामिल हैं ।

ऐतिहासिक प्रथाएं

सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा

सती प्रथा एक प्राचीन और काफी हद तक विलुप्त रिवाज है। कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपनी जीवित आहुति देनी पड़ती थी। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से अब तक सती होने के लगभग चालीस मामले प्रकाश में आए हैं।

अंग्रेजी शासन

कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने गोद लेने की प्रथा को समाप्ति करने के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का झंड़ा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है।

स्वतंत्र भारत

भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। स्व. इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं ।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15(1), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 15(3), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने के संबंध में है।

समय रेखा

1947: 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं।

1951: डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनीं।

1966 : इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1972 : किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली महिला थीं।

1989 : न्यायमूर्ति एम़0 फातिमा बीवी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज बनीं।

2007 : प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनीं।

2009 : मीरा कुमार भारतीय संसद के निचले सदन, लोक सभा की पहली महिला अध्यक्षा बनीं।

शिक्षा और आर्थिक विकास

1992–1993 के आकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 9.2 प्रतिशत घरों में ही महिलाएं मुखिया की भूमिका में हैं। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में लगभग 35 प्रतिशत घरों को महिला–मुख्यिा द्वारा संचालित पाया गया है। भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है। लड़कों की तुलना में कम लड़िकयाँ स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। 1997 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श (सैम्पल) सर्वेक्षण डेटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर हासिल की है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरूषों के मुकाबले कम नहीं है। बदलते समय के साथ–साथ स्त्रियों ने भी पुरूषों के समान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है जिनपर कभी पुरूषों का वर्चस्व हुआ करता था जैसेः– राजनीति, प्रशासनिक सेवाएँ, कार्पोरेट, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा अच्छी कार्यक्षमता एवं बुद्धिमता के प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता।

आज भी हमारे समाज में स्त्रियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है वैसे तो सरकार ने महिला आयोग जैसे संस्थानों का निर्माण कर रखा है पर सभी के लिए उसका लाभ उठा पाना संभव नहीं हो पाता। महिलाओं के लिए बने कानून एवं अधिकारों की जानकारी का अभाव इसका मुख्य कारण है। सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं को अत्याचार एवं शोषण के विरूद्ध बने कानून एवं अधिकारों से अवगत कराए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं लाभ उठा सकें। इसके अलावा भारतीय समाज में पुरूष महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएं ताकि किसी भी महिला को पुरूष प्रधान समाज एवं संस्थान में कार्य करने में असुविधा महसूस न हो। आज के समाज में अगर हम महिलाओं के योगदान एवं तरक्की की बात करें तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। एक दिहाड़ी मजदूर की लड़की ने सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी प्राप्त की, यह समाज के लिए गर्व की बात है।

जीवन –सूत्र

यदि आप सही हैं तो आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोधित होने का हक नहीं।

चापलूस व्यक्ति की धूर्तपूर्ण मगर मीठी–मीठी बातें हमें उसी प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं जैसे मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को शुगर। मगर इनसे हुए नुकसान का पता हमें काफी बाद में चलता है।

वंदना

नीता अरोड़ा

समय के साथ चलते चलते मानव सभ्यता आज जिस कगार पर आ पंहुची है उसे देख कर बहुत आश्चर्य होता है। कहने को तो आज मानव ने जितनी तरक्की की है उतनी पहले कभी नहीं की। आज सुख सुविधाओं के जितने साधन हैं उतने पहले कभी न थे। आज मानव चंद्रमा तक पहुंच गया है, पर आज मानवता जितनी नीचे गिर गई है उतनी पहले कभी नहीं गिरी। आज समाज के हर स्तर पर चोरी, झूठ, छल, फरेब, भ्रष्टाचार का प्रभाव है। जब हम भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलते हैं और धर्म को धारण करते हैं तभी कोई समाज वास्तविक उन्नति कर सकता है।

आज के इन्सान में संस्कारों और नैतिक मूल्यों की बहुत कमी है। आज इन्सान के जीवन का कोई मोल नहीं रह गया। आज हर मोड पर अनेकों कंस तथा रावण नजर आते हैं। हे प्रभु! पहले जब कभी भी मानवता का इतना विनाश हुआ है तब–तब तुम अवतार लेकर इस धरती पर कभी राम–रहीम, नानक, बुद्ध तो कभी पैगम्बर के रूप में अवतरित हुए हो। आज अगर तुम अवतार लेकर नहीं आ सकते तो कम से कम इतनी वन्दना तो स्वीकार कर ही लो।

हे प्रभु मेरी वन्दना स्वीकार हो, दिल में करूणा और आंखों में प्यार हो।

(हे परमात्मा मेरी इतनी वन्दना स्वीकार कर लो कि सब मनुष्यों के मन में प्रेम, करूणा, दया, सहानुभुति का भाव हो आंखों से प्रेम छलके, नफरत और घृणा नहीं)

सब तेरे बन्दे तेरे ही अंश हैं, क्यों किसी से ईर्ष्या का व्यवहार हो।

(ईश्वर अंश जीव अविनाशी अर्थात सब मनुष्य ईश्वर के ही अंश है जब सभी प्राणियों में तुम ही विराजमान हो तो किसी के साथ इतना भेद–भाव व दुर्व्यवहार क्यों)

दुख से हारे प्राणी इस संसार के, तेरी करूणा का जगत विस्तार हो।

(सभी प्राणी इस असार संसार में बहुत दुखी हैं, अपने ही बनाए जाल में मकड़ी की तरह फँस चुके हैं केवल तुम ही अपनी करूणा से सबका उद्धार कर सकते हो)

तेरे दर आने के मैं काबिल नहीं, तुम चले आओ कि तुम बलवान हो।

(एक आम इन्सान में इतनी ताकत कहां कि तुम तक पहुंच सके, तुम सर्वत्र होकर भी पहुंच के बाहर हो अतः तुम स्वयं ही आकर सब का उद्धार कर सकते हो)

राह सत की ही दिखाना हे प्रभु जिस पे चल के जीव का उद्धार हो।

(हे प्रभु आज का मानव सत–असत का भेद ही भूल गया है अतः तुम सबको सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दो जिस पर चल कर जीव अपना बेड़ा पार कर सके, दुखों से छुटकारा पा सके)

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय
ईश्वर सबका कल्याण करें।

आत्मकथाः एक लड़की की

पिंकी

माँ बहुत दर्द देकर, बहुत दर्द सहकर,
तुमसे कुछ कहकर, मैं जा रही हूँ।
आज मेरी विदाई में सब सखियाँ आएंगी,
सफेद जोड़े में लिपटी देख सिसक कर मर जाएंगी।
लड़की होने का वो खुद पर अफसोस जताएंगी।
माँ तुम उनसे इतना कह देना, दरिंदों की दुनिया
में संभल कर रहना।

माँ राखी पर जब भईया की कलाई सूनी रह जाएगी,
ध्यान मुझे कर जब–जब उनकी आँखें भर आएँगी।
तिलक माथे पर करने को रुह मेरी भी मचल जाएगी।
माँ तुम भईया को रोने मत देना, हर पल
मैं साथ हूँ इतना कह देना।

माँ, पापा भी छुप–छुप कर खूब रोएँगें,
मैं कुछ न कर पाया वह खुद को कोसेंगे।
माँ दर्द उन्हें यह न होने देना वो अभिमान है मेरा,
सम्मान है मेरा, तुम उनसे इतना कह देना
हर पल साथ हूँ मैं इतना कह देना।

माँ, तेरे लिए अब क्या कहूँ,
दर्द को तेरे शब्दों में कैसे बाँधू
फिर से जीने का मौका कैसे माँगू।
माँ लोग तुझे सताएँगें,
मुझको आजादी देने का इल्जाम लगाएंगे।
माँ सब सह लेना पर यह न कहना कि
मुझे अगले जन्म में बिटिया न देना।

दिल्ली मेट्रो – हमारी मेट्रो

प्राण कुमार

"आधुनिक युग का आगाज़ कहें या विज्ञान का अवतार। इसका सबूत आश्चर्य के रूप में हमारी मेट्रो को देखकर आता है।"

"कहने का मुख्य तथ्य हमारी दिल्ली से है। हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है। कभी किसी की नजर ना लगे। बस ह्रदय में यही तमन्ना है।"

माना जाता है कि विज्ञान के सहारे हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है, पर विज्ञान जिस प्रकार वरदान है, उसी प्रकार "अभिशाप" भी है, पर इस समय विज्ञान के "अभिशाप" के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि अभिशाप के बारे में लिखेगें तो कभी समाप्त नहीं होगा और यदि वरदान को लिखते हैं तो वह भी कभी समाप्त नहीं होगा।

"निबन्ध का अर्थ क्या होता है? इसकी जानकारी देता हूँ। निबन्ध के रचनाकार फ्रांस के "मौन्तेन जी" को माना जाता है। उन्होंने निबन्ध को एक स्वरूप देने के आधार को इस प्रकार बतलाया है, कि निबन्ध में सहज, स्वाभाविक रूप तथा आत्मप्रकाशन को ही दर्शाने की बात कही है।"

आज मैं जिस निबन्ध को लिखने जा रहा हूँ वह है– दिल्ली मेट्रो "जिस प्रकार शरीर में दिल होता है उसी प्रकार दिल्ली मेट्रो दिल्ली की धड़कन है।" 24 दिसम्बर, 2002 को दिल्लीवासियों को एक वरदान मिला, वह था दिल्ली मेट्रो ट्रेन। इस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिल्ली की पहली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राजधानी की बहुप्रतीक्षित परियोजना की शुरूआत की गई थी। यह पहली मेट्रो ट्रेन शाहदरा से तीसहजारी के बीच चलाई गई।

दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या, चरमराती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा का परिचालन आवश्यक हो गया था। ऐसा नहीं है कि मेट्रो की शुरूआत हमारे देश में पहली बार हो रही थी।

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश होने के साथ–साथ हमारे देश की धड़कन है। इस कारण केन्द्र सरकार तथा दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से 1995 में डी.एम.आर.सी. (दिल्ली मास रैपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम) का पंजीकरण किया था। पंजीकरण के एक साल बाद अगस्त, 1996 में सरकार द्वारा 62.5 किलोमीटर तक मेट्रो तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन आज दिल्ली मेट्रो पूरी दिल्ली में 124.50 किलोमीटर तक दौड़ लगा रही है।

दिल्ली मेट्रो का आज के आधुनिक युग में बहुत बड़ा महत्व है। दिल्ली मेट्रो सभी प्रकार की सुविधाओं से सम्पन्न है। मेट्रो का जीवन विज्ञान के साथ आधुनिक सेवा माना जाता है।

यह हमें सिंगापुर और हाँग–काँग तुल्य सुविधाओं का एहसास कराती है। इसकी समस्त प्रणालियां स्वचालित हैं। यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर सभी भूमिगत स्टेशनों को उचित वातानुकूलनयुक्त व सुरंगों से लैस किया गया है। ट्रेनों के आवागमन की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली तथा सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था की गई है।

मेट्रो स्टेशनों पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन द्वारा दूरसंचार प्रणाली का प्रबंध किया गया है। इन केबलों में ध्वनि के साथ डाटा प्रेषण की क्षमता है। विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं और सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के स्मार्ट कार्डों को माईक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पूरी तरह से

आधुनिक होने का प्रमाण है। मेट्रो स्टेशनों पर लिफ्ट तथा स्वचालित सीढ़ियों का भी प्रबंध किया गया है।

आज के महानगरों में लोगों के पास समय का अभाव होता है इस कारण समय की बचत के लिए प्रत्येक तीन मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेनों को चलाए जाने की व्यवस्था की गई है। मेट्रो कॉरीडोर में एक दिशा में प्रति घण्टे 60,000 से 70,000 यात्रियों की वहन क्षमता है।

स्मार्ट कार्डः–

स्मार्ट कार्ड एक नवीनीकरण कार्ड है, जिसका उपयोग मेट्रो आवागमन के दौरान बार–बार किया जाता है। ये कार्ड 100 / –, 200 / – तथा 500 / – रुपये के होते हैं। यह कार्ड एक साल तक मान्य होता है। इसके अतिरिक्त तीन दिन की असीमित यात्रा के लिए 50 / – और 150 / – रूपये के कार्ड का भी प्रबंध किया गया है।

व्यवस्थाः–

मेट्रो स्टेशनों के प्रत्येक स्टेशन परिसर में रेस्टोरेंट, स्नैक प्वाइंट, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, दवा की दुकानें, ए.टी.एम., दूर–संचार केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है जो दिल्ली के दिल को भाती है।

प्रबंधः–

दिल्ली मेट्रो हमें सड़क यातायात और भीड़–भाड़ से बचाकर आराम से कम समय में मंजिल तक पहुँचाती है। विद्युत चालित होने के कारण प्रदूषण भी नहीं होता जिससे वातावरण पर किसी गैस का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां विकलांगों को ऊँचे प्लेटफार्म तक पहुँचाने में सहायता करती हैं। मेट्रो ट्रेन में स्वचालित दरवाजे हैं जिनके बंद हुए बिना ट्रेन नहीं चलती। यात्री सुविधाजनक ढंग से यात्रा कर सकते हैं।

यह मेट्रो अत्यंत आरामदायक सुविधाओं से भरपूर है। यह दिल्ली के यातायात परिवेश को क्राँतिकारी रूप से बदल रही है। ये मेट्रो सेवा दुनिया की आधुनिक सेवा है। विश्वस्तरीय मेट्रो प्रोजेक्ट रिकार्ड समय में पूरा हो गया है। इससे हम कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं।

मेट्रो रेल के विशेष सुरक्षा प्रबंधों में ड्रेस गार्ड, फ्लोर प्लेट, हैंड रेल स्पीड, डिटेक्शन डिवाइस तथा स्टेप मिसिंग डिवाइस शामिल हैं।

रोजगार की सुविधाः–

आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश में रोजगार की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मेट्रो ने रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं।

सारांशः–

दिल्ली मेट्रो दिल्लीवासियों की "जान" है और इसके साथ ही मेट्रो हमारे देश की "शान" है।

"मेट्रो रेल यात्रा अधिक सुखद और सुविधाजनक है।"

प्रेम का समन्दर है,
सभी को राह दिखाती है।
अपनी मुस्कुराहट में,
सब के दिल को भाती है
हमारी थकान को मुसकरा कर भगाती है,
तभी तो दिल्ली मेट्रो, हमारी मेट्रो कहलाती है
–: : जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान : :–

उम्र पचपन की, दिल बचपन का

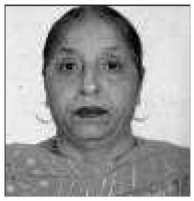

एच. के. सेठी

"बचपन की यादें, किसी मनुष्य जीवन का सबसे यादगार पल होती हैं। जब भी मनुष्य एकान्त में होता है, तो ज्यादातर बचपन की यादों में खो जाता है।"

"वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी" ये पंक्तियाँ सुनते ही हम सब कई बरस पीछे अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। बचपन जहाँ केवल मस्ती ही मस्ती होती है। हमारा बचपन तितली की तरह उड़ता, चिड़िया की तरह चहकता और गिलहरी की तरह फुदकता हुआ प्रतीत होता था। दुख की घनी छाँव क्या होती है, इसकी हमें खबर न होती थी।

सावन की पहली फुहार का बेताबी से इंतजार रहता था हम सबको। बूँदें धरती पर गिरी नहीं कि हथेली उसे सहेजने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ जाती थी। पलकों को छूती हुई वे बूँदें मन को भिगो जाती थीं। बारिश में भीगने का ऐसा जुनून होता था कि भरी दोपहरी में जब घर के सारे लोग सो रहे हों तब चुपके से माँ की ओट छोड़ कर दबे पाँव एक कमरे से दूसरे कमरे पार करते हुए, धीरे से किवाड़ खोल कर घर की देहरी लांघ जाते थे। देहरी लांघने में खतरा हो, तो दीवार फाँदने में देर नहीं करते थे। फिर एक के बाद एक सबको आवाज देते, किसी को खिड़कियों से पुकारते, तो किसी को पक्षी या जानवर की आवाज के इशारे से पुकारते घर के बाहर ले आते थे। फिर लगता था मस्ती का मेला, खुद की मस्ती, खुद की दुनिया। काला घुम्मड़ आकाश और कौंधती–कड़कड़ाती बिजली के बीच मूसलाधार बारिश में उफन आए पोखरों व नालों में कागज की कश्ती चलाना और उसे दूर तक जाते हुए देखना कितना सुखद अहसास होता है। तब न कपड़े भीगने का डर पास फटकता था, न ही दादाजी की छड़ी और न ही माँ की झिड़की या पिता की पिटाई याद आती थी।

हममें से भला कौन होगा, जिन्हें अपना बचपन बुरा लगता होगा। एक वही साथी होता है, जो जीवन भर हमारे साथ होता है, कभी रात को चुपचाप बिना बताए भी चला आता है, यह शरारती बचपन। हम भले ही यह कहते रहें– भला यह भी कोई उम्र है, जो हम अपने बचपन जैसी हरकतें करें? पर वह कहाँ मानता है, वह हमसे करा ही लेता है, ऐसी कोई न कोई हरकत, जिसे हम बचपन में बार–बार करते थे। इस बार करते समय हम भी थोड़ा सहम गए थे, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया ना। यह होता है बचपन का एक छोटा–सा अहसास, जो मन को भीतर तक गुदगुदा कर रख देता है। हमारे बचपन को तो यह अच्छी तरह याद है, जब हम सब बहते पानी के बीचों–बीच खड़े हो जाते थे, नीचे से रेत खिसकती थी, हमें ऐसी गुदगुदी होती थी, मानों रेत नहीं, रूई के फाहों से कोई हमारे घावों को हल्के से साफ कर रहा हो। आज भी जब कभी चोट लगती है, कंपाउडर हमारे घाव को रूई से साफ करता है, तो वही अहसास धीरे से हमारे सामने आ खड़ा होता है। हम कनखियों से उसे देख लेते हैं, उसे पास नहीं बुलाते। केवल इसलिए कि कहीं वह हमारे बचपन की शरारतों को गिनाना शुरू न कर दे।

हममें से शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसका बचपन शरारतों के साथ न गुजरा हो। शरारतें भी ऐसी कि जिन्हें यदि आज याद किया जाए तो हमारे यौवन को भी शर्म आने लगे। मेंढक पकड़कर साथी की जेब में डालना, तितलियों और पतंगों को पकड़कर डिब्बे में बंद कर एक साथ छोड़ना, पतंगों के पीछे धागे बाँधना, कीचड़ से सने पैरों समेत बेधड़क घर में घुस जाना, केंचुए पर नमक छिड़ककर उसकी छटपटाहट देखना, बारिश के समय पेड़ पर चढ़कर डालियों को तेजी से हिलाकर राहगीर को भिगो देना, बस्ते को जानबूझकर बारिश के पानी में भिगो

कर पाठशाला न जाने के बहाने करना, पेन की स्याही को बहते पानी में डालना, पानी भरे जूतों से थपथप करते हुए चलना, पानी भरे गड्ढों से ही गुजरना, ऐसी शरारतों की सूची काफी लंबी हो सकती है, अपने–अपने अनुभवों के आधार पर। किंतु यह सारी शरारतें केवल बचपन की ही देन हैं। हमारा यौवन इस तरह की शरारतें करने की गवाही नहीं देता। कोमल मन की कोमल भावनाओं से भरा हमारा बचपन आज भी हमारे ही भीतर है, पर हम हैं कि उसे बाहर ही नहीं आने देते।

आज जब हम बच्चों को उस तरह की शरारतें करते देखते हैं, तब एक बार तो लगता है कि बच्चे यह क्या कर रहे हैं, पर तभी हमारे भीतर से आवाज आती है, क्या तुमने यह सब नहीं किया? आज हम सोचते हैं कि हमारा बचपन अब चौराहों पर ही सिमट गया है, जहाँ से एक रास्ता यौवन को गया, एक विवाहित जीवन को गया, एक नौकरी के नाम पर गया और एक यह उम्र, जब बचपन को याद करते हुए आंखें भीग रही हैं। पचपन में आंखों का भीगना फिर बचपन में ले जाता है, जब बारिश के पानी को पलकों पर लेते थे, कभी उसका स्वाद अपनी जीभ पर लेते थे। कभी धोखे से पानी यदि खुली आंख में चला जाता था, तब आंखों में काफी पीड़ा होती थी। पर उस समय तो पीड़ा से नाता ही टूटा रहता था हमारा। हम किसी भी पीड़ा को नहीं जानते थे। हमारी पीड़ा वह थी, जब हमारा कोई साथी बुखार से तप रहा होता था या फिर उसकी झोपड़ी में बारिश का पानी भर जाता था, गाँव से पाठशाला आते हुए किसी साथी की कॉपी–किताबें पानी में बह जाती थीं और शिक्षक उसे भीगे कपड़ों में ही कक्षा के बाहर खड़े कर देते थे। यही थी हमारी पीड़ा।

आज हमारा बचपन तो हमारे साथ है, पर हमारे बच्चों का बचपन शायद उनसे दूर जा रहा है। बारिश के बहते पानी में उनकी कागज की कश्ती कहीं दूर चली गई है। उनकी हरकतों में वह अल्हड़पन, वह मस्ती, वह उमंग दिखाई नहीं देती, जिसे हमने विरासत में पाया। हमारे बचपन में तो चाँद पर परियाँ रहती थीं, पर हमारे बच्चों के बचपन में परी तो नहीं रहती, बल्कि चाँद में क्या सचमुच जीवन है या नहीं, यही उनके शोध का विषय बना हुआ है। कॉपी–किताबों, टीवी, चैनल, कंप्यूटर ने उनके बालपन को सीधे यौवन में पहुँचा दिया है। उनका बचपन स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क में बंट कर रह गया है।

अब नहीं थमती उनकी नन्हीं हथेलियों पर पानी की बूँदें, रिमझिम फुहारें उन्हें भिगो नहीं पाती, पैरों तले फिसलती रेत की गुदगुदी को वे महसूस नहीं कर पाते, उनकी कल्पनाओं में कोई कागज की कश्ती ही नहीं, तितलियों और पतंगों की हल्की–सी छुअन का अहसास भी नहीं जागता उनकी हथेलियों में। उनकी नन्हीं आंखों में पल रहे हैं माता–पिता के सपने और पीठ पर है अपेक्षाओं का बोझ। ऐसे में भला कहाँ ठहर पाता है बचपन? हमने तो खूब जिया अपने बचपन को। पर हमारी संतान अपने बचपन से काफी दूर हो गई हैं। यदि हम उनमें अपना ही बचपन देखना चाहते हैं, तो उनके बचपन के साथ अपने बचपन को मिलाकर एक बार, केवल एक बार अपनी छत पर बारिश के पानी में खूब भीगें, खूब मस्ती करें और खूब छोड़ें इस बारिश में कागज की कश्तियाँ।

उम्र पचपन की, दिल है बचपन का। जो एक बार जाती है लौट कर कभी वापस नहीं आती है, सिर्फ यादें शेष रह जाती हैं।

जीवन–सूत्र

वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वे चीजें हैं जो हमें मिलती तो मुफ़्त हैं लेकिन हमें इनकी कीमत का पता तब पता चलता है, जब ये कहीं खो जाती हैं।

बीज का बड़प्पन

शशिकांता पुरी

एक नन्हें से बीज के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं अपने भीतर छिपी खुशबू से जगत को सुवासित करूं। संकल्प को साकार करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे अपने अस्तित्व को क्षत – विक्षत करना था और धरती की अंधेरी, घुटन भरी परत के नीचे दबना था पर बीज ने हिम्मत नहीं हारी, वह मुख नीचा कर धरती के अंदर उतर गया।

करवट बदल ऊपर उठा

धरती ने कहा, मेरे भार तले दबकर तू अपने अस्तित्व को बचा पाए, यह बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बीज उस अंधकार में भी मुस्कराता रहा। जल के अज्ञात कणों ने उसके होठों को जरा सा गीला किया और करवट बदल वह ऊपर उठा। उन्हीं गीले होठों से उसकी आंतरिक शक्तियां बाहर फूट पड़ीं। उसके प्रबल उत्साह को देखकर धरती के कणों ने भी दो हिस्सों में बंटकर उसके बाहर निकलने का मार्ग निर्मित किया।

अस्तित्व पर प्रहार

बीज ने रोशनी में ज्योंही नेत्र खोले, मन आनन्दित हो उठा। पर यह क्या, धरती के भीतर तो केवल घुटन ही थी, बाहर के जगत में तो अस्तित्व पर कई प्रहार होने लगे। हवा ने चेतावनी दी मेरा एक ही झोंका बहुत है तेरे पैर उखाड़ने के लिए, संभल मेरे सामने बड़े–बड़े पेड़, चट्टान सब बेबस हो जाते हैं, तुम्हारी तो ताकत ही क्या है? नन्हा बीज अपने पांवों को मजबूती से रौपें कभी दाएं झुका, कभी बाएं और हर झोंके को बांहों में झुलाने वाला झूला समझ इठलाता रहा। उसके साहस को देख वायु अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी।

दर्द को पी गया

उसके रसीले कोमल तने को कइयों ने ललचाई नज़रों से देखा और चोंच का कठोर प्रहार भी किया, लेकिन निरंतर विकास की लगन से वह इस असहनीय दर्द को भी पी गया मानो मौन स्वर में कह रहा हो, मुझे विकसित होने दो फिर मेरा जो भी है, तुम्हारा ही है।

मुग्ध हो उठा माली

विजातीय विरोधों की बात छोड़िये, कुछ सजातीय भी उससे प्रतिस्पर्धा करने लगे। रस, गंधहीन झाड़–झंखाड़ ने उसकी प्रगति को रोकने की भरपूर कोशिश की। किसी ने जड़ें फैलाकर उसके हिस्से का पानी चुराया, किसी ने तने के फैलाव को अपने फैलाव से रोकने की कोशिश की। कई तो उसकी ऊंचाई से ऊंचे होकर उसके अस्तित्व को ही ढकने लगे थे। पौधा अपने को सिकोड़ता था, पर घायल नहीं होता था। उसके अदम्य साहस को देख बाग का माली मुग्ध हो उठा और विघ्न डालने वाले झाड़–झंखाड़ को समूल उखाड़ फेंका। सत्य ही है, भगवान, दुनिया के बगीचे का माली भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। विघ्नों के बीच रहकर भी अडोल रहने वालों के विघ्न वह जड़ से उखाड़ फेंकता है। माली का सहयोग पाकर पौधा प्रफुल्लित हुआ। उसकी विकास गति द्रुत हो गई ।

कुपित हुआ सूर्य

जीवन दान देने वाला सूर्य भी परीक्षा लेने में पीछे नहीं रहा, कुपित हो बोला, इतनी तेजी से बढ़ कर मेरी ऊंचाई छूना चाहता है, मेरे ताप के आगे तू कहाँ ठहर पाएगा। लेकिन, अपने भीतर की शीतलता के बल से, बिना किसी छाया के पौधा सूर्य के ताप को भी पी गया ।

तपस्या सफल हुई

इन विघ्नों, बाधाओं से जूझते हुए भी पौधा मुस्कराता रहा, हवा से अठखेलियां करता रहा और फूट पड़ी उस पर एक नहीं, कई कलियाँ, जो रंग और गंध का अपने भीतर अनुपम संसार संजोए हुए थीं। पौधे की तपस्या सफल हुई। संसार को खुशबू से महकाने का संकल्प सार्थक हुआ ।

जो बीज की तरह अपने को गलाना जानता है, जो विघ्नों और बाधाओं के बीच भी अचल–अडोल रहता है, जो निन्दकों और दुश्चिंतकों के समक्ष भी उत्तेजित और विचलित नहीं होता, मेहनत और पुरूषार्थ से जो पीछे नहीं हटता, उसी के भीतर की शक्तियाँ, प्रकाश बनकर संसार में फैलती हैं, वह देवत्व को प्राप्त होता है। जन–जन के मन को ज्ञान की खुशबू से सुवासित कर विधाता की मणि बन मुस्कराता है।

◇◇

स्त्री का स्वरूप

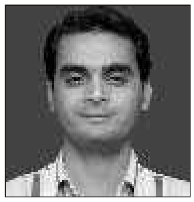

मु. मोनिस खान

पता लगते ही कि है लड़की गर्भ में
बनते है मंसूबे उसकी भ्रूणहत्या के लोगों के मन में
नहीं है साधन अगर उसको पालने पोसने के
मिलेगी वो कूड़ेदान में किसी शहर के
हुई है वो अगर पैदा किसी गांव में
बहा दी जायेगी मार कर किसी नहर में
बची अगर वो तो होगी शादी छोटी उम्र में
बनेगी कई बार वो माँ कच्ची उम्र में
उठेंगे प्रश्नचिन्ह मन में सुनकर नाम, लड़कपन का
पूछेगी! होता है क्या नाम सुनकर, बचपन का
पिसेगी दिन रात, पति धर्म में बनकर वो चक्की
करो कुछ रहम उस पर, है ये इंसानियत की मूरत सच्ची
ना जाने क्यों, न माने बेटी, ससुर, बहू को
पता लगता है जब करता है पीड़ित, उनके अपने लहू को।
कभी बनो, जब तुम किसी की सास भविष्य में
न करना वो, हुआ है जो, तुम्हारे साथ भूत में।
देना वो सीख और प्यार बहू को
दिया है जो लाड़, कभी तुमने अपने लहू को
होता है मूल से ज्यादा प्यार सभी को ब्याज से
इन्हीं में देख सकती हो, तुम अपना बचपन पास से।
स्वर्गवास भी तुम्हारा मायके को भारी पड़ता है
कफन, दफन और पहला खाना, लड़की वालों को ही देना पड़ता है।
उठा कर इतने जुल्म तुम जब पहुंचोगी आसमां में
ईश्वर भी न सोचेगा, तुम्हें भेजने को नर्क में।

महिला सशक्तिकरण कितनी हकीकत कितना फसाना

सीमा

महिला शक्ति सर्वोपरि है और महिला शक्ति के आगे सारी शक्ति कम पड़ जाती है। महिला शक्ति का स्वरूप राजनीति, उद्योग–धन्धे, अन्तरिक्ष अनुसंधान, सैनिक गतिविधियों, सरकारी सेवाओं एवं अनेकों प्रकार के कामों में सर्वश्रेष्ठ है।

हालाँकि दुनिया के कई देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपाय काफी पहले कर चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महिलाओं के लिए संसदीय सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। लगता तो है कि अब भारतवर्ष में भी इस दिशा में कुछ रचनात्मक कदम उठाए जाने की तैयारी शुरु हो गई है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना और वह भी राजनीति जैसे उस क्षेत्र में, जहाँ कि आमतौर पर पुरुषों का ही वर्चस्व देखा जाता है, वास्तव में आश्चर्य की बात है। परंतु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के इस सपने को साकार करने का जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मन बनाया है तथा अपने कांग्रेस सांसदों को महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु अनेकों उपाय किए हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पुरुष नेता भले ही भीतर ही भीतर इस विधेयक के विरोधी क्यों न हों परंतु श्रीमती सोनिया गांधी की मंशा भाँपने के बाद फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नेता राज्यसभा में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब लोकसभा में इसके विरुद्ध अपनी जुबान खोल सकेगा। तो क्या ऐसे होती है, महिला शक्ति!

बात जब देश की आधी आबादी के आरक्षण की हो तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से लाख मतभेद होने के बावजूद खुद को महिला आरक्षण विधेयक से अलग नहीं रख सकती लिहाजा पार्टी में कई सांसदों से मतभेदों के बावजूद भाजपा भी फिलहाल इस विधेयक के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। हालाँकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार श्री मनमोहन सिंह की पिछली सरकार के समय भारत अमेरिका के मध्य हुआ परमाणु करार मनमोहन सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुआ था तथा उसी मुद्दे पर वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन तक वापस ले लिया था। ठीक वैसी ही स्थिति महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक बार फिर देखी जा रही है। परंतु पिछली बार की ही तरह इस बार भी कांग्रेस के इरादे बिल्कुल साफ हैं। खबर है कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी से यह पूछा कि उन्हें लोकसभा में महिला आरक्षण की मंजूरी चाहिए या वे सरकार बचाना चाहेंगी। इस पर श्रीमती सोनिया गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें महिला आरक्षण की मंजूरी चाहिए। ये सब तो राजनीतिक बाते हैं जिसमें महिला शक्ति को मजबूत बनाने की बातें कहीं हैं।

उक्त विधेयक को लेकर देश की संसद में पिछले दिनों क्या कुछ घटित हुआ यह भी पूरा देश व दुनिया ने देखा। राज्यसभा के 7 सांसदों को सभापति की मेज पर चढ़ने तथा विधेयक की प्रति फाड़ने व सदन की गरिमा को आघात पहुँचाने के जुर्म में सदन से निलंबित तक होना पड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी व लोक जन शक्ति पार्टी के इन सांसदों द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के वर्तमान स्वरूप को लेकर जो हँगामा खड़ा किया जा रहा है वह भी हास्यास्पद है। इन दलों के नेता यह माँग कर रहे हैं कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के कोटे में ही दलितों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों की महिलाओं हेतु आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह जानने के लिए अतीत में भी झाँकना जरूरी होगा। महिलाओं के 33 प्रतिशत सामान्य आरक्षण की वकालत करने वाले लालू यादव, मुलायम सिंह

यादव, शरद यादव तथा रामविलास पासवान जैसे विधेयक के वर्तमान स्वरूप के विरोधियों से जब यह पूछते हैं, कि आप लोग अपनी–अपनी पार्टियों के राजनैतिक अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक के किन्हीं पाँच ऐसे सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों के नाम बताएँ जिन्हें आप लोगों ने दलित, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक होने के नाते पार्टी प्रत्याशी के रूप में किसी सदन का सदस्य बनवाया हो। इसके जवाब में इन नेताओं के पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसी से यह साफ जाहिर होता है कि दलितों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नाम पर किया जाने वाला इनका हंगामा केवल हंगामा ही है, हकीकत नहीं।

दरअसल जो नेता महिला आरक्षण विधेयक का विरोध जाति के आधार पर कर रहे हैं, उनकी मजबूरी यह है कि उनके हाथों से पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यकों के वह वोट बैंक तेजी से खिसक रहे हैं जो उन्हें सत्ता में लाने में सहयोगी हुआ करते थे। लिहाजा यह नेता पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक का जो विरोध कर रहे हैं वह वास्तव में एक तीर से दो शिकार करने जैसा ही है। इन जातियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर यह नेता जहाँ अपने खिसकते जनाधार को पुनः बचाना चाह रहे हैं, वहीं इनकी यह कोशिश भी है कि किसी प्रकार उनके विरोध व हंगामे के चलते यह विधेयक पारित ही न होने पाए और इस प्रकार राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व पूर्ववत् बना रहे।

महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी तमाम और ऐसी सच्चाईयां हैं, जिन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। हालांकि महिलाओं द्वारा आमतौर पर इस विषय पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आरक्षण की खबर ने देश की अधिकांश महिलाओं में जोश भर दिया है। परंतु इन्हीं में कुछ शिक्षित व सुधी महिलाएँ ऐसी भी हैं जो महिला आरक्षण को गैर जरूरी बता रही हैं। ऐसी महिलाओं का तर्क है कि महिला सशक्तिकरण का उपाय मात्र आरक्षण ही नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी तमाम उपाय ऐसे हो सकते हैं जिनसे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाया जा सके। उदाहरण के तौर पर महिलाओं हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीडन संबंधी अपराध तथा दहेज संबंधी अपराधों में अविलंब एवं न्यायसंगत फैसले यथाशीघ्र आने चाहिएं तथा इसके लिए और सख्त कानून भी बनाए जाने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या को तत्काल पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए और सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। खेल कूद में महिलाओं हेतु पुरुषों के बराबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, चूँकि यह आरक्षण देश की आधी आबादी के लिए दिया जाना है।

इसे 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। वृद्ध, बीमार तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता व इन्हें आश्रय दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवसाय हेतु महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर बैंक लोन मुहैया कराए जाने चाहिएं। लघु उद्योग, जो महिलओं पर ही निर्भर है, जैसी संस्थाओं से सीख लेते हुए सरकार को भी इसी प्रकार के अनेक महिला प्रधान प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने चाहिएं।

रहा सवाल महिलाओं की सत्ता में भागीदारी हेतु संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किए जाने का तो इसमें भी शक नहीं कि राजनीति में महिलाओं की आरक्षित भागीदारी निश्चित रूप से राजनीति में फैले भ्रष्टाचार में कमी ला सकेगी। संसद व विधानसभाओं में आमतौर पर दिखाई देने वाले उपद्रवपूर्ण दृश्यों में भी लगभग 33 प्रतिशत कमी आने की संभावना है। संसद में नोट के बंडल भी पहले से कम उछाले जाएंगे। परंतु यह सब तभी संभव हो सकेगा जब देश की लोकसभा में उक्त विधेयक पेश हो और उसके पश्चात लोकसभा इस विधेयक को दो–तिहाई मतों से पारित भी कर दे। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए देश की आधी से अधिक अर्थात् लगभग 15 विधानसभाओं में भी इस विधेयक का पारित होना जरूरी होगा। अविश्वसनीय से लगने वाले इस विधेयक को देखकर यह संदेह होना लाजमी है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना।

आपका पत्र मिला

आपका धन्यवाद

'नियोजन संदेश' के स्वर्ण जयंती विशेषांक की रूप सज्जा दर्शनीय एवं सामग्री सराहनीय है। संगठन की पत्रिका के निमित्त ज्ञानवर्धक सामग्री की प्रचुरता स्वाभाविक प्रतीत होती है। लेखों का आकार देखने में विस्तृत है किन्तु वह सब विषय वस्तु का संक्षेपण है। नैतिक मूल्यों से संबंधित लेख समसामयिक समस्याओं को समाहित किए हैं अतः उनका स्वरूप शिक्षाप्रद है। कविताएं, कहानियां आदि साहित्यिक अभिरूचि के पाठकों को रसप्रदायक प्रतीत होंगी। संपादकीय का दूसरा वाक्य साहस का परिचायक है। पूरा संपादकीय, संपादक ने सहायक निदेशक (राजभाषा) पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही लिखा है।

डॉ0 मोती राम वर्मा,
पूर्व विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग),
रामलाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

'नियोजन संदेश' का स्वर्ण जयंती विशेषांक आपके संगठन की राजभाषा के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करता है। डॉ. अशोक सिंघवी और श्री जय बी. क्षीरसागर के संदेश सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन प्रशस्त करने वाले हैं। श्री जय बी क्षीरसागर द्वारा लिखित लेख 'भारतीय नगरों एवं शहरों में मिश्रित भू–उपयोग' शहरीकरण के सभी मुद्दों को अपने आपमें समेटे हुए है। डॉ. अचला मेदिरत्ता का लेख 'नगर नियोजन एवं शहरी गरीबों से संबंधित सुधार' आपके कार्यालय की कार्यप्रणाली और भविष्य के लिए शहर तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है। डॉ. अशोक बंदूनी का 'वैश्विक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था' लेख पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान भंडार को सुदृढ़ करने में सक्षम है। संपादक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं।

श्री मुकेश पोपली, राजभाषा अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक,
11 संसद मार्ग, नई दिल्ली।

'नियोजन संदेश' के 17वें अंक का संपादन कार्य और उसमें लिखे लेख उत्कृष्ट हैं। चुटकुले तथा प्रेरणात्मक लेखों ने दिल को छू लिया।

विपिन कुमार, अनुसंधान सहायक,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली।

आपकी गृहपत्रिका 'नियोजन संदेश' का 17वां अंक प्राप्त हुआ, अगाध प्रसन्नता हुई। पत्रिका में श्री ललित मेहता का लेख 'यूनिकोड की आवश्यकता' बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। साथ ही, आशा चन्द्रा लिखित 'समाज में मीडिया की भूमिका' लेख भी काफी रोचक और उपयोगी है। सभी रचनाकारों को मेरी हार्दिक बधाई जिनके प्रयासों से यह अंक साकार हुआ।

श्रीमती रेखा शर्मा,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
पूर्वी वायु कमान मुख्यालय,
अपर शिलांग, मेघालय।

'नियोजन संदेश' का 17वां अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद।

पत्रिका में संकलित सामग्री रोचक और ज्ञानवर्धक है। यूनिकोड की आवश्यकता, नैतिक मूल्यों का पतन, समाज में मीडिया की भूमिका आदि लेख तथा रहो इस तरह जिंदगानी में – कविता बेहद पसंद आई। संपादन की दृष्टि से पत्रिका का प्रकाशन सराहनीय है।

आशा है 'नियोजन संदेश' भविष्य में भी इसी प्रकार प्रकाशित होती रहेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं ।

महिमानन्द भट्ट,
वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा),
केन्द्रीय भंडारण निगम,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016

आपके संगठन की गृहपत्रिका 'नियोजन संदेश' का 'स्वर्ण जयंती विशेषांक' प्राप्त हुआ।

पत्रिका में प्रकाशित लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। श्री जय बी. क्षीरसागर जी द्वारा लिखित 'भारतीय नगरों एवं शहरों में मिश्रित भू–उपयोग' लेख से नई एवं रोचक जानकारी मिली। अन्य रचनाएं, कविताएं भी उपयोगी हैं।

पत्रिका का मुखपृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत हैं। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। कृपया मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें।

श्रीमती शशि बंदूनी,
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

संगठन में हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों के हिंदी कार्य का निरीक्षण करती समिति।

नीदरलैंड में भारत–डच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते माननीय शहरी विकास मंत्री एवं उनके साथ मुख्य नियोजक, टीसीपीओ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ लेते संगठन के अधिकारी एवं कर्मचारी

संगठन में हिंदी कार्यशालाओं के दौरान व्याख्यान देते मुख्य नियोजक, टीसीपीओ एवं सहायक निदेशक (रा.भा.)

संगठन में हिंदी कार्यशाला के दौरान व्याख्यान देते श्री राकेश दूबे, उप निदेशक, वित्त मंत्रालय

राकामि द्वारा संगठन की हिंदी गृह पत्रिका 'नियोजन संदेश' के 17वें अंक को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पत्रिका चुने जाने पर शील्ड ग्रहण करते सहा. निदेशक (रा.भा.)

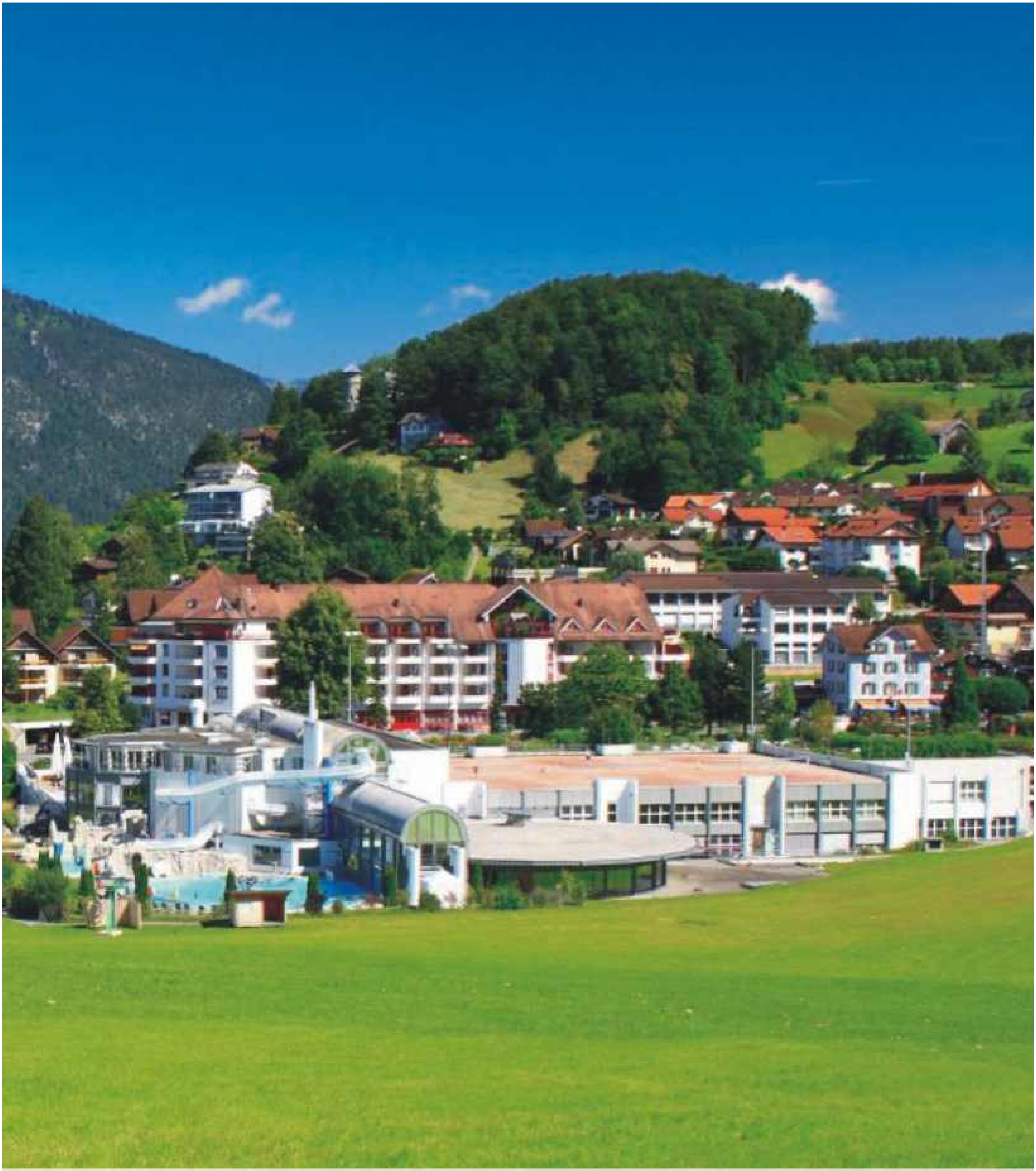

गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की प्राकृतिक छटा का मनोहर दृश्य